SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुपालन लेखापरीक्षा (राजस्व) पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 1

(अनुपालन लेखापरीक्षा-राजस्व)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा (राजस्व) पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 1

(अनुपालन लेखापरीक्षा-राजस्व)

विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii

अध्याय-I: विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों की प्रवृति	1.2	1
बकाये राजस्व का विश्लेषण	1.3	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति	1.4	6
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.5	7
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	7
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	1.7	8
अध्याय-II: परिवहन विभाग		
अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं		
कर प्रशासन	2.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	15
झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली	2.3	16
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		
कर प्रशासन	2.4	77
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.5	77
थोक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनिवार्य न्यूनतम स्कंध के गैर-संधारण के लिए अर्थदण्ड का कम उद्ग्रहण	2.6	78
उत्पाद शुल्क राजस्व के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क का गैर-उदग्रहण	2.7	79
परिशिष्ट		
परिशिष्ट		83-94

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
I	2.3.3.2	गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों का नवीकरण	83
II	2.3.3.2	परिवहन वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों का नवीकरण	83
III	2.3.3.4	स्थानीय पंजीकरण चिन्ह	84
IV	2.3.3.5	परिवहन वाहनों के पंजीकृत लदान भार में संशोधन	84
V	2.3.3.6	वाहनों का गलत वर्गीकरण	84
VI	2.3.3.8	विनिर्माता/विक्रेता द्वारा वाहनों का प्रेषण	85
VII	2.3.4.1	मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा जारी दुरूस्ती प्रमाण पत्र	85
VIII	2.3.4.2	परिवहन वाहनों के दुरूस्ती प्रमाण पत्र का नवीकरण	86
IX	2.3.5.4	मार्गीय यात्री वाहन एवं शैक्षिक संस्थान बस अनुज्ञापत्रों का नवीकरण	86
X	2.3.7.2	परिवहन वाहनों से कर	87
XI	2.3.7.3	एकमुश्त कर	88
XII	2.3.7.4	पारस्परिक समझौतों के तहत चलने वाले वाहन	90
XIII	2.3.7.7	परिवहन वाहनों से अर्थदण्ड	91
XIV	2.3.7.9	संग्रहित राजस्व का हस्तांतरण	92
XV	2.3.8.2	सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम के तहत जुर्माना	94

प्रस्तावना

प्रस्तावना

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के चयनित विभागों के अंतर्गत परिवहन और उत्पाद विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

इस प्रतिवेदन के उल्लिखित मामलों में वैसे मामले जो 2023-24 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आए थे, परंतु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों और लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गयी है।

अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय-I: विहंगावलोकन

1.1 परिचय

यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के कुछ विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा में पाये गये मामलों को शामिल करती है। इस प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य विधायिका के संज्ञान में लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उद्देश्य कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने में समर्थ करना है, साथ ही ऐसी नीतियाँ और निर्देश तैयार करने में भी जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन की ओर अग्रसर करेंगे और बेहतर शासन में योगदान है।

यह प्रतिवेदन दो अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, जो निम्नवत हैः

- **अध्याय 1** में सरकार द्वारा सृजित राजस्व की प्रवृत्ति की समीक्षा, लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में करों की बकाया राशि जो संग्रहण के लिए लंबित है, अनुपालन लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई आदि तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।
- **अध्याय 2** में 'झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली' पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित दो कंडिकाएं शामिल हैं।

1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 वर्ष 2023-24 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर और गैर-कर राजस्व, राज्यों को आवंटित विभाज्य संघीय करों और शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ पिछले चार वर्षों के संबंधित आंकड़े **तालिका-1.1** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका-1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	16,771.45	16,880.08	21,289.61	25,117.51	28,004.76
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**13.69**	**0.65**	**26.12**	**17.98**	**11.49**
	• गैर कर राजस्व	8,749.98	7,564.01	10,030.75	12,830.05	13,425.14
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**5.96**	**(-) 13.55**	**32.61**	**27.91**	**4.64**
	कुल	**25,521.43**	**24,444.09**	**31,320.36**	**37,947.56**	**41,429.90**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं ड्यूटी में राज्य का अंश	20,593.04	19,712.23	27,734.64	31,404.12	37,352.35
	• सहायता अनुदान	12,302.67	11,993.41	10,666.86	10,893.54	9,146.26
	कुल	**32,895.71**	**31,705.64**	**38,401.50**	**42,297.66**	**46,498.61**
3	**राज्य सरकार का कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**58,417.14**	**56,149.73**	**69,721.86**	**80,245.22**	**87,928.51**
4	**1 से 3 की प्रतिशतता**	**44**	**44**	**45**	**47**	**47**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 41,429.90 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 47 प्रतिशत था। 2023-24 के दौरान प्राप्तियों का शेष 53 प्रतिशत राजस्व भारत सरकार से प्राप्त हुआ। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों में क्रमशः 11.49 प्रतिशत और 4.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विभाजन **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

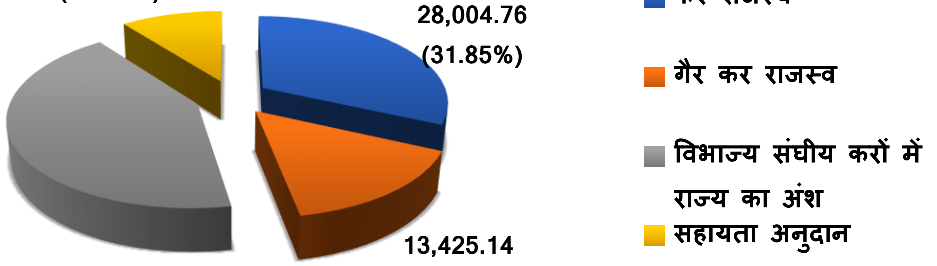

1.2.2 वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान प्राप्त कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2

कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2022-23 की तुलना में 2023-24 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,996.33	4,300.89	5,213.40	6,270.53	6,948.92	10.82
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	8,417.72	7,930.56	9,557.40	11,374.02	12,347.72	8.56
3	राज्य उत्पाद शुल्क	2,009.27	1,821.09	1,806.61	2,056.88	2,376.10	15.52
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	560.33	708.14	987.24	1,107.64	1,467.74	32.51
5	वाहनों पर कर	1,128.98	976.35	1,262.78	1,573.77	1,756.40	11.60
6	विद्युत पर कर एवं ड्यूटी	236.24	195.26	791.72	1,131.82	1,395.37	23.29
7	भू राजस्व	337.98	872.93	1,621.21	1,557.26	1,665.70	6.96
8	आय पर अन्य कर तथा व्यय	83.93	74.77	46.15	45.09	46.65	3.46
9	अन्य	0.67	0.09	3.10	0.50	0.16	(-) 68.00
कुल		**16,771.45**	**16,880.08**	**21,289.61**	**25,117.51**	**28,004.76**	**11.49**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

चार्ट-1.2 में वर्ष 2023-24 के लिए कर राजस्व का विभाजन दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2

2023-24 के लिए कर राजस्व का विभाजन

(₹ करोड़ में)

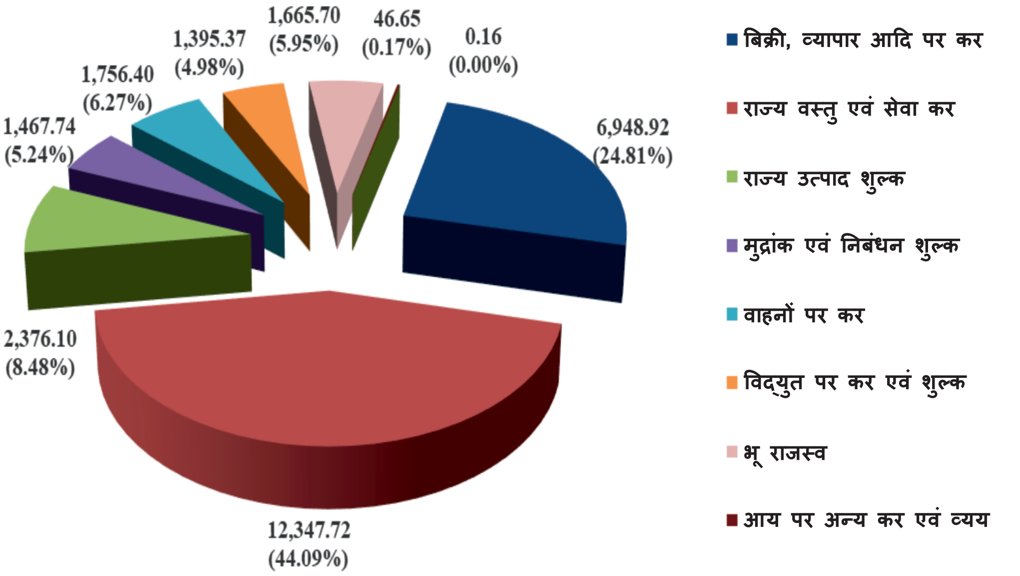

राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षो के संबंध में, 2022-23 की तुलना में, 2023-24 में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारण, निम्नानुसार थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: 10.82 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा (सितंबर 2025) उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि लघु शीर्ष '102- राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ' 2022-23 में ₹ 6,263.12 करोड़ से बढ़कर 2023-24 के दौरान ₹ 6,833.50 करोड़ हो गईं।

राज्य उत्पाद शुल्क: विभाग ने (दिसंबर 2024) 15.52 प्रतिशत की वृद्धि का कारण नई उत्पाद शुल्क नीति का कार्यान्वयन और कोविड-19 महामारी के बाद बाजार अर्थव्यवस्था में सुधार होना बताया।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: 'मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क' में 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2023-24 के दौरान, लघु शीर्ष '102- स्टाम्प की बिक्री' से प्राप्तियाँ 2022-23 में ₹ 576.63 करोड़ से बढ़कर ₹ 766.45 करोड़ हो गईं।

वाहनों पर कर: विभाग ने (नवंबर 2024) 2023-24 में 11.60 प्रतिशत की वृद्धि का कारण 2022-23 की तुलना में 10.41 प्रतिशत अधिक वाहनों का विक्रय होना बताया।

विद्युत पर कर एवं ड्यूटी: 23.29 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा (सितंबर 2025) उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि लघु शीर्ष

'101- विद्युत की खपत एवं बिक्री पर कर' से प्राप्तियाँ 2022-23 में ₹ 1,131.82 करोड़ से बढ़कर 2023-24 के दौरान ₹ 1,395.37 करोड़ हो गईं।

1.2.3 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान अर्जित गैर-कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.3

गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2022-23 की तुलना में 2023-24 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	5,461.36	5,012.47	7,535.03	10,035.96	10,596.83	5.59
2	फसल कृषि व्यवस्था	160.4	555.55	5.34	1.27	7.40	482.68
3	वानिकी और वन्य जीवन	17.59	328.17	655.76	637.86	815.69	27.88
4	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	8.75	270.71	8.78	91.53	9.75	(-) 89.35
5	ब्याज प्राप्तियाँ	309.51	81.36	95.54	282.02	430.98	52.82
6	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	84.61	18.05	3.21	81.11	79.49	(-) 2.00
7	अन्य[1]	2,707.76	1,297.70	1,727.09	1,700.30	1,485.00	(-) 12.66
	कुल	**8,749.98**	**7,564.01**	**10,030.75**	**12,830.05**	**13,425.14**	**4.64**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के लिए गैर-कर राजस्व का विभाजन **चार्ट-1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.3

2023-24 के लिए गैर कर राजस्व का विघटन

(₹ करोड़ में)

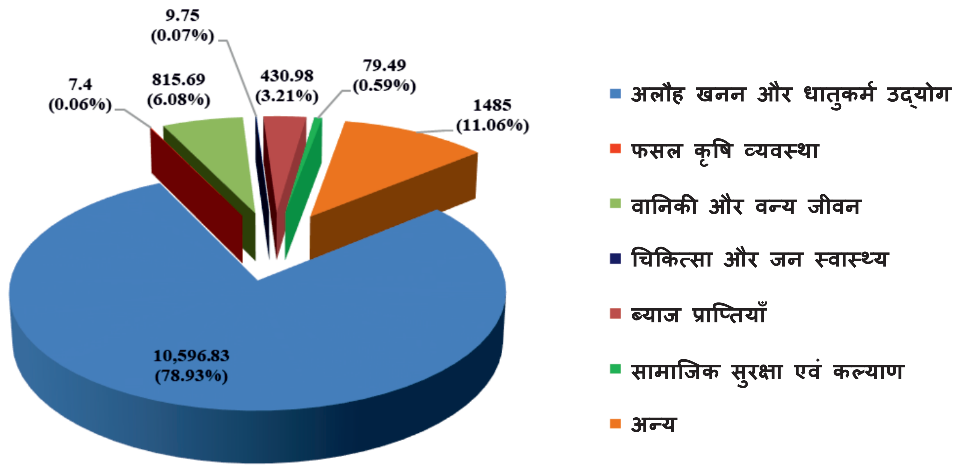

[1] अन्य सेवाओं में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

संबंधित विभागों ने कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भिन्नताओं के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया। निम्नलिखित गैर-कर राजस्व घटकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नताओं देखी गईं:

फसल कृषि व्यवस्था: 2023-24 में 'फसल कृषि व्यवस्था' के अंतर्गत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 482.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि लघु शीर्ष- '800- अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्राप्तियाँ, 2022-23 में ₹ 0.05 करोड़ से बढ़कर 2023-24 के दौरान ₹ 5.52 करोड़ हो गईं।

वानिकी और वन्य जीवन: 2023-24 में 'वानिकी और वन्य जीवन' के अंतर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 27.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि लघु शीर्ष '103- पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियाँ' उप-शीर्ष '01- वानिकी' के अंतर्गत 2022-23 में ₹ 244.67 करोड़ से बढ़कर 2023-24 के दौरान ₹792.63 करोड़ हो गईं।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: 2023-24 में 'चिकित्सा और जन स्वास्थ्य' के अंतर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 89.35 प्रतिशत कमी हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि '101- कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ' उप-शीर्ष '01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ' के अंतर्गत प्राप्तियाँ 2022-23 की तुलना में 2023-24 में काफी कम थीं।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2024 तक तीन प्रमुख राजस्व शीर्षों के संबंध में बकाया ₹ 6,492.45 करोड़ था, जिसमें से ₹ 5,520.03 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका-1.4** में विस्तार से वर्णित है।

तालिका-1.4

राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 को बकाया	31 मार्च 2024 को पाँच वर्षों से अधिक	लंबित बकाये की स्थिति						
				निर्गत माँग	न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थगित	सरकार द्वारा स्थगित	सुधार/ समीक्षा	विक्रेता/ पार्टी दिवालिया	बट्टे खाते में डाला गया	विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गयी
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,760.10	4,987.73	1,097.47	1,136.14	721.46	4.65	76.35	0	2,724.03
2	वाहनों पर कर	647.63	493.39	147.89	4.90	---	---	---	---	494.85
3	राज्य उत्पाद	84.72	38.91	56.61	7.65	0.07	0.11	---	0.16	20.12
कुल		**6,492.45**	**5,520.03**							

लेखापरीक्षा के सक्रिय अनुसरण के बावजूद अन्य राजस्व शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2024 तक के बकाया राजस्व, लंबित संग्रहण की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई (सितंबर 2025)।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकलाप हेतु प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ कंडिकाओं पर स्वतः कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने इन्हें जाँच हेतु चयनित किया हो या नहीं। विभागों को पी.ए.सी. को, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षित, विस्तृत की गई कार्रवाई टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करनी थी, जिसमें उनके द्वारा की गई या प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई इंगित की गयी हो।

वर्ष 2008-09 से 2021-22 तक के राजस्व पर लेखापरीक्षा कंडिकाओं में 302 लेखापरीक्षा कंडिकाएं हैं। इनमें से, पी.ए.सी. ने 136 कंडिकाओं पर चर्चा की है और तीन कंडिकाओं और 16 उप-कंडकाओं के संबंध में सिफारिशें की हैं। पुनः, एक ए.टी.एन. प्राप्त हुआ है और एक कंडिका के मामले में विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है।

पुनः, 2000-01 से 2007-08 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभागों पर छोड़े गए थे, इनमें 270 लंबित कंडिकाएं थे, जिनमें से 90 कंडिकाओं पर पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु चयनित किया गया था। इसके विरूद्ध, पी.ए.सी. ने पाँच कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ की थीं, दो कंडिकाओं के संबंध में ए.टी.एन. प्राप्त हुए थे और दो कंडिकाओं के संबंध में विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जैसा कि **तालिका 1.5** में विस्तार से वर्णित है।

तालिका-1.5: पी.ए.सी. चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2007-08 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष 2008-09 से 2021-22 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	270	302
पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु चयनित	90	136
पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु नहीं ली गयी	180	166
पी.ए.सी. के द्वारा अनुशंसा की गयी	5 कंडिकाएं	3 कंडिकाएं 16 उप-कंडिकाएं
ए.टी.एन. प्राप्त	2	1[2]
विभागों के द्वारा की गयी कार्रवाई	2	1[2]

[2] पी.ए.सी. प्रतिवेदन संख्या 18, कंडिका 7.6.1/AR 2009-10, रॉयल्टी के विलंब से भुगतान पर ब्याज का गैर उदग्रहण, खनन विभाग, झारखण्ड सरकार

1.5 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा संपन्न होने के पश्चात, लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को तथा उसकी प्रतियाँ उनके उच्च अधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिए निर्गत करता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

वर्ष 2008-09 से 2023-24 तक जारी की गई नि.प्र. की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2024 तक 1,187 नि.प्र. से संबंधित 10,987 कंडिकाएँ बकाया थे। इन नि.प्र. में बताई गई संभावित वसूल की जा सकने वाली राजस्व ₹ 19,007.64 करोड़ थी, जबकि 2023-24 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 41,429.90 करोड़ थी। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया हैं।

तालिका-1.6

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विभाग	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	313	5,728	8,938.52
		प्रवेश कर	5	5	9.54
		विद्युत पर कर एवं शुल्क	12	55	93.65
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	178	936	1,409.82
3	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	128	936	4,560.56
4		मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	168	870	37.75
5	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	204	1,578	1,170.17
6	खनन एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	179	879	2,787.63
कुल			**1,187**	**10,987**	**19,007.64**

2008-09 से निर्गत किए गए 321 नि.प्र. के प्रथम जवाब भी, जिसे नि.प्र. निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अंदर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना है, प्राप्त नहीं हुए।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के तीन विभागों[3] को शामिल किया गया था और 2023-24 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू राजस्व और मुद्रांक और निबंधन शुल्क से संबंधित 144 लेखापरीक्षायोग्य इकाइयों में से 40 (27.78 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना-जाँच की गई। इन तीन विभागों में, 2022-23 के दौरान

[3] उत्पाद एवं मद्य निषेध; राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार एवं परिवहन विभाग

₹ 4,738.29 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया, जिसमें से 40 लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 3,346.70 करोड़ (70.63 प्रतिशत) संग्रहित किया। 40 लेखापरीक्षित इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने परिवहन वाहनों से कर का गैर-संग्रहण, एकमुश्त कर की गैर-वसूली, हरित कर का गैर-उद्ग्रहण, निर्माण उपकरण वाहनों से एकमुश्त कर का कम उद्ग्रहण, थोक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनिवार्य न्यूनतम स्कन्ध के रखरखाव के लिए अर्थदण्ड का कम उद्ग्रहण, पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण आदि पाया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने **"झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/ जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली"** पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.प.) किया। लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताओं का वित्तीय निहितार्थ ₹ 1,065.86 करोड़ था, जिसमें से संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 1,91,066 मामलों में ₹ 1,065.86 करोड़ की कम-आकलन और अन्य कमियों को स्वीकार किया और 4,247 मामलों में ₹ 15.65 करोड़ की वसूली की।

इस प्रतिवेदन में **"झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली"** पर वि.वि.अ.ले.प. के निष्कर्ष और वर्ष के दौरान आयोजित उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की लेखापरीक्षा पर आधारित दो कंडिकाएं शामिल हैं। प्रतिवेदन में शामिल अनियमितताओं का वित्तीय प्रभाव ₹ 524.22 करोड़ है, जिसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 524.22 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है और ₹ 15.65 करोड़ की वसूली की है।

इंगित की गई त्रुटियाँ/चूक परीक्षण लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। इसलिए, विभाग/सरकार सभी इकाइयों की गहन समीक्षा कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और ऐसी ही त्रुटियां/चूक हुई है या नहीं, और, यदि ऐसा हो, तो उन्हें सुधारें और एक ऐसी प्रणाली स्थापित करें ताकि ऐसी त्रुटियों/चूक को रोका जा सके।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

वर्तमान प्रतिवेदन में कर और गैर-कर प्राप्तियों से संबंधित अवलोकन शामिल हैं, जिसमें एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और दो अन्य अवलोकन/कंडिकाएं शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण अवलोकनों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में संक्षेप में चर्चा की गई है।

झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली

परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की गई आवश्यक नागरिक-केंद्रित सेवाओं और राज्य की राजस्व प्राप्तियों में इसके योगदान के मद्देनजर "झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./ जि.प.का.) की कार्यप्रणाली" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

(वि.वि.अ.ले.प.) आयोजित की गई थी। झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण (रा.प.प्रा.), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (क्षे.प.प्रा.) और जिला परिवहन कार्यालयों (जि.प.का.) के भीतर संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अगस्त 2024 और मार्च 2025 के बीच 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए एक लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

लेखापरीक्षा ने इष्टतम राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों, बेहतर निगरानी और सख्त अनुपालन की तत्काल आवश्यकता को ध्यान रखा। मोटर वाहन कर और शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण में अनियमितताओं पर भी ध्यान रखा गया। परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के तीन कार्यालयों और झारखण्ड में छह जिला परिवहन कार्यालयों के नमूना-जाँच पर आधारित इस प्रतिवेदन का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹ 415.89 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, 2023-24 में 13 जि.प.का. और दो क्षे.प.प्रा. के अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान निर्गत की गई ₹ 96.67 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ वाले लेखापरीक्षा अवलोकनों को भी इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नवत संक्षिप्त किया गया है:

विभाग ने मसौदा समझौते में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (एल.एल.) के लिए ₹ 25 का निश्चित शुल्क का प्रावधान शामिल किया, जबकि विक्रेता एल.एल. की छपाई के अलावा कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे। विभाग द्वारा वसूले जाने वाले ₹ 150 के वैधानिक शुल्क के अतिरिक्त यह शुल्क, एल.एल. के इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है। नतीजतन, विक्रेता ने 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान आवेदकों से ₹ 4.09 करोड़ संग्रहित किए।

कंडिका 2.3.2.1

मोटर वाहन अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 2019 से 2024 की अवधि के दौरान पाँच नमूना-जाँचित जि.प.का. में 18 साल से कम उम्र के आवेदकों को गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए 305 चालक अनुज्ञप्ति जारी किए गए थे। यह पाया गया कि इसका कारण सारथी में प्रावधानों का अनियमित मानचित्रण होना था।

कंडिका 2.3.2.2

विभाग ने स्वचालित चालन परीक्षण पथ स्थापित नहीं किए जैसा कि आवश्यक था और अस्थायी, घटिया पथों पर चालन परीक्षण आयोजित किए जिससे चालक योग्यता मूल्यांकन की पर्याप्तता के बारे में चिंताएं बढ़ गईं।

कंडिका 2.3.2.4, 2.3.2.5, 2.3.2.6

2019-24 के दौरान 6,640 वाहनों को जारी किए गए अस्थायी पंजीकरण (टी.आर.) का बाद में स्थायी पंजीकरण नहीं हुआ। वाहन एप्लीकेशन में चेतावनी के अभाव और टी.आर. के अनुश्रवण करने में जि.प.का. की अक्षमता के कारण सड़कों पर अपंजीकृत

वाहनों की आवाजाही का खतरा बढ़ गया और इसने कर के अपवंचन के अवसर भी प्रदान कर दिया।

कंडिका 2.3.3.1

अप्रैल 2004 और मार्च 2009 (1,320 व्यक्तिगत और 1,108 परिवहन वाहनों) के बीच पंजीकृत वाहन समाप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ बिना नवीकरण, निरसन या समर्पण के बिना संचालित हुए, इससे शुल्क और करों में ₹8.72 करोड़ का गैर-उद्ग्रहण हुआ। यह भी देखा गया कि 18,843 व्यक्तिगत वाहनों की विक्रय मूल्य (मोटर वाहन कर की गणना के लिए आवश्यक) वाहन एप्लीकेशन में दर्ज नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप कर का गैर-आकलन हुआ। पुनः, अप्रैल 2022 और मार्च 2024 के दौरान 15 साल से अधिक पुराने 2,690 परिवहन वाहनों के दुरूस्ती प्रमाण पत्र (सी.एफ.), बिना उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर.सी.) नवीकरण किये हुए, नवीकृत किये गये थे।

2023-24 में 13 नमूना-जाँचित जि.प.का. की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने इसी प्रकार के मामले पाए, जिसमें 7,748 नमूना-जाँचित परिवहन वाहनों में से, 1,835 वाहनों के सी.एफ. और 15 वर्ष से अधिक पुराने 2,099 वाहनों जिनका आर.सी., 1 अप्रैल 2022 से नवीकरण हेतु लंबित थे। परिणामस्वरूप सी.एफ. और आर.सी. नवीकरण शुल्क की राशि ₹2.55 करोड़ का गैर-उदग्रहण हुआ।

कंडिका 2.3.3.2

31 जनवरी 2019 से पूर्व पंजीकृत 2,686 निर्माण उपकरण वाहनों (सी.ई.भी.) को, संशोधित प्रावधानों के अनुसार उनकी लागत मूल्य के आधार पर एकमुश्त कर (ओ.टी.टी.) उदग्रहण के बजाय उनके पंजीकृत लदान भार (पं.ल.भा.) के आधार पर "माल वाहन" के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत और करारोपित किया गया था। इस गलत वर्गीकरण के कारण 112 वाहनों पर ₹ 2.01 करोड़ की राशि के करों का कम उद्ग्रहण हुआ। शेष 2,574 वाहनों का विक्रय मूल्य वाहन एप्लीकेशन में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे ओ.टी.टी. का आकलन नहीं किया जा सका।

इसी तरह की विसंगतियां 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गईं, जिसमें 89 परिवहन वाहनों को सी.ई.वी. के बजाय माल वाहनों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ की राशि के करों का कम उद्ग्रहण हुआ। शेष 517 वाहनों पर ओ.टी.टी. का आकलन नहीं किया जा सका क्योंकि उनका विक्रय मूल्य वाहन एप्लीकेशन में दर्ज नहीं किया गया था।

कंडिका 2.3.3.6

वाहन एप्लीकेशन के माध्यम से अस्थायी पंजीकरण (टी.आर.) जारी करने के लिए विभाग की अक्षमता के कारण, मेसर्स टाटा मोटर्स ने छह महीने के बजाय एक महीने की वैधता के साथ टी.आर. जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप 2021-24 की अवधि के दौरान ₹ 327.35 करोड़ का कम संग्रहण हुआ। पुनः, विक्रेताओं को बेचे गए

379 वाहनों को टी.आर. के बजाय व्यापार पंजीकरण चिन्ह (व्या.पं.चि.) का उपयोग करके अनियमित रूप से भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.92 लाख के कर का अपवंचन हुआ।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, यह अवलोकन किया गया कि मेसर्स टाटा मोटर्स ने 2022-23 के दौरान विक्रेताओं को विक्रय किये गये 687 वाहन व्या.पं.चि. पर भेजे, परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ की शुल्कों और करों का गैर-उद्ग्रहण हुआ था।

कंडिका 2.3.3.8

दुरूस्ती प्रमाण पत्र (सी.एफ.) नवीकरण की पहचान करने और लागू करने के लिए एक तंत्र की कमी के कारण समाप्त हो चुके सी.एफ. के साथ 4,458 वाहन संचालित थे, परिणामस्वरूप नवीकरण शुल्क और जुर्माना में ₹ 7.58 करोड़ की गैर-वसूली हुई। इसके अलावा, एक प्रणालीगत खामी के कारण वाहन एप्लिकेशन हरित कर को 'मोटर वाहन कर भुगतान' खंड के बजाय 'सी.एफ. नवीकरण' खंड से जोड़ रहे थे परिणामस्वरूप सी.एफ. की समाप्ति वाली अवधि के दौरान हरित कर का गैर-उद्ग्रहण हुआ, जिसके कारण पुनः ₹ 60.13 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, 13 नमूना जाँचित जि.प.का. में 6,003 परिवहन वाहनों, जिनका सी.एफ. समाप्त हो चुका था, संचालित पाये गये, परिणामस्वरूप ₹ 7.27 करोड़ की शुल्क और जुर्माना का गैर-उदग्रहण हुआ।

कंडिका 2.3.4.2

2019-24 के बीच तीन क्षे.प.प्रा. द्वारा जारी 14,984 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों में से, 1,443 रा.अ. का अनुवर्ती वार्षिक प्राधिकार नवीकृत नहीं किए गए थे, परिणामस्वरूप समेकित और प्राधिकरण शुल्क की राशि ₹ 5.26 करोड़ की गैर-वसूली हुई। पुनः, 258 सार्वजनिक सेवा वाहनों जिनका कर और दुरूस्ती प्रमाण पत्र वैध थे के अनुज्ञापत्रों का नवीकरण नहीं किया गया था, जिससे ₹ 46.79 लाख की अनुज्ञापत्र शुल्क की गैर-वसूली हुई।

इसी प्रकार, 2023-24 की अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि दो क्षे.प.प्रा. में जारी किए गए 5,254 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र में से 1,461 के प्राधिकरण का नवीकरण नहीं किया गया था, जिसके कारण ₹ 5.62 करोड़ की राजस्व की गैर-वसूली हुई।

कंडिका 2.3.5.1 और 2.3.5.4

स्वचालित दुरूस्ती प्रबंधन प्रणाली (मई 2024) के शुभारंभ और स्वचालित परीक्षण केंद्रों (ए.टी.एस.) को अनिवार्य करने हेतु एम.ओ.आर.टी.एच. की अधिसूचना (सितंबर 2021) के बावजूद, जुलाई 2023 तक झारखण्ड में केवल एक ए.टी.एस. की स्थापना की गई थी, जिससे एकीकरण अधूरा रह गया और सी.एफ. अभी भी मैन्युअल रूप से जारी किए जा रहे थे। इसी प्रकार, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आर.भी.एस.एफ.)

स्थापित नहीं की गईं, परिणामस्वरूप वाहन स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग बुनियादी ढाँचे की स्थापना में विलंब हुआ।

कंडिका 2.3.6.1 और 2.3.6.2

परिवहन वाहनों से ₹ 22.34 करोड़, एकमुश्त कर प्रमादियों से ₹ 20.52 करोड़ और पारस्परिक समझौते वाहनों से ₹ 89.90 लाख के कर के गैर-उदग्रहण के कारण राजस्व संग्रहण में कमी आई थी।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 13 नमूना-जाँचित जि.प.का. में 6,925 परिवहन वाहनों के मालिकों से ₹ 62.93 करोड़ की मोटर वाहन कर और जुर्माना संग्रहण नहीं किया गया था। पुनः, 3,979 वाहन मालिकों से ₹ 10.93 करोड़ की ओ.टी.टी. और जुर्माना इन जि.प.का. में संग्रहित नहीं किए गए थे। पारस्परिक समझौतों के तहत संचालित 806 बसों में से, 80 बसों के ₹ 1.08 करोड़ मोटर वाहन कर, ₹ 0.72 करोड़ अर्थदंड सहित, के भुगतान में चूक पाई गयी थी।

कंडिका 2.3.7.2, 2.3.7.3 और 2.3.7.4

वाहन एप्लीकेशन में संशोधित कर संरचना के मानचित्रण में विभागीय निष्क्रियता के कारण पूर्व-संशोधित दरों पर एम्बुलेंस और कैम्पर वैन पर कर लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप तीन जि.प.का. में ₹ 37.40 लाख का राजस्व नुकसान हुआ।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 12 जि.प.का. में 191 एम्बुलेंस और कैम्पर वैन पर पूर्व-संशोधित दरों पर कर लगाया गया था, जिसके कारण ₹ 1.17 करोड़ की राशि का कर कम उदग्रहण हुआ।

कंडिका 2.3.7.6

वाहन एप्लीकेशन में विसंगतियों के कारण 820 मामलों में विलंबित मोटर वाहन कर भुगतान पर ₹ 27.71 लाख के अर्थदंड का उदग्रहण नहीं किया गया और इस चूक का पता कर अधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 13 जि.प.का. में 3,827 लेनदेन में कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 2.70 करोड़ की राशि का अर्थदंड कम लगाया गया था।

कंडिका 2.3.7.7

जनवरी 2021 और मार्च 2024 के बीच विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक पी.ओ.एस. मशीनों के माध्यम से संग्रहित ₹ 47.21 करोड़ की राशि बैंक द्वारा सरकारी खाते में दो से आठ महीने के विलंब के साथ प्रेषित किया गया था, जिसके लिए बैंक ₹ 1.23 करोड़ का दंडात्मक ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी था।

कंडिका 2.3.7.9

यह देखा गया कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान सी.एफ. के नवीकरण के दौरान ₹ 18.54 करोड़ की जी.एस.टी. की राशि संग्रहित की गई थी, जिसमें छह नमूना-जाँचित जि.प.का. के ₹ 9.95 करोड़ सम्मिलित थे। हालांकि, जी.एस.टी. पंजीकरण और एक पृथक्करण तंत्र की कमी कारण, राशि को उचित जी.एस.टी. शीर्षों के बजाय "0041-वाहनों पर कर" में गलत तरीके से जमा किया गया था।

कंडिका 2.3.7.10

मो.वा. अधिनियम के तहत दंडित 693 अतिभारित वाहनों से, सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम के तहत लगने वाला जुर्माना और अर्थदंड नहीं संग्रहित किया गया, जिससे ₹ 2.69 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अलावा, वेब्रिज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे मो.वा. अधिनियम के तहत जुर्माना लगाए जाने के बावजूद सार्वजनिक सड़कों पर अतिभारित वाहन संचालित थे।

कंडिका 2.3.8.2 और 2.3.8.4

अनुशंसाएं:

- **विभाग स्मार्ट कार्ड सेवाओं के लिए निविदा प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा कर सकता है और कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है और क्रय दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।**
- **विभाग सभी श्रेणी के वाहनों के लिए निर्धारित आयामों वाले स्वचालित चालक परीक्षण पथ के स्थापना की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है, ताकि नियमावलियों में निर्धारित चालक दक्षता परीक्षण किया जा सके।**
- **विभाग राज्य के सभी जिलों में स्वचालित परीक्षण केंद्र की स्थापना पर विचार कर सकता है तथा मो.वा.नि. को दुरूस्ती परीक्षण संचालित करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना एवं उपकरण उपलब्ध करवा सकता है।**
- **विभाग वे-ब्रिज की स्थापना पर विचार कर सकता है ताकि मो.वा. अधिनियम के अनुसार अतिभारित वाहनों को दंडित किया जा सके।**

अन्य अवलोकन/कंडिकाएं

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

थोक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शराब के अनिवार्य न्यूनतम स्कंध के गैर-संधारण के कारण ₹ 8.35 करोड़ के उत्पाद शुल्क के नुकसान के समतुल्य अर्थदण्ड का विभाग द्वारा कम उदग्रहण किया गया।

(कंडिका 2.6)

उत्पाद प्राधिकारियों की ओर से उचित तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप 42 बार और रेस्तराँ अनुज्ञप्तिधारियों, जिन्होंने 1 से 304 दिनों के बीच के विलंब के साथ कम उठाई गई शराब के समतुल्य राजस्व और न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व जमा किया था, पर ₹ 3.04 करोड़ के विलंब शुल्क का गैर-उद्ग्रहण हुआ।

(कंडिका 2.7)

अध्याय-II

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय-II: अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

परिवहन विभाग

2.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहन कर और शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001, झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) नियमावली, 2001, मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन (कें.मो.वा.) नियमावली, 1989 और झारखण्ड वित्तीय नियमावली द्वारा शासित होता है।

झारखण्ड का परिवहन विभाग मोटर वाहन कर और शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए जिम्मेदार है। विभाग के मुख्य कार्य पंजीकरण प्रमाण पत्र, दुरूस्ती प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र, वाहनों के लिए स्थायी और स्थानीय अनुज्ञापत्र, विक्रेताओं को व्यापार प्रमाण पत्र और व्यक्तियों को चालक/परिचालक अनुज्ञप्ति जारी करना है।

विभाग के सचिव राज्य परिवहन प्राधिकारी हैं जो परिवहन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और राज्य में अधिनियमों और नियमावलियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.), झारखण्ड विभाग का कार्यकारी प्रमुख हैं और परिवहन विभाग में अधिनियमों और नियमावलियों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.) और पाँच क्षेत्रों[4] के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (क्षे.प.प्रा.), 24 परिवहन जिलों[5] में जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.प.प.) और मोटर वाहन निरीक्षक (मो.वा.नि.) उनकी सहायता करते हैं। ये विभागीय पदाधिकारी विभिन्न मो.वा. अधिनियमों और नियमावलियों के तहत किए गए अपराधों के शमन एवं कर और अर्थदण्ड उद्ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 32 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों (50 प्रतिशत) में से 16[6] के अभिलेखों की नमूना-जाँच की। 2022-23 की अवधि के दौरान, 68,81,602 वाहन पंजीकृत थे, जिनमें से 52,72,083 वाहन नमूना-जाँचित इकाइयों में पंजीकृत थे। लेखापरीक्षा ने 1,88,725 पंजीकृत वाहनों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की। वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग द्वारा एकत्र राजस्व कुल मिलाकर

---

4 चाईबासा दुमका, हजारीबाग, पलामू और राँची।

5 बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरीडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी (मार्च 2015 में अधिसूचित), कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़ (अप्रैल 2015 में अधिसूचित), राँची, साहिबगंज, सराईकेला-खरसावां और सिमडेगा।

6 जिला परिवहन कार्यालयः बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, राँची और साहिबगंज; क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणः दुमका और हजारीबाग और राज्य परिवहन प्राधिकरण, झारखण्ड सरकार, राँची।

₹ 1,573.91 करोड़ हो गया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 1,258.30 करोड़ (80 प्रतिशत) एकत्र किया। लेखापरीक्षा जाँच में करों की गैर/कम उद्ग्रहण, करों की कम उद्ग्रहण, वाहनों के गलत वर्गीकरण आदि के कारण ₹ 325.50 करोड़ राशि के 1,88,725 मामले उद्घटित हुए, जैसा कि **तालिका-2.1** में दिखाया गया है।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली	1	415.89
2	अस्थायी पंजीकरण जारी करने के लिए शुल्क और करों की कम वसूली	1,49,997	215.97
3	परिवहन वाहनों से कर का संग्रहण न होना	7,686	62.95
4	परिवहन वाहनों और निर्माण वाहनों से एकमुश्त कर का गैर संग्रहण	3,635	10.26
5	अन्य	27,407	36.32
कुल		**1,88,726**	**741.39**

विभाग ने सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया और ₹ 13.57 करोड़ की वसूली की। अनुवर्ती कंडिकाओं में ₹ 512.83 करोड़ की राशि के 27,087 मामलों वाली अनियमितताओं पर चर्चा की गई है।

2.3 झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली

2.3.1 परिचय

यांत्रिक चालित वाहनों का विनियमन और शासन, जिसमें कर लगाने के सिद्धांत भी शामिल हैं, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 35) के अंतर्गत आता है। इस द्वैध अधिकार क्षेत्र के कारण केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मोटर वाहनों से संबंधित कानून बनाने और नियम लागू करने का अधिकार प्राप्त है। संसद ने एक समान वैधानिक संरचना प्रदान करने हेतु मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 अधिनियमित किया, जो चालक अनुज्ञप्ति जारी करने, वाहनों का पंजीकरण, अनुज्ञापत्र प्रदान करने, स्टेज कैरिज (मार्गीय यात्री वाहन) के लिए परिचालक अनुज्ञप्ति जारी करने तथा सड़क सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन जैसे विषयों को शासित करता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एच.), भारत सरकार राष्ट्रीय नीतियां तैयार करता है तथा मो.वा. अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अनुपालन की निगरानी करता है। राज्य परिवहन विभाग इन कानूनों को स्थानीय स्तर पर लागू करता है और परिवहन अवसंरचना के विकास का प्रबंधन करता है, जबकि राज्य परिवहन प्राधिकरण (रा.प.प्रा.) राज्य स्तर पर मोटर वाहन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। भारत सरकार ने दक्षता और पारदर्शिता में सुधार हेतु "सारथी" (चालक अनुज्ञप्ति हेतु) और "वाहन" (वाहन सेवाओं हेतु) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किए, जिनका नवीनतम संस्करण (सारथी 4.0 और वाहन 4.0), जून 2015 में शुरू किया गया तथा फरवरी 2017 से राज्य में लागू किया गया।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) का परिवहन विभाग (प.वि.) अपने प्रशासनिक और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मोटर वाहन संबंधी विनियमों के क्रियान्वयन और प्रवर्तन की निगरानी करता है। सचिव, प.वि. के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं तथा नीति और प्रशासनिक मामलों में सरकार के प्रधान सलाहकार होते हैं।

प.वि. की संगठनात्मक संरचना **चार्ट-2.1** में प्रदर्शित है। जैसा कि चार्ट में प्रदर्शित किया गया है राज्य में पाँच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (प्रमण्डल स्तर पर प्रत्येक में एक) तथा 24 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) हैं।

चार्ट-2.1: प.वि., झारखण्ड सरकार का संगठनात्मक संरचना

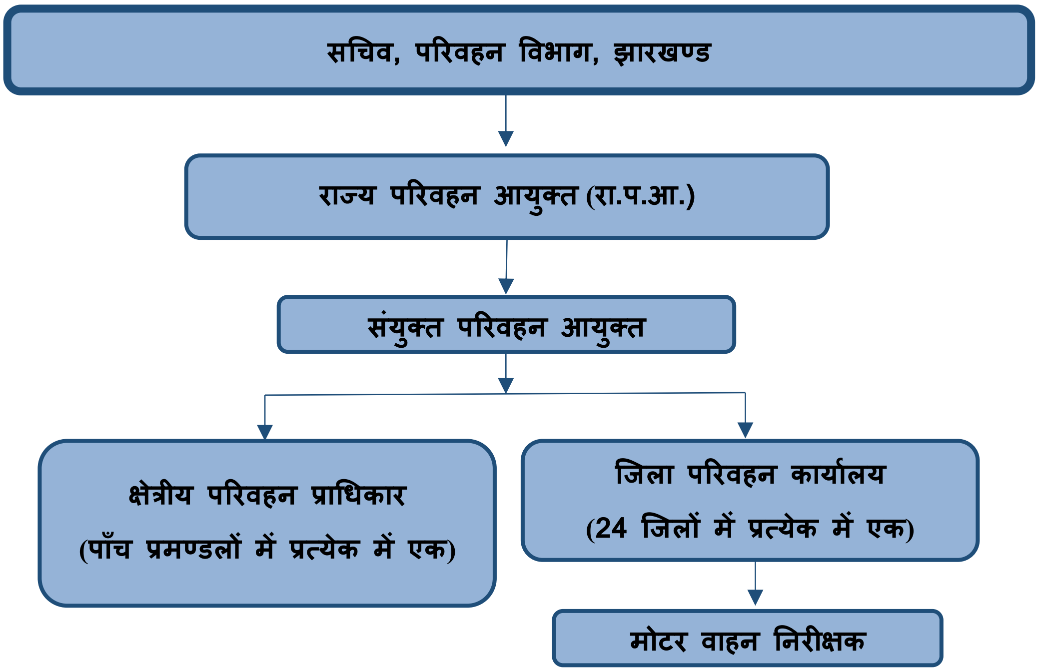

जि.प.का./क्षे.प.प्रा. द्वारा अनुज्ञप्ति, वाहन पंजीकरण, अनुज्ञापत्र, दुरूस्ती प्रमाणपत्र, राजस्व संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम/नियमावली के प्रवर्तन का प्रभावी प्रबंधन किया गया है या नहीं, तथा जन सेवाओं के कुशल वितरण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.प.) की गई।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की आच्छादित अवधि हेतु अगस्त 2024 से मार्च 2025 के बीच लेखापरीक्षा की गई। इसमें राज्य के 24 जि.प.का. में से छह और तीन क्षे.प.प्रा. (छह नमूना जाँचित जि.प.का. का आच्छादन करने वाले) में आंकड़े विश्लेषण, विभागीय कार्यालयों पर सत्यापन, तथा सड़क सुरक्षा पहलों, चालक परीक्षणों, वाहन दुरूस्ती मूल्यांकन, प्रवर्तन कार्यवाहियों और अन्य संबंधित कार्यों का मूल्यांकन शामिल था। 13 नमूना-जाँचित जि.प.का.[7] और दो क्षे.प.प्रा.[8] में अनुपालन लेखापरीक्षा (2023-24) के दौरान पाये गये समान प्रकृति के अवलोकनों को भी शामिल किया गया है।

सचिव, प.वि., झा.स. के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (09 जुलाई 2024) आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विभाग के सचिव के साथ बहिर्गमन सम्मेलन (06 जून 2025) आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार/विभाग की यथा प्राप्त प्रतिक्रियाएँ इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

राजस्व संग्रह की प्रवृत्ति

मो.वा. अधिनियम एवं नियमावलियों के अंतर्गत संग्रहित किए गए मोटर वाहन कर, हरित कर, उपकर तथा विभिन्न शुल्क प.वि. के कुल राजस्व का हिस्सा हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, परिवहन विभाग का राज्य के कुल कर राजस्व में 6.27 प्रतिशत का योगदान का रहा। गत पाँच वर्षों में विभाग द्वारा किए गए राजस्व संग्रह की प्रवृत्ति **तालिका-2.2** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका-2.2: राजस्व संग्रह की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कर राजस्व	मोटर वाहन पर कर	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	कर राजस्व की प्रतिशतता
2019-20	16,771	1,128.98	30.67	6.73
2020-21	16,880	976.35	(-)13.52[9]	5.78
2021-22	21,290	1,262.78	29.34	5.93
2022-23	25,118	1,573.77	24.63	6.27
2023-24	28,005	1,756.40	11.60	6.27

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, झारखण्ड सरकार

[7] बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, राँची और साहिबगंज।

[8] हजारीबाग और दुमका।

[9] कोविड-19 महामारी के कारण।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.2 चालक अनुज्ञप्ति जारी करना

लेखापरीक्षा में चालक अनुज्ञप्तियों के प्रबंधन, चालक परीक्षणों के संचालन, चालक विद्यालयों/प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन तथा विभागीय कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन और निगरानी में कमियाँ पाई गईं, जिनका विवरण अनुवर्ती कंडिकाओं प्रस्तुत की गई है।

2.3.2.1 अनुबंध प्रबंधन

मो.वा. अधिनियम की धारा 8, कें.मो.वा. नियमावली के नियम 11 से 13 के साथ पठित, के अंतर्गत शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (एल.एल.) को सारथी पोर्टल पर आवेदक द्वारा ऑनलाइन सुरक्षित चालन अनुशिक्षण पूरा करने और ई-परीक्षण उत्तीर्ण करने के बाद मुद्रण योग्य प्रपत्र-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाना है। कें.मो.वा. नियमावली के नियम 32 (अध्याय-II) के अनुसार, एल.एल. परीक्षण के लिए शुल्क ₹50 तथा एल.एल. जारी करने के लिए शुल्क ₹150 निर्धारित है। निर्धारित शुल्क जमा कर भौतिक चालक परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात अंतिम में चालक अनुज्ञप्ति (डी.एल.) को स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किया जाता है।

विभाग ने स्मार्ट कार्ड आधारित सेवाओं के लिए पूर्ववर्ती विक्रेताओं के साथ अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात, सितंबर 2015 में प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.पी.एफ.) तथा अनुबंध का मसौदा जारी किया, जिसमें सेवाप्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कार्यक्षेत्र की रूपरेखा शामिल थी। इसमें सम्मिलित थे:

i. स्मार्ट कार्ड आधारित डी.एल. का वैयक्तिकरण।

ii. स्मार्ट कार्ड आधारित वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्रों (वी.आर.सी.) का वैयक्तिकरण।

iii. कागज़ आधारित एल.एल. की छपाई।

iv. इंटरनेट प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके सेवाओं का वितरण।

v. अवसंरचना की गुणवत्ता में वृद्धि।

vi. भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का कुशल भंडारण और प्रबंधन।

अनुबंध मसौदा में निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे:

- अनुच्छेद 7.2 के अंतर्गत, प.वि. के दवारा प्रत्येक एल.एल. के प्रसंस्करण और निर्गमन पर सेवाप्रदाता उपयोगकर्ताओं से नियत शुल्क ₹25 का मांग, संग्रह और वसूल कर रख सकेगा।
- अनुच्छेद 7.3.1 के अंतर्गत, सेवा प्रदाता प्रत्येक उपयोगकर्ता से स्मार्ट कार्ड आधारित चालक अनुज्ञप्ति (डी.एल.) तथा वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (वी.आर.सी.) के लिए ₹ 41.70 का सेवा शुल्क संग्रहण करेगा।
- अनुच्छेद 7.3.2 में प्रावधान किया गया था कि स्मार्ट कार्ड शुल्क में प्रत्येक दो वर्ष पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

- अनुबंध की परिशिष्ट-एफ में वह प्रारूप दिया गया था, जिसमें स्मार्ट कार्ड शुल्क हेतु मूल्य प्रस्ताव और दर उद्धरण समर्पित किए जाने थे।

आर.पी.एफ. के परिशिष्ट-एफ में निर्धारित प्रारूप के अनुसार चार निविदादाताओं ने अपने स्मार्ट कार्ड प्रसंस्करण शुल्क के प्रस्ताव उद्धृत किए, जिनका विवरण **तालिका-2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.3: निविदादाता द्वारा उद्धृत स्मार्ट कार्ड प्रसंस्करण शुल्क

क्र. सं.	निविदादाता का नाम (मेसर्स)	उद्धृत स्मार्ट कार्ड प्रसंस्करण शुल्क (₹)	श्रेणी
1	ए.के.एस. सॉफ्टवेयर लिमिटेड	189.00	L4
2	रॉसमेर्टा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड	41.70	L1
3	स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड	54.18	L2
4	यूनाइटेड टेलीकॉम्स लिमिटेड	132.00	L3

स्रोत: विभागीय संचिका

प.वि., झा.स. द्वारा स्मार्ट कार्ड परियोजना के लिए मेसर्स रॉसमेर्टा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को सफल निविदादाता घोषित किया गया तथा स्वीकृति पत्र निर्गत (15 जनवरी 2016) किया गया। तत्पश्चात, परिवहन आयुक्त, झा.स. और मेसर्स रॉसमेर्टा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बीच दस वर्ष की अवधि के लिए एक अनुबंध निष्पादित (23 फरवरी 2016) किया गया।

लेखापरीक्षा की नमूना-जाँचित जि.प.का. में सारथी आँकड़ा तथा स्मार्ट कार्ड सेवाओं से संबंधित अनुबंध संचिकांओं की जाँच में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

i. परिशिष्ट-एफ से यह देखा गया कि निविदा केवल डी.एल. हेतु स्मार्ट कार्ड शुल्क के शीर्ष तक सीमित थी, जबकि अनुच्छेद 7.2 के अंतर्गत ₹ 25 की नियत शुल्क राशि एल.एल. के लिए विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया से पूर्व ही मसौदा समझौते में एकपक्षीय ढंग से निर्धारित कर दी गई थी। यह शुल्क कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 32 के अंतर्गत एल.एल. निर्गत करने हेतु विभाग द्वारा संग्रहित ₹ 150 के वैधानिक शुल्क के अतिरिक्त था।

ii. अनुच्छेद 7.2 के अंतर्गत प.वि. द्वारा प्रसंस्कृत एवं निर्गत किए गए एल.एल. के लिए निर्धारित नियत शुल्क लिया जाना था, जबकि इन मामलों में सेवाप्रदाता द्वारा आर.एफ.पी. में निर्दिष्ट एल.एल. की मुद्रण के अलावा कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान नहीं की थी। साथ ही, एल.एल. की मुद्रित प्रति निर्गत करना अधिनियम/नियमावलियों, जिनमें एल.एल. को मुद्रण योग्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने का प्रावधान है, के विपरीत था।

iii. सेवाप्रदाता ने एल.एल. हेतु नियत शुल्क को वृद्धि खण्ड के साथ संरेखित करते हुए अनियमित रूप से इसमें प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की, जबकि यह वृद्धि प्रावधान केवल अनुच्छेद 7.3.2 में उल्लिखित स्मार्ट कार्ड प्रसंस्करण शुल्क (डी.एल. एवं वी.आर.सी. के लिए) पर ही लागू था।

हालाँकि लेखापरीक्षा ने (मार्च 2025) विभाग से सेवाप्रदाता द्वारा 2017-24 के दौरान नियत शुल्क के रूप में ली गयी शुल्क दरों का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था, परंतु यह जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी और अब तक अप्राप्त है (सितंबर 2025)।

विभाग की परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) द्वारा प्रदान किए गए आँकड़ों/सूचनाओं के अनुसार, वर्ष 2017 से 2024 के दौरान कुल 16,37,301 एल.एल. जारी किए गए। इस प्रकार, सेवाप्रदाता द्वारा कुल ₹ 4.09 करोड़ (₹25 प्रति एल.एल. की दर से) शुल्क के रूप में वसूल किए गए, जैसा कि **तालिका-2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.4: प.वि. द्वारा प्रसंस्कृत एवं निर्गमित शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति और सेवाप्रदाता द्वारा संग्रहित किए गए शुल्क

वित्तीय वर्ष	निर्गत एल.एल. की संख्या	दर प्रति एल.एल. (₹)	कुल शुल्क प्रभारित (₹)
2017-18	1,81,393	25	45,34,825
2018-19	1,77,896	25	44,47,400
2019-20	3,37,107	25	84,27,675
2020-21	1,69,822	25	42,45,550
2021-22	2,42,515	25	60,62,875
2022-23	2,58,046	25	64,51,150
2023-24	2,70,522	25	67,63,050
कुल	**16,37,301**		**4,09,32,525**

इस प्रकार, प.वि. स्मार्ट कार्ड आधारित सेवाओं के लिए निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, इसने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जब सेवाप्रदाता ने समय-समय पर नियत शुल्क में अनियमित रूप से वृद्धि की। यह न केवल संविदा प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विभागीय अधिकारियों की सतर्कता की कमी को दर्शाता है, बल्कि सेवाप्रदाता के साथ संभावित मिलीभगत की आशंका भी उत्पन्न करता है। परिणामस्वरूप, अधिनियम/नियमावलियों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए केवल एल.एल. की मुद्रण के लिए अनुमानित ₹ 4.09 करोड़ का वित्तीय लाभ सेवाप्रदाता को प्रदान किया गया।

विभाग ने आर.एफ.पी. एवं अनुबंध में ₹ 25 की अतिरिक्त राशि वसूलने के प्रावधान पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि यह बताया (मई 2025) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के प्रत्युत्तर में सेवाप्रदाता ने बढ़ाई गई शुल्क राशि को घटा दिया है। पुनः, बहिर्गमन

सम्मेलन (जून 2025) के दौरान सचिव, प.वि. ने आश्वासन दिया कि सेवाप्रदाता चयन प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।

अनुशंसा 1: विभाग स्मार्ट कार्ड सेवाओं के लिए निविदा प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा कर सकता है और कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है और क्रय दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

2.3.2.2 डी.एल. प्रदान करने के लिए प्रावधानों का मानचित्रण

मो.वा. अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है, किसी सार्वजनिक स्थल पर मोटर वाहन नहीं चला सकता। अधिनियम में हालांकि यह प्रावधान है कि 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद कोई व्यक्ति बिना गियर वाले मोटरसाइकिल चलाने के लिए एल.एल./डी.एल. के लिए आवेदन कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने सारथी आँकड़ाकोष में "जन्म तिथि", "वाहन वर्ग" और "डी.एल. जारी करने की तिथि" से संबंधित खंड का विश्लेषण किया और पाया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों को 1,652 डी.एल. मोटरसाइकिलों के लिए जारी किए गए। पुनः, विश्लेषण में पाया गया कि इनमें से 386 डी.एल. गियर वाले मोटरसाइकिलों के लिए जारी किए गए थे, जिनमें से 305 डी.एल. छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में से पाँच[10] में जारी किए गए थे। यह त्रुटि सारथी में प्रावधानों के अनियमित मानचित्रण के कारण हुई, जो ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करने में विफल रही जो अवयस्क आवेदकों को गियर वाले मोटरसाइकिलों के लिए डी.एल. जारी करने के लिए थे। जि.प.का. या विभाग ने भी दस्तावेज़ों की जाँच एवं अनुज्ञप्ति स्वीकृति के दौरान इस अनियमितता का पता नहीं लगाया। परिणामस्वरूप, 16 से 18 वर्ष के आवेदकों को गियर वाले मोटरसाइकिल चलाने हेतु चालक अनुज्ञप्ति जारी किए गए, जो मो.वा. अधिनियम का उल्लंघन था।

प.वि. ने बताया (जून 2025) कि नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर (एन.आई.सी.) को सारथी में मो.वा. अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 10 के प्रावधानों का मानचित्रण अधिनियम के अनुरूप संशोधन करने का निर्देश (मई 2025 में) दिया गया है।

2.3.2.3 चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन

मो.वा. अधिनियम और कें.मो.वा. नियमावली में प्रावधान है कि मोटर वाहन चलाने की निर्धारित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा डी.एल. जारी किया जाता है। झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम एवं नियमावली में यह प्रावधान है कि मोटर वाहन चलाने हेतु चालक अनुज्ञप्ति 45 दिनों के अंदर प्रदान किया जाएगा।

[10] गिरीडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू और राँची

लेखापरीक्षा द्वारा सारथी आँकड़ाकोष के विश्लेषण में पाया गया कि नमूना-जाँचित छह जि.प.का. ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि में कुल 4,02,103 डी.एल. जारी किए। लेखापरीक्षा ने इनमें से 3,84,674 मामलों का नमूना जाँच की और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि की तुलना डी.एल. निर्गत करने की तिथि से की। यह पाया गया कि 44,291 डी.एल. परीक्षण उत्तीर्ण करने की तिथि से एक दिन से लेकर 1,549 दिनों तक के विलंब से जारी किए गए, जैसा कि **तालिका-2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.5: डी.एल. जारी करने में विलंब

क्र. सं.	जि.प.का.	निर्गत किए गए डी.एल. की कुल संख्या	विश्लेषित मामलों की संख्या	डी.एल. जारी करने में विलंब की अवधि निर्गत किए गए डी.एल. की संख्या						
				एक सप्ताह तक	एक माह तक	तीन माह तक	छह माह तक	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
1	गिरीडीह	42,543	40,330	1,555	3,475	2,843	1,793	2,526	178	**12,370**
2	हजारीबाग	57,306	49,645	1,626	3,636	2,821	1,320	1,088	383	**10,874**
3	जमशेदपुर	1,42,391	1,39,554	1,124	2,460	1,966	1,202	411	53	**7,216**
4	पलामू	35,956	34,644	554	1,163	1,022	322	359	120	**3,540**
5	राँची	1,01,957	99,642	1,455	2,694	1,717	2,119	412	165	**8,562**
6	सिमडेगा	21,950	20,859	147	412	459	186	430	95	**1,729**
कुल		**4,02,103**	**3,84,674**	**6,461**	**13,840**	**10,828**	**6,942**	**5,226**	**994**	**44,291**

लेखापरीक्षा ने डी.एल. निर्गत करने में हुए विलंब के कारणों का पता लगाने के लिए ऐसे 600 मामलों का नमूना जाँच की और पाया कि सारथी में परीक्षण परिणामों को दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ, जिसके कारण डी.एल. की स्वीकृति और निर्गमन में विलंब हुआ।

इस प्रकार, डी.एल. जारी करने में अनुज्ञप्ति प्राधिकरण की ओर से हुई देरी के कारण राज्य सरकार द्वारा 45 दिनों के भीतर चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने की दी गई आश्वासन पूरी नहीं हो सकी।

प.वि. ने अपने जवाब में बताया (जून 2025) कि एन.आई.सी. को सारथी में एक चेतावनी प्रणाली बनाने का निर्देश (मई 2025) दिया गया है, ताकि डी.एल. का ससमय निर्गमन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सभी जि.प.का. को परीक्षण परिणामों को पोर्टल पर तत्काल दर्ज करने का निर्देश (मई 2025) दिया गया है।

2.3.2.4 चालक परीक्षण पथ

मो.वा. अधिनियम की धारा 9(3) में अधिदेशित है कि डी.एल. के आवेदक को निर्धारित दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कें.मो.वा. नियमावली के नियम 15 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि वाहन चलाने की दक्षता का परीक्षण, जिसमें अन्य आवश्यकताओं के साथ पहाड़ी मार्ग पर वाहन चलाना, उचित संकेतों के साथ लेन बदलना, वाहन को पीछे की ओर चलाना आदि, शामिल है, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानी थी। राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति एवं मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और बिना चालक परीक्षण के डी.एल. जारी करने

के लिए फॉर्म 5बी में प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (जे.एस.आर.एस.एफ.) नियमावली, 2016 के तहत प्रत्येक जि.प.का. में एक कम्प्यूटरीकृत स्वचालित चालक परीक्षण पथ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान के द्वारा भी भारी मोटर वाहनों (भा.मो.वा.) के लिए पथ के आयामों से संबंधित दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि मार्च 2024 तक राज्य में कोई भी स्वचालित चालक परीक्षण पथ की स्थापना नहीं की गई थी। विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा माँगे जाने के बावजूद, चालक दक्षता जाँचने के लिए निर्धारित परीक्षण पथ के आयाम संबंधी विनिर्देश उपलब्ध नहीं कराए (मार्च 2025)।

छह नमूना जाँचित जि.प.का.[11] में चालक परीक्षण पथ का सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। कें.मो.वा. नियमावली के नियम 15 में रूपरेखित एवं नियम 31 में निर्दिष्ट परीक्षण आवश्यकताओं और मापदंडों के तहत समीक्षा करने पर पाया गया कि इन परीक्षण पथ में दक्षता परीक्षण के सभी घटकों जैसे कि पहाड़ी ढलान पर नीचे की गियर में त्वरित परिवर्तन करना; हाथ का ब्रेक या गति और पैर का ब्रेक का उचित उपयोग करते हुए बिना पीछे लुढ़के खड़ी चढ़ाई पर वाहन को रोकना और पुनः चालू करना, आगे निकलना, आगे निकलने देना, अन्य वाहनों के मार्ग पर सुरक्षित पार करना एवं आच्छादन (आगे निकलने के समय), उचित संकेतों और सावधानी से लेन बदलना, आदि, के परीक्षण के लिए आवश्यक आयामी विशिष्टताओं का अभाव था। इसके अतिरिक्त, ये पथ अस्थायी रूप से सार्वजनिक स्थलों, जैसे कॉलेज के मैदान या जिला प्रशासन के अन्य उपलब्ध स्थानों पर बनाए गए थे, जिनमें एकरूपता का अभाव था। पुनः यह पाया गया कि नमूना-जाँचित किसी भी जि.प.का. में भा.मो.वा. या परिवहन वाहनों के लिए पृथक परीक्षण पथ निर्दिष्ट नहीं किए गए थे।

जि.प.का. स्तर पर चालक परीक्षणों के संचालन हेतु उपयोग किए जा रहे चालक परीक्षण पथ **चित्र 2.1 से 2.6** में दर्शाए गए हैं।

[11] प्रत्येक जि.प.का. में केवल एक चालक परीक्षण पथ मौजूद था।

<table>
<tr><th colspan="2">छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में चालक परीक्षण पथ के चित्र</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>चित्र 2.1: सिमडेगा में परीक्षण पथ, नगर परिषद् के स्वामित्व वाला अल्बर्ट एक्का।</td><td>चित्र 2.2: गिरिडीह में परीक्षण पथ, राजकीय मध्य विद्यालय मैदान, पुलिस लाइन, गिरिडीह।</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>चित्र 2.3: जमशेदपुर में परीक्षण पथ, मेसर्स टिस्को के स्वामित्व वाला आम बागान मैदान।</td><td>चित्र 2.4: हजारीबाग में परीक्षण पथ, जिला परिवहन कार्यालय के सामने।</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>चित्र 2.5: पलामू में परीक्षण पथ, कॉलेज के स्वामित्व वाला जी.एल.ए. कॉलेज मैदान।</td><td>चित्र 2.6: राँची में परीक्षण पथ, मोरहाबादी मैदान, राँची, नगर परिषद राँची का स्वामित्व।</td></tr>
</table>

सारथी के अनुसार, राज्य में भा.मो.वा. के लिए वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल 68,280 डी.एल. जारी किए गए। इनमें से 33,957[12] अनुज्ञप्ति छह नमूना-जाँचित जि.प.का. द्वारा जारी किए गए। निर्धारित विशिष्ट पथ पर परीक्षण किए बिना तथा उचित परीक्षण अवसंरचना के अभाव में चालक अनुज्ञप्ति जारी किया जाना, आवेदकों की चालक दक्षता के मूल्यांकन की पर्याप्तता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। परीक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण चालक कौशल का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाता,

[12] गिरीडीह-4,938, हजारीबाग-16,603, जमशेदपुर-4,794, पलामू- 5,734, राँची-1,447 और सिमडेगा-441

जिससे अयोग्य चालकों को अनुज्ञप्ति जारी होने का जोखिम बढ़ जाता है। यह विषय इस तथ्य से और भी गंभीर हो जाती है कि राज्य में डी.एल. के प्रमाणन और निर्गमन हेतु स्वचालित चालक परीक्षण पथ का अभाव था।

परिणामस्वरूप, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण ऐसे पथों पर परीक्षण लेकर डी.एल. जारी कर रहे थे, जो नियमावली में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे।

प.वि. ने जवाब में बताया (जून 2025) कि सभी जि.प.का. को यह निर्देश दिया गया है (मार्च 2025) कि वे मो.वा. अधिनियमों और नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार निर्मित चालक परीक्षण पथ पर ही परीक्षण आयोजित करें।

अनुशंसा 2: विभाग सभी श्रेणी के वाहनों के लिए निर्धारित आयामों वाले स्वचालित चालक परीक्षण पथ के स्थापना की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है, ताकि नियमावलियों में निर्धारित चालक दक्षता परीक्षण किया जा सके।

2.3.2.5 चालक विद्यालय

मो.वा. अधिनियम की धारा 12, कें.मो.वा. नियमावली के नियम 24 के साथ पठित, में मोटर वाहनों के संचालन का प्रशिक्षण देने वाले “चालक विद्यालय या संस्थान” को अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रावधान है। नियमों के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए जि.प.प. को अनुज्ञप्ति प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया गया है, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया है। विद्यालय या संस्थान को दिए गए अनुज्ञप्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। पुनः, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को समय-समय पर निरीक्षण करना होता है और उसे अनुज्ञप्ति को निलंबित करने का अधिकार होता है, यदि कोई विद्यालय निर्धारित मानकों का पालन करने में विफल रहता है।

अग्रेत्तर, कें.मो.वा. नियमावली में अनुज्ञप्ति प्रदान और नवीकरण हेतु शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- व्याख्यान और नमूना के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए;
- प्रस्तावित विद्यालय या संस्थान के पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए कि इनका नियमित रखरखाव की व्यवस्था किया जा सके;
- आवेदक के पास उस प्रकार के कम से कम एक मोटर वाहन का स्वामित्व तथा रखरखाव होना चाहिए जिसमें कि विद्यालय या संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है; तथा
- यातायात संकेत चार्ट, गियर बॉक्स, पंचर किट, स्पैनर आदि जैसे उपकरणों, औजारों, टूलकिट और अन्य सामग्रियों का रखरखाव।

नियम 31 में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण करने पर, चालक विद्यालय प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र (फॉर्म-5) निर्गत करता है। परिवहन वाहन चलाने के लिए चालक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने के समय फार्म-5 प्रस्तुत करना आवश्यक है। पुनः,

विद्यालय, चालकों को फॉर्म 5-ए (भा.मो.वा. के ईंधन दक्ष चालक प्रशिक्षण) का प्रमाणपत्र भी जारी करता है, जिसे चालक अनुज्ञप्ति के नवीकरण या मौजूदा डी.एल. में भा.मो.वा. श्रेणी जोड़ने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

लेखापरीक्षा द्वारा छह नमूना-जाँचित जि.प.का. के अंतर्गत स्थित छह चालक विद्यालयों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया और अवलोकन किया कि दो मामलों (गिरिडीह और पलामू) में प्रवेश द्वारों की स्थिति अत्यंत खराब थी, सड़कों पर गड्ढे, दरारें, असमान या ऊबड़-खाबड़ सतह तथा उचित जल निकासी की व्यवस्था का अभाव था। पुनः, सभी विद्यालयों में कक्षा-कक्ष के लिए आवश्यक सामग्री जैसे ब्लैकबोर्ड, मेज आदि उपलब्ध नहीं थे, निर्धारित गैराज स्थल और उपकरण अपर्याप्त, पुराने और जर्जर अवस्था में पाए गए। साथ ही, कुछ चालक विद्यालय ऐसे वाहनों का उपयोग कर रहे थे जिनका दुरूस्ती/बीमा प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखे गए एक चालक विद्यालय की **केस अध्ययन-2.1** में चर्चा की गई है।

केस अध्ययन-2.1

दिसंबर 2024 में माँ तारा चालक प्रशिक्षण केंद्र, पलामू (मेदिनीनगर), मोटरसाइकिल, हल्के मोटर वाहन (ह.मो.वा.), भा.मो.वा., लोडर और क्रेन संचालन का प्रशिक्षण देने के लिए अनुज्ञप्ति, का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया।

चित्र 2.7: एक शैक्षणिक संस्थान के परिसर में संचालित चालक प्रशिक्षण विद्यालय।

चित्र 2.8: पुराने और जर्जर प्रशिक्षण उपकरणों वाला कक्षा।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि चालक विद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान के परिसर में संचालित हो रहा था। आवश्यक सामग्री, उचित उपकरणों और पर्याप्त अभ्यास पथ की अनुपलब्धता जैसी स्पष्ट अनियमितताओं के बावजूद, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ने उक्त विद्यालय को शैक्षणिक संस्थान के परिसर में संचालन की अनुज्ञप्ति प्रदान की।

प.वि. ने, दुरूस्ती/बीमा अवधि समाप्त वाहनों के साथ संचालित हो रहे स्कूलों पर कोई जवाब नहीं देते हुए, बताया (जून 2025) कि जि.प.प., पलामू से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

2.3.2.6 मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र

एम.ओ.आर.टी.एच. ने देशभर में चालक परीक्षण और अनुज्ञप्ति के लिए एक मानकीकृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किया (अगस्त 2021)। इसका उद्देश्य कें.मो.वा. नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप एक समान प्रक्रिया सुनिश्चित करना था, ताकि चालक दक्षता और सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके। पुनः, एम.ओ.आर.टी.एच. ने तीन-स्तरीय चालक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए एक योजना प्रारंभ की (दिसंबर 2021), जिसमें शामिल हैं:

i. **चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आई.डी.टी.आर.)**: प्रत्येक पाँच करोड़ की जनसंख्या पर एक, जिसके लिए न्यूनतम 10 से 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी।

ii. **क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र (आर.डी.टी.सी.)**: प्रत्येक 2.5 करोड़ की जनसंख्या पर एक, जिसके लिए न्यूनतम तीन से पाँच एकड़ भूमि की आवश्यकता थी।

iii. **जिला चालक प्रशिक्षण केंद्र (डी.टी.सी.)**: प्रत्येक जिले में एक, जिसके लिए लगभग दो एकड़ भूमि की आवश्यकता थी।

राज्य सरकार को पात्रता योग्य चालक प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता प्रदान करनी थी तथा गुणवत्ता की आवधिक समीक्षा और लेखापरीक्षा करना था।

एम.ओ.आर.टी.एच. के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, सचिव, प.वि., झा.स. ने 10 जिलों[13] के उपायुक्तों को स्वचालित परीक्षण पथ (ए.टी.टी.) सहित सरकारी चालक प्रशिक्षण केंद्र (डी.टी.सी.) की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता पर प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश जारी किए (फरवरी 2022)। हालाँकि, दो वर्ष बीत जाने के बाद भी केवल चार जिलों[14] ने आवश्यक विवरण उपलब्ध कराये (जुलाई एवं अगस्त 2024)। विभाग ने फरवरी 2022 में मेसर्स गौरव होम पॉइंट, राँची को मॉडल डी.पी.आर. तैयार करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था, किंतु फरवरी 2025 तक डी.पी.आर. समर्पित नहीं किया गया। इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 19.73 करोड़ की राशि मान्यता प्राप्त चालक परीक्षण केंद्रों (ए.डी.टी.सी.) की स्थापना हेतु बजट में आवंटित की गई। विभाग ने भवन निर्माण विभाग/ जे.एस.बी.सी.सी.एल. से एम.ओ.आर.टी.एच. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ए.डी.टी.सी. के लिए एक मॉडल डी.पी.आर. तैयार करने का अनुरोध किया (जुलाई 2022)। हालांकि, वित्तीय वर्ष के अंत तक यह राशि उपयोग में नहीं लाई जा सकी और बजट आवंटन वापस कर दिया गया।

[13] बोकारो, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गिरीडीह, हजारीबाग, पलामू, राँची, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम।

[14] चाईबासा, जामताड़ा, लातेहार और राँची।

इसके पश्चात्, जे.एस.बी.सी.सी.एल. ने प्रत्येक ए.डी.टी.सी के लिए ₹ 4.93 करोड़ की लागत का मॉडल डी.पी.आर. प्रस्तुत (अगस्त 2024) किया। परंतु, प.वि. ने प्रशासनिक स्वीकृति देने के बजाय जे.एस.बी.सी.सी.एल. से ए.टी.टी., परिवहन भवन सहित ए.टी.टी. एवं डी.टी.सी. सहित ए.टी.टी. के लिए तीन पृथक डी.पी.आर. तैयार करने के लिए अनुरोध किया (नवंबर 2024)।

लेखापरीक्षा ने परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों से यह भी पाया कि विभाग ने पहले ही यह निर्णय (मार्च 2017) लिया था कि प्रत्येक जिले में व्यावसायिक मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (एच.टी.ई.एस.डी.) के पर्यवेक्षण में की जाएगी। हालांकि, एच.टी.ई.एस.डी. ने परिवहन विभाग द्वारा आवंटित भूमि यह कहते हुए वापस (नवंबर 2018) कर दी कि एक निर्णय के आलोक में इन केंद्रों का निर्माण अब परिवहन विभाग के अपने पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि विभाग ने 21 जिलों में पहले से चिन्हित दो से 13 एकड़ भूमि का उपयोग करने के बजाय ए.डी.टी.सी. स्थापित करने के लिए भूमि की नयी तलाश शुरू कर दी। इस स्व-मूल्यांकन के कारण प्रक्रियागत विलंब हुआ, केवल चार जिलों ने दो वर्ष बाद भूमि उपलब्धता की सूचना दी। परिणामस्वरूप, राज्य में ए.डी.टी.सी. तीन वर्ष से ज्यादा व्यतीत होने के बाद भी स्थापित नहीं की जा सकी, जिससे व्यावसायिक वाहन चालकों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढाँचे को बेहतर करने की प्रक्रिया बाधित हुई।

विभाग ने बताया (जून 2025) कि जे.एस.बी.सी.सी.एल. ने मेसर्स Si+So आर्किटेक्ट को सभी प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों के लिए मास्टर प्लान, ड्रॉइंग्स और डी.पी.आर. तैयार करने के लिए अधिकृत किया (मई 2025)। हालांकि, पूर्व से चिन्हित भूमि के अप्रयोग के संबंध में विभाग मौन रहा।

2.3.3 पंजीकरण पर विनियमन एवं नियंत्रण

राज्य में जि.प.प. तथा क्षे.प.प्रा. वाहनों के पंजीकरण एवं उनके उपयोग पर नियंत्रण हेतु पंजीकरण, अनुज्ञापत्र और दुरूस्ती प्रमाणपत्र निर्गत तत्संबंधी अधिनियमों/ नियमावलियों के अंतर्गत क्रियान्वित करते हैं। झा.मो.वा. नियमावली के नियम 40 के अंतर्गत जि.प.प. "पंजीकरण प्राधिकारी" के रूप में कार्य करते हैं, और कार, मोटरसाइकिल, वाणिज्यिक वाहनों, आदि सहित सभी प्रकार के मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। जि.प.प. को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि पंजीकरण से पूर्व, वाहन सुरक्षित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करते हों।

राज्य तथा छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में वर्ष 2019-24 के दौरान पंजीकृत परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों की संख्या **तालिका-2.6 और 2.7** में दी गई है।

तालिका-2.6: राज्य में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंजीकृत परिवहन एवं गैर-परिवहन वाहनों की संख्या

वित्तीय वर्ष	परिवहन	गैर-परिवहन	कुल
2019-2020	56,784	5,34,375	5,91,159
2020-2021	32,584	4,22,950	4,55,534
2021-2022	32,480	4,10,843	4,43,323
2022-2023	45,143	4,56,969	5,02,112
2023-2024	57,608	4,95,386	5,52,994
कुल	**2,24,599**	**23,20,523**	**25,45,122**

स्रोत: वाहन एप्लिकेशन सूचनापट्ट

तालिका-2.7: छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंजीकृत परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों की संख्या

वित्तीय वर्ष	परिवहन	गैर-परिवहन	कुल
2019-2020	27,049	2,61,033	2,88,082
2020-2021	15,373	2,16,401	2,31,774
2021-2022	15,774	2,09,566	2,25,340
2022-2023	23,966	2,31,325	2,55,291
2023-2024	30,497	2,50,948	2,81,445
कुल	**1,12,659**	**11,69,273**	**12,81,932**
राज्य के कुल का प्रतिशत	**50.16**	**50.39**	**50.37**

स्रोत: वाहन एप्लिकेशन सूचनापट्ट

छह नमूना-जाँचित जि.प.का. के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित उद्घटित हुए:

2.3.3.1 मोटर वाहनों का पंजीकरण

मो.वा. अधिनियम की धारा 39 सह पठित कें.मो.वा. नियमावली के नियम 42 में प्रावधान है कि कोई विक्रेता बिना अस्थायी या स्थायी पंजीकरण के किसी भी वाहन की सुपुर्दगी नहीं करेगा। पुनः, मो.वा. अधिनियम की धारा 40, 41 और 43 सह पठित कें.मो.वा. नियमावली के नियम 47 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक वाहन स्वामी को वाहन प्राप्त करने की तारीख से सात दिनों के भीतर या झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 5 के तहत उदग्रहित कर के भुगतान पर अस्थायी पंजीकरण की वैधता अवधि के भीतर अपने वाहन का पंजीकरण कराना होगा।

लेखापरीक्षा ने छह नमूना-जाँचित जि.प.का. द्वारा जारी किए गए अस्थायी पंजीकरण (टी.आर.) जिन्हें अन्य पंजीकरण प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में पंजीकरण हेतु निर्गत किया गया था तथा अन्य पंजीयन प्राधिकरणों द्वारा नमूना-जाँचित जि.प.का. के लिए निर्गत किया गया था, के आँकड़ा का विश्लेषण किया और वाहनों के अद्वितीय पहचान कुंजी “चेसिस नंबर” का उपयोग करते हुए संपूर्ण भारत के वाहन एप्लिकेशन के वास्तविक समय आंकड़े से तिर्यक-जाँच किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान निर्गत 81,493 में से 78,502 टी.आर. का स्थायी पंजीकरण हुआ। शेष 2,991 टी.आर. किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष स्थायी पंजीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी प्रकार, अन्य पंजीकरण प्राधिकरणों द्वारा स्थायी पंजीकरण हेतु निर्गत 91,264 टी.आर. में से 87,615 टी.आर. का नमूना-जाँचित जि.प.का. द्वारा स्थायी पंजीकरण किया गया, जबकि 3,649 टी.आर. अभी भी स्थायी पंजीकरण के लिए लंबित हैं। जि.प.का. वार टी.आर. की स्थिति **तालिका-2.8** में दर्शाई गई है।

तालिका-2.8: जि.प.का. वार टी.आर. की स्थिति

जि.प.का.	नमूना जि.प.का. द्वारा जारी टी.आर.	टी.आर. जिनके स्थायी पंजीकरण हुए	टी.आर. जिनके स्थायी पंजीकरण नहीं हुए	अन्य प्राधिकरणों द्वारा जि.प.का. हेतु निर्गत टी.आर.	टी.आर. जिनके स्थायी पंजीकरण हुए	टी.आर. जिनके स्थायी पंजीकरण नहीं हुए
गिरिडीह	633	577	56	1,928	1,827	101
हजारीबाग	3,033	2,806	227	7,838	7,353	485
जमशेदपुर	36,470	36,359	111	51,743	49,518	2,225
पलामू	5,451	5,267	184	5,944	5,710	234
राँची	35,887	33,493	2,394	22,047	21,461	586
सिमडेगा	19	0	19	1,764	1,746	18
कुल	**81,493**	**78,502**	**2,991**	**91,264**	**87,615**	**3,649**

इस प्रकार, संपूर्ण भारत वाहन एप्लिकेशन आंकड़ाकोष के अनुसार, 6,640 मोटर वाहनों (2,991+3,649) अस्थायी पंजीकरण के पश्चात संबंधित जि.प.का. के समक्ष स्थायी पंजीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। लेखापरीक्षा ने पुनः अवलोकन किया कि यद्यपि प्रणाली में निर्गत टी.आर. की सूची तैयार करने की सुविधा उपलब्ध थी, इसमें, पंजीकरण प्राधिकारियों को यह सूचित करने के लिए कि वाहनों का स्थायी पंजीकरण उनके टी.आर. की वैधता अवधि के अंदर नहीं हुआ है, चेतावनी या अधिसूचना तंत्र का अभाव था। जि.प.प. भी अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी सूचियाँ तैयार कर उनकी समीक्षा करने के साथ ही साथ उनके द्वारा निर्गत कितने टी.आर. वाले वाहन अन्य प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं हुए हैं की पहचान करने में भी असफल रहे। इस प्रकार निगरानी एवं प्रवर्तन में कमी के कारण न केवल राजस्व की हानि हुई, बल्कि बिना वैध पंजीकरण वाहनों के संचालन का जोखिम भी बढ़ गया, जिससे उन्हें नियामक उद्देश्यों के लिए ऐसे वाहनों का पता लगाना कठिन हो गया।

जवाब में विभाग ने बताया कि एन.आई.सी. को वाहन एप्लिकेशन में चेतावनी प्रणाली की सुविधा विकसित करने का निर्देश दिया गया है (जून 2025)। पुनः विभाग ने यह भी कहा कि ऐसे वाहनों की पहचान की जाएगी और कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

2.3.3.2 पंजीकरण प्रमाणपत्रों का नवीकरण

मो.वा. अधिनियम की धारा 41(7) सह-पठित कें.मो.वा. नियमावली के नियम 52 में प्रावधान है कि गैर-परिवहन मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर.सी.), निर्गत होने की तिथि से 15 वर्षों तक वैध रहता है और धारा 56 के अंतर्गत दुरूस्ती परीक्षण कराने तथा कें.मो.वा. नियमावली एवं झा.मो.वा.क. अधिनियम में निर्दिष्ट कर एवं शुल्क के भुगतान प्राप्त करने के पश्चात इसे अगले पाँच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। इस प्रावधान में संशोधन कर (अप्रैल 2021) परिवहन वाहनों को भी इसके दायरे में लाया गया, अर्थात प्रपत्र 25 में आवेदन पर 15 वर्ष बाद आर.सी. का नवीकरण। तदनुसार, नवीकरण शुल्क भी संशोधित किया गया जो अप्रैल 2022 से प्रभावी है। गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के नवीकरण में एक माह से अधिक की देरी होने की मामले में ₹ 500 प्रति माह की दर से अतिरिक्त शुल्क उदग्रहणीय था।

वैयक्तिक वाहनों (एल.एम.भी.) और परिवहन वाहनों के आर.सी. नवीकरण के लिए देय शुल्क और कर का विवरण **तालिका-2.9** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.9: आर.सी. के नवीकरण हेतु देय शुल्क और कर

विवरण	आर.सी. नवीकरण शुल्क	निरीक्षण शुल्क	मो.वा. कर	हरित कर	स्मार्ट कार्ड शुल्क	जुर्माना	अतिरिक्त शुल्क
वैयक्तिक वाहन (एल.एम.भी.)							
शुल्क/कर/ जुर्माना	₹5,000	₹ 800	वाहन की लागत मूल्य का @3.5% या 4.5%	मो.वा.क. का @10%	₹200 प्रति वाहन	मो.वा.क. का @2% प्रति माह	आवेदन में विलंब की स्थिति में @₹500 प्रति माह
प्राधिकार	कें.मो.वा.नि. के नियम 81(4)(d)	कें.मो.वा.नि. के नियम 81(10A)(b)	झा.मो.वा.अ. की धारा 5(1) और 7(1)	झा.मो.वा.अ. की धारा 5(5)	कें.मो.वा.नि. का नियम 81	झा.मो.वा.अ. की धारा 7(1)	कें.मो.वा.नि. का नियम 81
परिवहन वाहन							
परिवहन वाहन	₹5,000 (हल्के वाहन), ₹6,000 (अन्य वाहन)	-	-	-	@₹200 प्रति	-	-
प्राधिकार	कें.मो.वा.नि. के नियम 81(4)(d) एवं (g)	-	-	-	कें.मो.वा.नि. का नियम 81	-	-

वाहन एप्लिकेशन में पंजीकरण अभिलेखों और नमूना-जाँचित जि.प.का. में उपलब्ध वास्तविक समय के आंकड़ों और सूचनाओं के तिर्यक जाँच करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2009 के बीच पंजीकृत हुए 24,639 वैयक्तिक वाहनों (एल.एम.भी.) के पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो चुकी थी (31 मार्च 2024 को) और नमूना-जाँचित जि.प.का. में नवीकरण हेतु लंबित थे। पुनः जाँच में उजागर हुआ कि इन 24,639 वाहनों में से 18,843 वाहनों के विक्रय मूल्य (मोटर वाहन कर की गणना हेतु आवश्यक) का विवरण वाहन एप्लिकेशन में दर्ज नहीं थे। शेष 5,796 वाहनों में से 1,320 वाहनों के अभिलेखों की नमूना-जाँच वास्तविक समय आंकड़ों से करने पर पाया गया कि इनकी पंजीकरण की वैधता अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के बीच समाप्त हो चुकी थी।

- वाहन एप्लिकेशन के अनुसार, 31 मार्च 2024 को राज्य में 2,62,499 परिवहन वाहन 15 वर्षों से अधिक पुराने थे, जिनमें से 1,60,358 वाहन नमूना-जाँचित जि.प.का. में पंजीकृत थे। पुनः पाया गया कि छह नमूना-जाँचित जिलों के मो.वा.नि. द्वारा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच 48,406 वाहनों के दुरूस्ती प्रमाणपत्र का नवीकरण किया गया था। इनमें 2,690 वाहन ऐसे पाए गए जो मो.वा.नि. के निरीक्षण के समय 15 वर्षों से अधिक पुराने थे। हालांकि, मौजूदा प्रावधानों के विपरीत, दुरूस्ती के नवीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र 25 के साथ नहीं किया गये थे (अर्थात् वी.आर.सी के नवीकरण के आवेदन)। इससे वी.आर.सी. के नवीकरण को सुनिश्चित किए बिना दुरूस्ती प्रमाणपत्र जारी करने के मामले सामने आए। लेखापरीक्षा द्वारा 2,690 में से 1,108 वाहनों के अभिलेखों की जि.प.का. में वाहन एप्लिकेशन के वास्तविक समय के आंकड़ों साथ नमूना जाँच करने पर पाया कि इनके पंजीकरण की वैधता 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच समाप्त हो चुकी थी।

इसके बावजूद, इन 1,108 वाहनों के स्वामियों ने न तो पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन किया और न ही पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा इन वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द किया गया। यह अभिलेखित नहीं था कि ये वाहन को अभ्यर्पित या निलंबित किया गया था। परिमाणस्वरूप, इन व्यक्तिगत वाहनों से पंजीकरण प्रमाण पत्र नवीकरण शुल्क, निरीक्षण शुल्क, मोटर वाहन कर तथा हरित कर का उदग्रहण नहीं हो सका, जिससे वैयक्तिक वाहनों से ₹ 8.08 करोड़ का राजस्व अधिरोपित नहीं हुआ (**परिशिष्ट-I**)। परिवहन वाहनों से पंजीकरण प्रमाण पत्र नवीकरण शुल्क की राशि ₹ 64.44 लाख का उदग्रहण नहीं किया गया (**परिशिष्ट-II**)।

लेखापरीक्षा ने पुनः अवलोकन किया कि यद्यपि एप्लीकेशन में पंजीकरण की वैधता की समाप्ति की जानकारी उपलब्ध थी, विभाग ने आकलन करने के लिए आवधिक समीक्षा नहीं की और ऐसे मामलों की पहचान कर पंजीकरण प्रमाण पत्रों के नवीकरण का कार्य शुरू नहीं किया।

उपर्युक्त के अलावा, 2023-24 में 13 नमूना-जाँचित जि.प.का. की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने इसी प्रकार के मामले पाए जिनमें 7,748 परिवहन वाहनों की नमूना-जाँच की गयी, 1,835 वाहनों के दुरूस्ती प्रमाण पत्र (सी.एफ.) और 2,099 की वी.आर.सी. पंद्रह वर्षों से अधिक पुराने थे, और 1 अप्रैल 2022 से नवीकरण हेतु लंबित थे। परिणामस्वरूप ₹ 2.55 करोड़ के सी.एफ. और वी.आर.सी. के नवीकरण शुल्क का गैर उदग्रहण हुआ।

विभाग ने बताया (सितंबर 2025) कि एन.आई.सी. को परिवहन वाहनों के लिए वाहन एप्लिकेशन में आर.सी. नवीकरण प्रावधान को मानचित्रण करने का अनुरोध भेजा गया है।

2.3.3.3 वर्तमान पता दर्ज करना

मो.वा. अधिनियम की धारा 48, जिसे कें.मो.वा. नियमावली के नियम 58 के साथ पठित, अधिदेशित करती है कि किसी मोटर वाहन को उसके पंजीकरण वाले राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने के आवेदन के साथ, मूल पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एन.ओ.सी.) संलग्न होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 49 और नियम 59 में यह निर्धारित है कि यदि वाहन स्वामी का निवास या व्यवसाय स्थल में परिवर्तन होता है, तो वाहन स्वामी को इस परिवर्तन की सूचना तीस दिनों के अंदर पंजीकरण प्राधिकारी को देनी आवश्यक होगी।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित छह जि.प.का. के द्वारा 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान अन्य राज्यों में पते के परिवर्तन दर्ज करने हेतु निर्गत एन.ओ.सी. के वास्तविक समय आँकड़ा का वाहन एप्लिकेशन में विश्लेषण किया और इसके विलोमतः। इन आंकड़ों की तिर्यक-जाँच वाहन एप्लिकेशन की विशिष्ट पहचान कुंजी "चेसिस नम्बर" का प्रयोग करते हुए वाहन एप्लिकेशन आँकड़ाकोष के अखिल भारतीय पंजीकरण अभिलेखों से की।

यह अवलोकन किया गया कि नमूना-जाँचित जि.प.का. के द्वारा 2019-20 से 2023-24 के बीच जारी 12,388 एन.ओ.सी. में से 3,158 एन.ओ.सी. अन्य पंजीकरण प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थीं। इसी प्रकार, अन्य राज्यों के पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जारी 14,374 एन.ओ.सी. में से 8,057 एन.ओ.सी. नमूना-जाँचित जि.प.का. में प्रस्तुत नहीं की गई (**तालिका 2.10 और 2.11**)।

तालिका-2.10: अन्य राज्यों में वाहनों के स्थानांतरण हेतु झारखण्ड के नमूना-जाँचित जि.प.का. द्वारा निर्गत एन.ओ.सी. की स्थिति

जि.प.का.	जि.प.का द्वारा निर्गत एन.ओ.सी.	अन्य राज्यों के पंजीकरण प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत एन.ओ.सी.	पंजीकरण प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई एन.ओ.सी.
गिरिडीह	225	154	71
हजारीबाग	2,705	2,190	515
जमशेदपुर	4,669	3,504	1,165
पलामू	593	573	20
राँची	4,033	2,674	1,359
सिमडेगा	163	135	28
कुल	**12,388**	**9,230**	**3,158**

तालिका-2.11: अन्य राज्यों के पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा झारखण्ड में नमूना-जाँचित जि.प.का. में वाहनों के स्थानांतरण हेतु निर्गत एन.ओ.सी. की स्थिति

जि.प.का.	अन्य राज्य के पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जारी एन.ओ.सी.	नमूना-जाँचित जि.प.का. के समक्ष प्रस्तुत एन.ओ.सी.	नमूना-जाँचित जि.प.का. के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई एन.ओ.सी.
गिरिडीह	900	526	374
हजारीबाग	2,959	547	2,412
जमशेदपुर	6,722	3,691	3,031
पलामू	309	74	235
राँची	3,099	1,172	1,927
सिमडेगा	385	307	78
कुल	**14,374**	**6,317**	**8,057**

पंजीकरण प्रमाणपत्र में वर्तमान पते का अंकन के लिए वाहनों के लिए जारी एन.ओ.सी. प्रस्तुत न किए जाने के कारण वाहन मालिकों द्वारा कर एवं शुल्क अपवंचन का जोखिम संभावित हुआ। लेखापरीक्षा ने पुनः अवलोकन किया कि यद्यपि वाहन एप्लिकेशन में निर्गत एन.ओ.सी. की सूची तैयार करने की सुविधा थी, जि.प.का. ने न तो गैर-पंजीकृत वाहनों की समीक्षा हेतु ऐसी सूची तैयार की और न ही ऐसे वाहनों की पहचान की जहाँ उनके द्वारा जारी एन.ओ.सी. अन्य पंजीकरण प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे वाहन स्वामी अपने नए स्थानों पर अपने वाहनों का पंजीकरण नहीं कराने और कर के दायरे से बाहर रहने में समर्थ हुए।

विभाग ने बताया (जून 2025) कि एन.आई.सी. को निर्देश (मई 2025) दिए गए हैं कि एम.ओ.आर.टी.एच. के समन्वय से स्वचालित चेतावनी प्रणाली तथा एन.ओ.सी. निर्गत वाहनों की अनुवर्तन की व्यवस्था को शामिल करे।

2.3.3.4 स्थानीय पंजीकरण चिन्ह

मो.वा. अधिनियम की धारा 47 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावलियों के अनुसार, जब कोई मोटर वाहन मूल पंजीकरण राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में 12 माह से अधिक अवधि तक रखा जाता है, तो वाहन स्वामी को स्थानीय पंजीकरण चिह्न[15] के आवंटन हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। स्थानीय पंजीकरण चिन्ह के आवंटन हेतु शुल्क कें.मो.वा. नियमावली के नियम 81 में निर्दिष्ट है।

वाहन एप्लिकेशन आँकड़ाकोष के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 46,819 मोटर वाहनों का अन्य राज्यों से झारखण्ड में प्रवासन (मार्च 2000 से मार्च 2024 के बीच) हुआ। नमूना-जाँचित जि.प.का. में पंजीकृत 12,939 वाहनों के विवरण को वाहन एप्लिकेशन में वास्तविक समय के कर अभिलेखों के साथ तिर्यक-सत्यापन करने पर (सितंबर और दिसंबर 2024 के बीच) पता चला कि 1,213 वाहन पूर्व राज्यों के पंजीकरण चिह्न के साथ राज्य में 12 माह से अधिक अवधि से परिचालित हो रहे थे। लेखापरीक्षा ने पुनः अवलोकन किया कि प्रवासित वाहनों के मामले में मोटर वाहन कर स्वीकार करते समय राज्य में ठहराव की अवधि के संबंध में वाहन एप्लिकेशन में कोई प्रणालीगत चेतावनी या अधिसूचना उपलब्ध नहीं थी। जि.प.का. द्वारा कर संग्रहण के दौरान इन वाहनों की राज्य में ठहराव अवधि का समीक्षा एवं सत्यापन भी नहीं किया गया। अतः, वाहन एप्लिकेशन में स्वचालित निगरानी प्रणाली की अनुपस्थिति तथा विभागीय अधिकारियों की सतर्कता के अभाव में, विभाग राज्य में 12 माह से अधिक अवधि तक संचालित प्रवासित वाहनों की संख्या का आंकलन नहीं कर सका। फलस्वरूप, नमूना-जाँचित जि.प.का. में 1,072 वाहनों से ₹ 17.22 लाख की देय शुल्क एवं जुर्माना वसूल नहीं किया जा सका (**परिशिष्ट-III**)।

लेखापरीक्षा ने पूर्व में भी इस मुद्दे को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका 2.1.11.4) में उजागर किया था। विभाग द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद मई 2025 तक इस मुद्दे का निराकरण नहीं किया गया था।

प.वि. ने में बताया (जून 2025) कि में इस संबंध में एन.आई.सी. को वाहन एप्लिकेशन में, वाहन स्वामी एवं पंजीकरण प्राधिकारी को 12 माह की अवधि पूर्ण होने से पहले स्थानीय पंजीकरण चिह्न के आवंटन के लिए आवश्यक चेतावनी प्रदान कर एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली शामिल करने का निर्देश दिया गया है (मई 2025)।

[15] एक स्थानीय पंजीकरण चिन्ह एक नया वाहन पंजीकरण संख्या है जो संबंधित राज्य के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अन्य राज्यों से प्रवास कर आये वाहनों को वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करने के आधार पर दिया जाता है।

2.3.3.5 परिवहन वाहनों के पंजीकृत लदान भार में संशोधन

पंजीकरण प्राधिकारी कें.मो.वा. नियमावली के नियम 47 के अंतर्गत फार्म 21 (विक्रय प्रमाणपत्र) के उपयोग कर एक मोटर वाहन के लदान भार निर्धारित करता है जो एम.ओ.आर.टी.एच. दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्माता के विशिष्टता को प्रतिबिंबित करता है। एम.ओ.आर.टी.एच. ने में विभिन्न प्रकार के परिवहन वाहनों के लिए सुरक्षित धुरी भार को टायर के आकार, धुरी विन्यास तथा अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर पुनरीक्षित किया (जुलाई 2018)। परिवहन वाहनों के मौजूदा मॉडलों की सूची, जिसमें से वाहनों के पंजीकृत लदान भार[16] (पं.ल.भा.) को संशोधित सुरक्षित धुरी भार के अनुसार पुनर्निरीक्षण किया जाना था। इस उद्देश्य के लिए मौजूदा परिवहन वाहन के मॉडलों, जिनका पं.ल.भा. संशोधित किया जाना था, की सूची भी जारी की गई। विभाग ने (जुलाई 2018) समस्त जि.प.प. एवं मो.वा.नि. को इस संशोधन का अनुमोदन करते हुए एम.ओ.आर.टी.एच. द्वारा जारी अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिसूचना के बाद विनिर्मित वाहन में पूर्व से ही संशोधित दिशानिर्देश का पालन करते हैं और उनके विक्रय प्रमाणपत्र में अद्यतन पं.ल.भा. दर्ज रहते है, और उन्हें पुनः संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

मोटर वाहनों के पंजीकरण एवं परिवर्तन से संबंधित वाहन आँकड़ाकोष के विश्लेषण से पता हुआ कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, राज्य में 13,906 मालवाहक वाहनों के पं.ल.भा. में परिवर्तन किया गया, जिनमें से 5,448 वाहन नमूना-जाँचित जि.प.का. में पंजीकृत थे। लेखापरीक्षा ने इन वाहनों के अभिलेखों का नमूना-जाँच किया और पाया कि चार जि.प.का.[17] में अक्टूबर 2018 से मार्च 2024 की अवधि के बीच विनिर्मित 335 वाहनों के पं.ल.भा. को एम.ओ.आर.टी.एच. की अधिसूचना के विपरीत उर्ध्वाधर बढ़ाया गया (**परिशिष्ट-IV**)। इस प्रकार, विभाग द्वारा वाहन एप्लिकेशन में उचित नियंत्रण तंत्र लागू कर पाने में अक्षम रहा एवं पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण एवं निगरानी के अभाव के कारण परिवहन वाहनों के पं.ल.भा. में अनियमित संशोधन हुआ।

प.वि. ने बताया (जून 2025) कि वाहन मालिकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर.सी.) में पं.ल.भा. के संशोधन हेतु आर.सी समर्पित करने के निर्देश दिए गए हैं।

2.3.3.6 वाहनों का गलत वर्गीकरण

झा.स. ने झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2018 के द्वारा कर-संरचना में परिवर्तन (31 जनवरी 2019) प्रस्तुत किया। इस संशोधन के अंतर्गत निर्माण उपकरण वाहन (सी.ई.वी.) को एकमुश्त-कर (ओ.टी.टी.) के दायरे में सम्मिलित किया गया। संशोधन के पूर्व सी.ई.वी. के लिए कर उनके पं.ल.भा. के आधार पर निर्धारित किया जाता था।

---

[16] उस वाहन के लिए अनुमेय के रूप में पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत कुल वाहन वजन और भार।

[17] गिरीडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर और पलामू।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, अब सी.ई.वी. पर विक्रय मूल्य के सात प्रतिशत के समतुल्य एकमुश्त-कर (ओ.टी.टी.) उदग्रहित होगा, जो 12 वर्षों के लिए लागू होगा।

वाहन एप्लिकेशन आँकड़ाकोष के "वाहन वर्ग" एवं "बॉडी टाइप" क्षेत्र पर केंद्रित विश्लेषण (नवंबर और दिसंबर 2024 के बीच) में नमूना-जाँचित छह[18] में से चार जि.प.का. में सी.ई.वी. के वर्गीकरण में विसंगतियाँ उजागर हुईं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 जनवरी 2019 से पूर्व पंजीकृत 2,686 सी.ई.वी. से ओ.टी.टी. के स्थान पर पं.ल.भा. के आधार पर तिमाही कर का उदग्रहण किया जा रहा था। संशोधन से पूर्व इन वाहनों को पंजीकरण के दौरान "मालवाहक वाहन" के रूप में वर्गीकृत करने के कारण यह विसंगति हुई। हालांकि, प्रावधानों में संशोधन के पश्चात इन वाहनों का वाहन-वर्ग संशोधित कर "सी.ई.वी." दर्ज किया जाना चाहिए था, ताकि उनके विक्रय मूल्य के आधार पर ओ.टी.टी. लागू हो सके। विभाग इस विसंगति से अनभिज्ञ रहा और संशोधित प्रावधानों के विपरीत वाहन एप्लिकेशन पर दर्शाये जाने वाले तिमाही कर का उदग्रहण एवं संग्रहण करता रहा। परिणामस्वरूप, 112 वाहनों के विरुद्ध ₹ 2.01 करोड़ कम कर का उदग्रहण हुआ (**परिशिष्ट-V**)।

शेष 2,574 सी.ई.वी. का विक्रय मूल्य वाहन एप्लिकेशन में अभिलिखित नहीं किया गया था। अतः लेखापरीक्षा द्वारा इन वाहनों पर उदग्रहणीय ओ.टी.टी. का आकलन नहीं किया जा सका।

ऐसे गलत वर्गीकृत वाहनों की गैर-पहचान, अनुश्रवण तंत्र में खामियों को दर्शाता है और मोटर वाहन-कर से राजस्व वृद्धि हेतु कर संशोधनों की प्रभावशीलता को भी कम करता है।

इसी प्रकार की विसंगतियाँ वर्ष 2023-24 के अनुपालन लेखापरीक्षा में भी पायी गयी, जिसमें तीन जि.प.का.[19] में 606 परिवहन वाहनों (दिसंबर 2006 से सितंबर 2018 के बीच पंजीकृत) को सी.ई.वी. के स्थान पर मालवाहक वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया था, परिणामस्वरूप 89 वाहनों से ₹ 1.56 करोड़ का कर कम उदग्रहण हुआ। शेष 517 वाहनों के विक्रय मूल्य वाहन एप्लिकेशन में अभिलिखित न होने के कारण पर ओ.टी.टी. का आकलन नहीं किया जा सका।

प.वि. ने बताया (जून 2025) कि वाहनों के वर्ग में सुधार हेतु गलत वर्गीकृत सी.ई.वी. की सूची एन.आई.सी. को भेजी जा रही है। पुनः, जि.प.का सिमडेगा द्वारा दो वाहनों से ₹ 2.89 लाख की वसूली की सूचना दी गई। विभाग ने पुनः सूचित (सितंबर 2025) किया कि पाँच वाहनों से ₹ 0.02 करोड़ की वसूली की गई है।

[18] गिरीडीह. जमशेदपुर, पलामू और सिमडेगा।

[19] दुमका, गोड्डा और लोहरदगा।

2.3.3.7 बसों का वर्गीकरण

झा.स. ने झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा विभिन्न श्रेणियों की बसों, यथा साधारण, सेमी-डीलक्स एवं डीलक्स के लिए पृथक कर की दरें प्रस्तुत कीं। इस संशोधन से पूर्व ये श्रेणियों समान कर दर के अधीन थी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैण्डर्ड (AIS-052) और संशोधित अधिनियम के अनुसार, किसी निश्चित व्हीलबेस वाली बस में बैठानों की संख्या उसकी श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है। संशोधन के अनुसार, सेमी-डीलक्स एवं डीलक्स श्रेणी की बसों में साधारण बसों की तुलना में बैठानों की संख्या कम होगी, जबकि इन दोनों श्रेणियों की कर की दरें अधिक है। निरीक्षण प्राधिकारी (मो.वा.नि.) को बस की श्रेणी को उसकी आराम के स्तर के आधार पर निर्धारित करना तथा झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 7(3) के उपबंध में उल्लिखित व्हीलबेस विनिर्देशानुसार बैठानों की संख्या निश्चित करना होता है।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित जि.प.का. में वाहन एप्लिकेशन के परिवर्तन खंड में संशोधन के पश्चात बैठान क्षमता में परिवर्तन वाली बसों के आंकड़ों का छँटाई करने में यह पाया गया कि 2019-20 से 2023-24 के बीच चार जि.प.का में नमूना-जाँचित 1,698 बसों में से 42 बसों की बैठान क्षमता में संशोधन किया गया। लेखापरीक्षा ने पुनः अवलोकन किया कि मो.वा.नि. द्वारा वाहनों के निरीक्षण के उपरांत बसों की बैठान क्षमता घटाई गई तथा उनकी श्रेणी (सेमी-डीलक्स अथवा डीलक्स) संशोधित की गई। बैठान क्षमता में किया गया संशोधन वाहन एप्लिकेशन में दर्ज किया गया और तदनुसार करें उदग्रहित की गयी। हालांकि इन वाहनों की श्रेणी वाहन एप्लिकेशन में संशोधित नहीं की गई ये "साधारण बस" के रूप में दर्ज रहीं, जिससे इन बसों पर संशोधन-पूर्व की तुलना में करों की कम दर आरोपित हो रही थीं, जैसा कि **तालिका-2.12** में विस्तारित है।

तालिका-2.12: श्रेणी का पुनरीक्षण न होने के कारण करों में अंतर

जि.प.का.	बसों की संख्या	पूर्व संशोधित बैठान क्षमता पर कर (₹ में)	संशोधित बैठान क्षमता पर कर (₹ में)	कर में अंतर (₹)
गिरिडीह	4	3,96,340	3,02,261	94,079
हजारीबाग	20	30,62,915	22,75,480	7,87,435
जमशेदपुर	3	1,79,400	1,52,922	26,478
राँची	15	13,29,626	10,35,818	2,93,808
कुल	**42**	**49,68,281**	**37,66,481**	**12,01,800**

लेखापरीक्षा ने ऐसी त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के लिए आँकड़ाकोष एवं अभिलेखों का परीक्षण किया और पाया कि बसों की बैठान क्षमता एवं श्रेणी में किए गए परिवर्तन को वाहन एप्लिकेशन में दर्ज करने के लिए उत्तरदायी मो.वा.नि. ने केवल संशोधित बैठान क्षमता ही अद्यतन की थी। जि.प.प. ने भी इस विसंगति को नहीं पहचाना और वाहन में मो.वा.नि. द्वारा दर्ज आंशिक परिवर्तन को अनुमोदित कर दिया, जिसके

कारण करों का कम उदग्रहण हुआ। इस प्रकार, निरीक्षण एवं पंजीकरण प्राधिकरणों के द्वारा प्रावधानों के अनुपालन में सतर्कता की कमी के कारण राज्य के राजस्व हित प्रभावित हुए।

प.वि. ने बताया (जून 2025) कि संबंधित मो.वा.नि को बसों की सूची श्रेणी पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध करा दी गई है। पुनः यह बताया गया कि तीन बसों की श्रेणी पुनरीक्षित कर दी गई है तथा ₹ 0.35 लाख की वसूली की जा चुकी है।

2.3.3.8 विनिर्माता/विक्रेता द्वारा वाहनों की प्रेषण

मो.वा. अधिनियम की धारा 39 तथा कें.मो.वा. नियमावली के नियम 33 के प्रावधानों के अनुसार, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा वाहन विनिर्माताओं, विक्रेताओं, आयातकों अथवा परीक्षण एजेंसियों को वाहन के आवागमन हेतु व्यापार प्रमाणपत्र (टी.सी) निर्गत किए जाते हैं। व्यापार प्रमाणपत्र धारक अपने पास उपलब्ध वाहनों के परिसर से बाहर आवागमन हेतु व्यापार पंजीकरण चिन्ह (व्या.पं.चि.) का उपयोग करते हैं। उन्हें व्यवसाय के दौरान रखे गए वाहनों पर झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत व्यापार कर का भुगतान करना होता है। व्यापार पंजीकरण चिन्ह की अनुपस्थिति में, इन वाहन को सड़क पर चलाने के लिए आवश्यक कर एवं शुल्क का भुगतान कर उसका अस्थायी या स्थायी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। भारत सरकार ने अन्य राज्यों में पंजीकरण के लिए निर्गत अस्थायी पंजीकरण (टी.आर.) की वैधता अवधि छह माह निर्धारित की है, यह अप्रैल 2021 से प्रभावी है, कें.मो.वा. नियमावली के नियम 53-ए के अंतर्गत झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 7(4) में टी.आर. निर्गत करने के लिए वार्षिक कर का 1/12 भाग निर्धारित किया गया है।

मेसर्स टाटा मोटर्स झा.मो.वा. नियमावली के नियम 52-ए के अंतर्गत अपने द्वारा विनिर्मित वाहनों के प्रेषण हेतु टी.आर. निर्गत करने के लिए अधिकृत एक वाहन निर्माता हैं। कंपनी को (अक्टूबर 2018) उनके परिसर के बाहर वाहनों की आवाजाही हेतु उनके द्वारा विनिर्मित वाहनों के लिए टी.आर. एवं व्या.पं.चि. निर्गत करने हेतु वाहन एप्लिकेशन का अभिगम दिया गया है।

- मेसर्स टाटा मोटर्स द्वारा जारी टी.आर. से संबंधित अभिलेखों के परीक्षण में उजागर हुआ कि कंपनी ने टी.आर. के द्वारा 2021-22 से 2023-24 के दौरान अन्य राज्यों को 2,28,911 वाहनों का प्रेषण किया, जिस पर ₹ 65.47 करोड़ कर उदग्रहित किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी द्वारा इस अवधि में एक माह की वैद्यता वाले टी.आर. निर्गत किया था, जबकि नियम 53-ए के प्रावधानों के अनुसार छह माह की वैधता आवश्यक थी। परिणामस्वरूप, कंपनी ने ₹ 392.82 करोड़ के बजाय मात्र ₹ 65.47 करोड़ कर भुगतान किया, जिससे ₹ 327.35 करोड़ कम कर का उद्ग्रहण हुई, जैसा कि **तालिका-2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13: टी.आर. पर कर की कम वसूली/जमा

वर्ष	टी.आर. पर प्रेषित वाहनों की संख्या	उदग्रहित कर (₹ करोड़ में)	उदग्रहणीय कर (₹ करोड़ में)	कर का कम उदग्रहण (₹ करोड़ में)
2021-22	69,171	18.46	110.74	92.28
2022-23	80,774	23.93	143.59	119.66
2023-24	78,966	23.08	138.49	115.41
कुल	**2,28,911**	**65.47**	**392.82**	**327.35**

- मेसर्स टाटा मोटर्स के अभिलेखों के पुनः परीक्षण में उजागर हुआ कि वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1,05,321 वाहनों का प्रेषण किया गया। इनमें से 26,355 वाहनों का प्रेषण व्या.पं.चि. उपयोग करते हुए देशभर की विभिन्न एजेंसियों एवं विक्रेता को किया गया, जिसका विवरण **तालिका 2.14** में प्रस्तुत है।

तालिका-2.14: व्यापार पंजीकरण चिन्ह का उपयोग कर प्रेषित वाहन

क्र.सं.	श्रेणी	प्रेषित वाहनों की संख्या
1	कंपनी के आर.एस.ओ. को स्कंध अंतरण के रूप में टाटा मोटर्स पंजीकृत व्यापार चिन्ह का उपयोग करते हुए	22,786
2	विक्रेताओं को विक्रय एवं प्रेषण हेतु टाटा मोटर्स पंजीकृत व्यापार चिन्ह का उपयोग	379
3	विक्रेताओं द्वारा स्वयं के पंजीकृत व्यापार चिन्ह का उपयोग	3,190
4	अस्थायी पंजीकरण पर प्रेषित वाहन	78,966
कुल		**1,05,321**

स्रोत: मेसर्स टाटा मोटर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

तालिका 2.14 से देखा जा सकता है कि 379 वाहनों का विक्रय विक्रेताओं को किया गया। यद्यपि वाहनों के विक्रय चालान तो जनित किए गए, फिर भी इन वाहनों को टाटा मोटर्स के टी.आर.एम. का उपयोग करके ₹ 36.92 लाख के शुल्क और कर का भुगतान किए बिना अनियमित रूप से प्रेषित किए गए (**परिशिष्ट-VI)**।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन कि कंपनी को वाहन एप्लिकेशन का अभिगम था, यह वाहन एप्लिकेशन के माध्यम से वाहनों के अस्थायी पंजीकरण एवं व्यापार प्रमाणपत्र से संबंधित गतिविधियाँ नहीं कर रही थी। इससे कंपनी को अपने व्या.पं.चि. का उपयोग करते हुए अन्य विक्रेताओं को विक्रय किए गए वाहनों का प्रेषण तथा टी.आर. की गलत वैधता प्रदान कर सकी। विभाग द्वारा भी यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया कि कंपनी वाहनों के पंजीकरण एवं व्यापार प्रमाणपत्र संबंधी सभी कार्यवाही वाहन एप्लिकेशन के द्वारा संपन्न करे, इससे ₹ 327.72 करोड़ शुल्क एवं कर की गैर/कम वसूली हुई।

इसी प्रकार, वर्ष 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षण के दौरान यह अवलोकन किया गया कि मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने 2022-23 में विक्रेताओं को विक्रय किए गए 687 वाहनों का प्रेषण व्या.पं.चि. पर किया, परिणामतः ₹ 1.13 करोड़ शुल्क एवं कर का गैर उदग्रहण पाया।

प.वि. ने बताया (जून 2025) कि मेसर्स टाटा मोटर्स को टी.आर./व्या.पं.चि. के प्रबंधन हेतु वाहन एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जाएगा तथा इसके प्रयोग की नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लंबित करों की वसूली हेतु मांग पत्र जिला परिवहन पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा निर्गत (जनवरी 2025) किया गया है।

2.3.4 परिवहन वाहनों का दुरूस्ती प्रमाणपत्र

मो.वा. अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, किसी परिवहन वाहन का वी.आर.सी. वैध माना जाता है यदि इसके साथ वैध दुरूस्ती प्रमाणपत्र (सी.एफ.) हो। झा.मो.वा. नियमावली, 2001 की नियम 51 के अनुसार, सी.एफ. का निर्गम/नवीकरण मो.वा.नि. अथवा पंजीकरण प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन प्राधिकृत परीक्षण केन्द्रों द्वारा की जाती है। दृश्य परीक्षण के अतिरिक्त, निरीक्षण प्रक्रिया जैसा कि कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 62 में निर्दिष्ट है कार्यात्मक परीक्षण (हेडलाइट, ब्रेकिंग, परिचालन आदि) आवश्यक हैं, इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त उपकरण आवश्यक है। पुनः, एम.ओ.आर.टी.एच. द्वारा (सितंबर 2021) स्वचालित परीक्षण केंद्रों (ए.टी.एस.) की अवधारणा की गई, जिनमें स्वचालित परीक्षण उपकरणों का प्रयोग कर सी.एफ. के निर्गत किया जाता है।

मार्च 2024 तक में राज्य में केवल एक ए.टी.एस. था।

2.3.4.1 मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा निर्गत दुरूस्ती प्रमाणपत्र

कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 63 में प्राधिकृत परीक्षण केन्द्रों को अनुज्ञप्ति के लिए परीक्षण संचालित करने के लिए परीक्षण उपकरण और परिसर, निरीक्षण लेन का रखरखाव निर्धारित किया गया है।

वाहन सूचना पट्ट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, नमूना जाँचित जि.प.का. में 2019-20 से 2023-24 के दौरान मो.वा.नि. एवं प्राधिकृत स्वचालित परीक्षण केन्द्रों द्वारा क्रमशः 1,77,382 और 52,300 सी.एफ. निर्गत किए गए (**परिशिष्ट-VII**)। नमूना-जाँचित जिलों में मो.वा.नि. एवं प्राधिकृत परीक्षण केन्द्रों द्वारा मोटर वाहनों के सी.एफ. के नवीकरण की प्रणाली एवं प्रक्रियाओं के लेखापरीक्षा में पाया गया कि जहां प्राधिकृत परीक्षण केन्द्रों के लिए परिसर, निरीक्षण लेन और परीक्षण उपकरण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट है, वहीं मो.वा.नि. द्वारा दुरूस्ती परीक्षण संचालित करने के लिए कोई विशिष्ट आवश्यकता निर्दिष्ट नहीं की गई है। मो.वा.नि. ने वाहनों का परीक्षण उपकरण एवं आधारभूत संरचना के अभाव में खुले मैदान में और बिना निरीक्षण लेन के संचालित किया। 2019-20 से 2023-24 के दौरान 2,29,682 सी.एफ. में से 77 प्रतिशत दुरूस्ती प्रमाणपत्र मो.वा.नि. के द्वारा बिना आधारभूत संरचना एवं उपकरण के नवीनीकृत किए गए।

पुनः, यह देखा गया कि स्वचालित परीक्षण उपकरण से वाहनों का परीक्षण के लिए राज्य में केवल एक जिला स्वचालित परीक्षण केंद्र (हजारीबाग) 2019-20 से 2023-24 के दौरान कार्यरत था। इस प्रकार निर्धारित परीक्षणों के बिना ही वाहनों के दुरूस्ती का नवीकरण किया जा रहा था और इस प्रकार, अयोग्य वाहनों को भी सी.एफ. प्रदान किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

पुनः लेखापरीक्षा ने पूर्व में भी इस विषय 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (कंडिका सं 4.3.24) को इंगित किया गया था। तदुपरांत सुधारात्मक कदम उठाए जाने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद मई 2025 तक विभाग द्वारा इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

प.वि. ने बताया (जून 2025) कि स्वचालित परीक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है। पुनः यह भी कहा गया कि मो.वा.नि. को वाहनों के दुरूस्ती प्रमाणपत्र निर्गत करते समय निर्धारित मानक का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अनुशंसा 3 : विभाग राज्य के सभी जिलों में स्वचालित परीक्षण केंद्र की स्थापना पर विचार कर सकता है तथा मो.वा.नि. को दुरूस्ती परीक्षण संचालित करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना एवं उपकरण उपलब्ध करवा सकता है।

2.3.4.2 परिवहन वाहनों के दुरूस्ती प्रमाणपत्र का नवीकरण

कें.मो.वा. नियमावली के नियम 62 में कहा गया है कि परिवहन वाहनों का सी.एफ. पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष के लिए मान्य होता है, जिसे आठ वर्षों तक प्रत्येक दो वर्ष में नवीनीकृत किया जाना है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष नवीकरण आवश्यक है। नवीकरण में विलंब होने पर प्रमाणपत्र की समाप्ति के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 50 अतिरिक्त शुल्क देय है (अप्रैल 2022 से प्रभावी)। नियम के अनुसार, पंजीकरण प्राधिकारी बिना वैध सी.एफ. वाले वाहन का पंजीकरण निलंबित कर सकता है। पुनः झा.मो.वा.क. अधिनियम में प्रावधान है कि 31 जनवरी 2019 के बाद से पंजीकृत परिवहन वाहनों जो 12 वर्ष से अधिक पुराने हैं पर कुल देय कर का 10 प्रतिशत हरित कर उदग्रहित होगा।

➢ वाहन आँकड़ाकोष के विश्लेषण में पाया गया कि नमूना-जाँचित जि.प.का. में कुल 5,07,122 परिवहन वाहन पंजीकृत थे, जिनमें 93,262 वाहनों के सी.एफ. अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के बीच समाप्त हो गए थे। लेखापरीक्षा ने दुरूस्ती समाप्त हो चुके परिवहन वाहनों से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जाँच की और पाया कि 4,458 मामलों में वाहन के सी.एफ. की समीक्षा किये बिना वाहन करों का भुगतान किया गया था, जिससे इंगित करता है कि नियमित रूप से नवीनीकृत सी.एफ. के बिना ही मोटरवाहन कर का भुगतान किया जा रहा था। अभिलेखों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला जिससे यह इंगित हो कि इन वाहनों को समर्पित किया गया था या पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित किया गया था। अतः विभाग द्वारा दुरूस्ती अवधि समाप्त होने

वाले वाहनों की पहचान कर उनके सी.एफ. का नवीकरण सुनिश्चित कराने की पहल न किए जाने के कारण नमूना-जाँचित जि.प.का. में 4,458 वाहनों से ₹ 7.58 करोड़ शुल्क एवं जुर्माने की राजस्व हानि हुई, जिसका विवरण **तालिका-2.15** में प्रस्तुत है।

तालिका-2.15: शुल्क एवं जुर्माने के रूप में राजस्व गैर उदग्रहण

क्र. सं.	परिवहन वाहन	समाप्त सी.एफ. वाले वाहनों की संख्या	नमूना-जाँचित मामलों की संख्या	सी.एफ. + निरीक्षण शुल्क (₹ में)	जुर्माना ₹ 50 प्रतिदिन	कुल (₹ में)
1	15 वर्ष तक की आयु तक	76,117	3,081	21,94,800	स्थगित रखा गया[20]	21,94,800
2	15 वर्ष से अधिक पुराने	17,145	1,377	1,58,32,900	5,77,30,950	7,35,63,850
कुल		**93,262**	**4,458**	**1,80,27,700**	**5,77,30,950**	**7,57,58,650**

इसी प्रकार, 2023-24 की अनुपालन लेखापरीक्षण के दौरान 13 नमूना-जाँचित जि.प.का. में 6,003 परिवहन वाहनों के सी.एफ. समाप्त (अप्रैल 2019 और अक्टूबर 2023 के बीच) हो चुके थे। इससे ₹ 7.27 करोड़ शुल्क एवं जुर्माने का गैर उदग्रहण हुआ।

इसके जवाब में, प.वि. ने बताया (जून 2025) कि संबंधित जि.प.का. ने मो.वा.नि. को सी.एफ के नवीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। पुनः यह बताया गया कि 422 वाहनों के सी.एफ. का नवीकरण कर ₹ 1.51 करोड़ की वसूली चार जि.प.का.[21] में की गई है। पुनः, विभाग ने (सितंबर 2025) सूचित किया कि 577 वाहनों के सी.एफ. का नवीकरण कर ₹ 0.22 करोड़ राजस्व वसूल किया गया है।

➢ लेखापरीक्षा ने वाहन एप्लिकेशन में हरित कर संग्रहण हेतु खंड की जाँच की और पाया गया कि हरित कर उदग्रहण का खंड वाहनों के नियमित मोटर वाहन कर के भुगतान के स्थान पर उनके सी.एफ. के नवीकरण के खंड के साथ शामिल किया गया था। सी.एफ. नवीकरण के समय ही हरित कर उदग्रहण करना न केवल वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है, बल्कि इससे कर चोरी की भी संभावना रहती है, क्योंकि सी.एफ. का नवीकरण वार्षिक होता है लेकिन हरित कर का भुगतान त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक किया जा सकता है।

➢ वाहन आँकड़ा के विश्लेषण में पाया गया कि छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में 12 वर्षों से अधिक पुराने कुल 2,18,087 वाहन थे और 2,08,229 वाहनों के सी.एफ. 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुके थे। इस प्रकार उदग्रहणीय मोटर वाहन कर का 10 प्रतिशत हरित कर उदग्रहित/संग्रहित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने 1,25,518 मामलों की नमूना-जाँच में यह देखा कि 1,469 मामलों में सी.एफ. की वैधता समाप्त होने के एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात भी कर अदा किए गए, किंतु इन वाहनों से ₹ 60.13 लाख (मार्च 2024 तक) हरित कर उदग्रहित/संग्रहित नहीं

[20] झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची, के आदेश अनुसार W.P.(C) No.-1462/2018 के साथ I.A. No.-3978/2019 में स्थगित।

[21] हजारीबाग, पलामू, राँची और सिमडेगा।

किया गया, जिसका मुख्य कारण सी.एफ. गैर नवीकरण होना था (**परिशिष्ट-VIII**)। इस प्रकार, जिन वाहनों का नियमित कर जमा किया गया, किंतु सी.एफ. का नवीकरण नहीं हुआ, उनसे हरित कर संग्रहित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, हरित कर की गणना सी.एफ. के नवीकरण की तिथि से की गई बजाय मोटर वाहन कर भुगतान की अंतिम तिथि से, जिससे उन वाहनों के लिए, जिनका सी.एफ. एक वर्ष से अधिक समय से लंबित था, हरित कर का कम उदग्रहण हुआ।

परिणामस्वरूप, इन वाहनों पर ₹ 81.48 लाख (₹ 60.13 लाख + ₹ 21.35 लाख) हरित कर के स्थान पर मात्र ₹ 21.35 लाख (एक वर्ष के एफ.सी. नवीकरण की तिथि से) का उदग्रहण होगा, जैसा कि **केस अध्ययन-2.2** में वर्णित किया गया है :

केस अध्ययन-2.2

एक विशिष्ट मामला परिवहन वाहन (JH02XXXX5) से संबंधित पाया गया जो जि.प.का. हजारीबाग में पंजीकृत था, जिसमें कर की वैधता 12 जून 2023 तक विस्तारित थी, परंतु सी.एफ. 22 सितम्बर 2019 को समाप्त हो गया था। देय हरित कर की दर ₹ 560 प्रतिवर्ष थी। वाहन एप्लीकेशन प्रणाली द्वारा फरवरी 2020 में सी.एफ. के नवीकरण पर 27 फरवरी 2020 से 26 फरवरी 2021 की अवधि के लिए ₹560 हरित कर उदग्रहित किया गया, लेकिन इससे पूर्व की अवधि अर्थात् 31 जनवरी 2019 से 26 फरवरी 2020 तक के लिए हरित कर नहीं आरोपित किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 600 का कर कम उदग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सी.एफ. की वैधता की समाप्ति संबंधी जानकारी वाहन एप्लिकेशन में उपलब्ध थी, कर भुगतान स्वीकार करते समय समाप्त हो चुके सी.एफ. को चिन्हित के लिए कोई अंतर्निर्मित सत्यापन तंत्र नहीं था। जि.प.का. और विभाग ने सी.एफ. नवीकरण हेतु देय वाहनों की आकलन और पहचान हेतु आवधिक समीक्षा नहीं की और वाहन एप्लिकेशन में हरित कर उदग्रहण की विसंगतियों से अनभिज्ञ रहे। परिणामस्वरूप, वर्तमान प्रणाली न केवल सी.एफ. के नवीकरण को सुनिश्चित करने में विफल रही बल्कि इसके अंतर्निर्मित दोषों के कारण राजस्व क्षरण भी हुआ।

जवाब में, प.वि. ने बताया (जून 2025) कि एन.आई.सी. को वाहन एप्लिकेशन के मोटर वाहन कर खंड के साथ हरित कर को जोड़ने का निर्देश (दिसंबर 2024 और मार्च 2025 के बीच) दिया गया है।

2.3.5 अनुज्ञापत्र निर्गत करना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 में प्रावधान है कि एक परिवहन वाहन का स्वामी प्राधिकृत प्राधिकारी से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद ही अपने वाहन का उपयोग सार्वजनिक स्थान पर कर सकता है। मो.वा. अधिनियम के अनुसार, "परिवहन वाहन" का अर्थ है एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक माल वाहन, एक शैक्षणिक संस्थान की बस या एक निजी सेवा वाहन। परिवहन आयुक्त, जो राज्य परिवहन प्राधिकारी (रा.प.प्रा.) हैं, वे पर्यटक वाहनों को अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र और अंतर-राज्य समझौतों की शर्तों

के अनुसार मार्गीय यात्री वाहन तथा माल वाहनों को अंतरराज्यीय अनुज्ञापत्र प्रदान करने के अधिकृत होते हैं। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरियों (क्षे.प.प्रा.) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र, मार्गीय यात्री वाहन अनुज्ञापत्र, अनुबंध कैरिज अनुज्ञापत्र, माल वाहक अनुज्ञापत्र आदि प्रदान करते हैं। परिवहन वाहनों के संबंध में निम्नलिखित अनुज्ञापत्र रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा. द्वारा जारी किए जाते हैं।

अनुज्ञापत्र के प्रकार	उद्देश्य
माल वाहक अनुज्ञापत्र	भाड़े या इनाम के लिए माल की ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए यह अनुज्ञापत्र आवश्यक है।
अनुबंध कैरिज अनुज्ञापत्र	अनुबंध करने वाली पार्टी के अनन्य उपयोग के लिए अनुबंध के आधार पर भाड़े पर लिए गए वाहनों के लिए जारी किया गया।
मार्गीय यात्री वाहन अनुज्ञापत्र	विशेष रूप से निश्चित कार्यक्रम और स्टॉपिंग पॉइंट (रुकने का बिंदु) के साथ निर्दिष्ट मार्गों पर यात्रियों की गाड़ी के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए।
पर्यटन वाहन अनुज्ञापत्र	वाहनों को एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर या बाहरी पर्यटन के लिए पर्यटकों के परिवहन के लिए पर्यटक टैक्सी या कैब के रूप में काम करने की अनुमति देता है।
राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र	वाणिज्यिक वाहनों को राज्य सीमाओं के पार संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे माल या यात्रियों का अंतर-राज्य परिवहन सुगम हो जाता है।
मैक्सी कैब अनुज्ञापत्र	कुछ शहरों या क्षेत्रों के लिए विशिष्ट और पारंपरिक टैक्सियों की तुलना में अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए बनाय वाहनों के लिए जारी किया जाता है, लेकिन बसों से कम।

झारखण्ड में क्षे.प.प्रा. द्वारा वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक जारी किए गए वर्ष-वार अनुज्ञापत्रों की संख्या **तालिका 2.16** में दर्शाई गई है।

तालिका-2.16: राज्य में 2019-24 तक निर्गत किए गए अनुज्ञापत्रों की वर्ष-वार संख्या

वर्ष	निर्गत किए गए अनुज्ञापत्रों की संख्या	वर्ष-वार वृद्धि (*प्रतिशत में*)
2019-20	2,896	
2020-21	7,108	145
2021-22	10,342	45
2022-23	18,309	77
2023-24	26,230	43

स्रोत: वाहन सूचनापट्ट

राज्यांतर्गत अनुज्ञापत्र और पड़ोसी राज्यों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के तहत अनुज्ञापत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, विभाग ने 2017 में एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, एसपरमिट, विकसित की। यह प्लेटफ़ॉर्म अनुज्ञापत्र आवेदनों के डिजिटल प्रस्तुतीकरण और प्रक्रम को सक्षम बनाता है। मौजूदा अनुज्ञापत्र अभिलेखों को डिजिटलीकृत और प्रणाली में एकीकृत किया गया था, और विभिन्न शुल्क संरचनाओं को तदनुसार मानचित्रण किया गया था। विभाग अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र और राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए वाहन एप्लिकेशन का उपयोग करता है।

2.3.5.1 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों (रा.अ.) के लिए प्राधिकरण

मो.वा. अधिनियम और कें.मो.वा. नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत माल वाहनों को पाँच वर्षों की अवधि के लिए या वाहन के निर्धारित आयु सीमा तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र (रा.अ.) प्रदान किया जाता है। संबंधित क्षे.प.प्रा. द्वारा जारी ये अनुज्ञापत्र पूरे भारत में माल वाहनों को संचालित करने की अनुमति देते हैं। धारा 81, सह-पठित नियम 87, के अनुसार, अनुज्ञापत्र समाप्ति तक या उसके समर्पण तक राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकरण के नवीकरण के लिए प्राधिकरण शुल्क (₹ 1,000) तथा समेकित शुल्क (₹ 16,500) का वार्षिक भुगतान अनिवार्य है। गैर-नवीकरण के मामले में, झा.मो.वा. नियमावली, 2001 के नियम 82 (8) के प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड लागू किया जाएगा।

वाहन आँकड़ा के विश्लेषण से पता चला है कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान तीन नमूना-जाँचित क्षे.प.प्रा. ने 14,984 रा.अ. जारी किए थे। लेखापरीक्षा ने इनमें से 9,961 रा.अ. का नमूना-जाँच किया और पाया कि अनुज्ञापत्र धारक के आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण 1,443 मामलों में प्राधिकरण के अनुवर्ती नवीकरण नहीं हो सका। हालांकि, अनुज्ञापत्र, आर.सी. और कर भुगतान आंकडों ने पुष्टि की कि ये वाहन अभी भी सक्रिय थे और न तो समर्पित थे और न ही उनके अनुज्ञापत्र समर्पण किए गए थे या समाप्त हो गए थे। इन वाहनों के स्वामियों ने वैधता अवधि की समाप्ति के बावजूद प्राधिकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुज्ञापत्र और कर संग्रह खंड के बीच एकीकरण की अनुपस्थिति के कारण, वाहन एप्लिकेशन के पास कर संग्रह के दौरान ऐसे वाहनों (समाप्त हो चुके रा.अ. के साथ) को चिन्हित करने के लिए एक अंतर्निहित चेतावनी तंत्र का अभाव था। विभाग ने भी ऐसे मामलों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा नहीं की जिनके रा.अ. का प्राधिकरण नवीकरण होना लंबित था, जिससे ₹ 5.26 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका (समेकित शुल्क: ₹ 3.60 करोड़, प्राधिकरण शुल्क: ₹ 0.41 करोड़, और विलम्ब शुल्क: ₹ 1.25 करोड़)।

इसी प्रकार, 2023-24 की अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो क्षे.प.प्रा. (हजारीबाग और दुमका) में 2018-22 के बीच जारी किए गए 5,254 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों में से 1,461 के प्राधिकरण का नवीकरण नहीं किया गया था। इससे ₹ 5.62 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई, (समेकित शुल्क ₹ 4.12 करोड़, प्राधिकरण शुल्क ₹ 0.25 करोड़ और विलंब शुल्क ₹ 1.25 करोड़)।

परिवहन विभाग ने बताया (जून 2025) कि राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र की वैधता समाप्ति को निगरानी करने तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय एन.आई.सी को एक चेतावनी तंत्र शामिल करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया कि 398 वाहनों के प्राधिकरण का नवीकरण किया गया है और नमूना-जाँचित क्षे.प.प्रा. द्वारा ₹ 1.20 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है। विभाग ने आगे सूचित किया (सितंबर 2025) कि

445 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों का प्राधिकरण नवीनीकृत किया गया और ₹ 1.46 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

2.3.5.2 शैक्षिक संस्थान बस के लिए अनुज्ञापत्र शुल्क

मो.वा. अधिनियम की धारा 2 एक "शैक्षणिक संस्थान बस" को एक शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व वाले एक बस के रूप में परिभाषित करती है, जिसका उपयोग विशेष रूप से अपनी गतिविधियों के संबंध में छात्रों या कर्मचारियों के परिवहन के लिए किया जाता है। इसके अलावा, एक "अनुबंध कैरिज" को यात्रियों के अनन्य उपयोग के लिए एक अनुबंध के तहत कार्यरत मोटर वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है। स्टेज और अनुबंध कैरिज वाहनों से संबंधित अनुज्ञापत्र के लिए शुल्क झा.मो.वा. नियमावली के नियम 74 में निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त, अनुबंध कैरिज अनुज्ञापत्र पर अनुज्ञापत्र शुल्क का 50 *प्रतिशत* अधिभार देय होता है।

अनुज्ञापत्र संचिकाओं, पंजियों और शैक्षिक संस्थान की बसों के लिए जारी/नवीनीकृत अनुबंध कैरिज अनुज्ञापत्रों, एसपरमिट में संधारित आँकड़ा की लेखापरीक्षा जाँच ने उद्ग्रहित शुल्क में विसंगतियों को प्रकट किया, जैसा कि **तालिका-2.17** में दिखाया गया है।

तालिका-2.17: अनुज्ञापत्र शुल्क

क्र.सं.	अवधि	उदग्रहणीय अनुज्ञापत्र शुल्क	उदग्रहित अनुज्ञापत्र शुल्क	उदग्रहित अधिभार (@ अनुज्ञापत्र शुल्क का 50 प्रतिशत)
1	सितंबर 2013 तक	1,000	1,000	500
2	अक्टूबर 2013 से	2,000	3,000	1,500
3	जनवरी 2014 से	2,000	4,000	2,000
4	अगस्त 2021 से	3,000	9,000	4,500
5	सितंबर 2023 से	2,000	6,000	3,000

लेखापरीक्षा ने पाया कि शैक्षिक संस्थान बसों के लिए अनुज्ञापत्र शुल्क सितंबर 2013 तक सही ढंग से उदग्रहित किया गया था। उसके पश्चात, इन बसों के लिए अनुज्ञापत्र शुल्क समय-समय पर असंगत प्रकार से उदग्रहित किया गया। यह भी देखा गया कि अनुज्ञापत्र शुल्क की गलत राशि के उदग्रहण वाले ऐसे मामले एसपरमिट में शैक्षिक संस्थागत बसों का अनुबंध कैरिज के रूप में गैर-मानचित्रण के कारण था।

जवाब में प.वि. ने कहा (जून 2025) कि संयुक्त परिवहन आयुक्त को एसपरमिट में सही शुल्क मानचित्रण करने का निर्देश (मई 2025) दिया गया है।

2.3.5.3 अनुज्ञापत्रों के लिए आवेदन का प्रसंस्करण

झा.मो.वा. नियमावली के नियम 66 के अनुसार, राज्यान्तर्गत मार्गीय यात्री वाहन अनुज्ञापत्रों के निर्गत/नवीकरण से संबंधित दायित्वों के सुचारू निर्वहन हेतु क्षे.प.प्रा. को

प्रत्येक माह कम-से-कम एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। बैठक की कार्यसूची में अनुज्ञापत्र आवेदनों, उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति पर विचार करना और प्रसंस्करण दक्षता में सुधार करना है। अनुज्ञापत्र संबंधी आवेदनों का प्रसंस्करण कार्यसूची के मदों में से एक था जिसे बैठकों में शामिल किया जाना था।

2019-20 से 2023-24 के दौरान तीन नमूना-जाँचित क्षे.प.प्रा. में आयोजित बैठकों का विवरण **तालिका-2.18** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.18: आयोजित बैठकों की संख्या (2019-24)

वर्ष	राँची	हजारीबाग	पलामू	कुल
2019-20	1	2	2	5
2020-21	0	0	0	0
2021-22	0	0	0	0
2022-23	1	2	1	4
2023-24	1	1	0	2
कुल	**3**	**5**	**3**	**11**

स्रोत: क्षे.प.प्रा. द्वारा प्रदत्त सूचना

तालिका-2.18 से यह देखा जा सकता है कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, तीन क्षे.प.प्रा. (राँची: 3, हजारीबाग: 5 और पलामू: 3) में केवल 11 बैठकें (छह प्रतिशत) आयोजित की गई थीं, जो आवश्यक 180 बैठकों (12 बैठकें प्रति वर्ष प्रति क्षे.प.प्रा.) से काफी कम थी।

लेखापरीक्षा ने एसपरमिट के माध्यम से प्रसंस्कृत 1,175 अनुज्ञापत्रों के मामलों के आंकड़ों का उन बैठकों जो राज्यान्तर्गत मार्गीय यात्री वाहन अनुज्ञापत्रों के निर्गत/नवीकरण के लिए आयोजित की गई थी के अभिलेखों से तिर्यक जाँच किया। इन अनुज्ञापत्र के प्रसंस्करण में देरी का विवरण **तालिका-2.19** में दिखाया गया था।

तालिका-2.19: 2019-20 से 2023-24 के दौरान स्टेज एवं अनुबंध मार्गीय यात्री वाहन गाड़ी आवेदनों के प्रसंस्करण में विलंब

क्षे.प.प्रा.	निर्गत अनुज्ञापत्र (सं.)	निर्गत में विलंब (दिनों में)	नवीनीकृत अनुज्ञापत्र (सं.)	नवीकरण में विलंब (दिनों में)	स्थानांतरित अनुज्ञापत्र (सं)	स्थानांतरण में विलंब (दिनों में)	अनुज्ञापत्र के विरुद्ध प्रतिस्थापित वाहन (सं)	प्रतिस्थापन में विलंब (दिनों में)
राँची	291	92-1,617	127	34-1,775	0	0	42	82-1,832
हजारीबाग	316	75-929	36	35-1,838	5	508-1,577	36	93-1,688
पलामू	100	33-1,324	29	42-1,282	7	574-1,660	10	61-1,827
कुल	707	–	192	–	12	–	88	–

स्रोत: एसपरमिट आंकड़ा कोष

तालिका 2.19 से देखा जा सकता है कि अनुज्ञापत्र आवेदनों के प्रसंस्करण में अत्यधिक विलंब हुआ। 1,175 अनुज्ञापत्र आवेदनों में से 999 अनुज्ञापत्र आवेदनों (85 प्रतिशत) का प्रसंस्करण 33 से 1,838 दिनों की देरी के साथ किया गया। तीनों क्षे.प.प्रा. में अनुज्ञापत्र आवेदनों के प्रसंस्करण में, राँची में 34 से 1,832 दिन, हजारीबाग में 35 से 1,838 दिन तथा पलामू में 33 से 1,827 दिन तक, विलंब देखा गया। जैसा कि झा.मो.वा. नियमावली में परिकल्पित है, बैठकों की अनुज्ञापत्र आवेदनों को प्रसंस्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इन बैठकों का नियमित रूप से न होना अनुज्ञापत्र प्रदान एवं नवीकरण करने को प्रभावित करता है। कुछ मामलों में अनुज्ञापत्र प्रसंस्करण में पाँच वर्षों तक का विलंब हुआ और वैध अनुज्ञापत्र के बिना संचालित होने वाले वाहनों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जवाब में, प.वि. ने बताया (जून 2025) कि क्षे.प.प्रा. में अनुज्ञापत्र आवेदनों के प्रसंस्करण में मानव संसाधन की कमी के कारण विलंब हुआ है। पुनः यह कहा गया कि क्षे.प.प्रा., हजारीबाग में बैठकें आयोजित नहीं हो सकीं क्योंकि क्षे.प.प्रा. के गैर-आधिकारिक सदस्य के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

2.3.5.4 मार्गीय यात्री वाहन एवं शैक्षिक संस्थान बस अनुज्ञापत्रों का नवीकरण

मो.वा. अधिनियम की धारा 81 में प्रावधान है कि अस्थायी अनुज्ञापत्र के अलावा एक वाहन अनुज्ञापत्र पाँच साल की अवधि के लिए वैध होगा और उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले किए गए आवेदन पर नवीनीकृत किया जा सकेगा। झा.मो.वा. नियमावली के नियम 82(8) में कहा गया है कि प्राधिकरण अनुज्ञापत्र की अवधि की समाप्ति के बाद अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए आवेदन स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि विलंब शुल्क का भुगतान किया गया हो। इसके अलावा, झा.मो.वा. नियमावली के नियम 86(5) में कहा गया है कि अनुज्ञापत्र धारक, अनुज्ञापत्र की समाप्ति पर, मार्गीय यात्री वाहन के मामले में तीन दिनों के अंदर और अन्य मामलों में सात दिनों के अंदर संबंधित परिवहन प्राधिकारी को अनुज्ञापत्र सुपुर्द करेगा।

लेखापरीक्षा ने मार्गीय यात्री वाहन अनुज्ञापत्र एवं शैक्षिक संस्थान बसों को जारी अनुज्ञापत्रों से संबंधित अनुज्ञापत्र पंजी की नमूना-जाँच की तथा तीन नमूना-जाँचित क्षे.प.प्रा. में एसपरमिट एप्लिकेशन एवं प्रतिवेदन विवरणी के आंकड़ों के साथ तिर्यक-जाँच किया। नमूना-जाँचित 1,985 अनुज्ञापत्रों में से 1,373 अनुज्ञापत्र 2019-20 से 2023-24 के दौरान नवीकृत किए गए थे, जबकि शेष 612 अनुज्ञापत्र का नवीकरण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि इन 612 में से, 258 सार्वजनिक सेवा वाहनों के कर और दुरूस्ती प्रमाण पत्र, जिसमें मार्गीय यात्री वाहन (92) और शैक्षिक संस्थान बसें (166) दोनों शामिल हैं, अद्यतन थे और अनुज्ञापत्र नवीकरण के योग्य थे, लेकिन उनके अनुज्ञापत्र समाप्त होने के बाद भी नवीकृत नहीं किए गए थे। अभिलेखों में ऐसा कोई उल्लिखित नहीं था जो यह दर्शाए कि ये वाहन परिचालन में नहीं थे, या अनुज्ञापत्र

समर्पित किये गये थे। पुनः, अनुज्ञापत्र चूककर्ताओं की अनुश्रवण की सुगमता के लिए एसपरमिट और वाहन एप्लिकेशन के बीच समेकीकरण नहीं था। इस प्रकार, विभाग/क्षे.प.प्रा. और राज्य प्रवर्तन इकाई इन वाहनों की पहचान करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप ₹46.79 लाख के राजस्व की गैर-वसूली हुई, जिसमें अनुज्ञापत्र शुल्क, आवेदन शुल्क और विलंब शुल्क शामिल हैं **(परिशिष्ट-IX)**।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि संबंधित क्षे.प.प्रा. ने स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया था जिसमें अनुज्ञापत्र धारकों को अपने वाहनों के अनुज्ञापत्रों को नवीकृत करने का निर्देश दिया गया था।

2.3.5.5 एप्लिकेशन में प्रावधानों का गैर/गलत मानचित्रण

झारखण्ड रा.प.प्रा. ने (सितंबर 2018) अनिवार्य किया है कि नए अनुज्ञापत्र के लिए सभी आवेदन, अनुज्ञापत्र नवीकरण, अनुज्ञापत्रों का हस्तांतरण और अनुज्ञापत्रों के तहत वाहनों के प्रतिस्थापन को सिर्फ एसपरमिट के माध्यम से ऑनलाइन आवश्यक शुल्क का भुगतान करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के लिए आवेदन वाहन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने थे।

एसपरमिट एवं वाहन एप्लिकेशन के माध्यम से अनुज्ञापत्र से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने लागू प्रावधानों की पृष्ठभूमि में, एप्लिकेशन में प्रावधानों के गैर/असंगत मानचित्रण के कारण निम्नलिखित कमियों का खुलासा किया।

1. हालांकि अनुज्ञापत्र के नवीकरण शुल्क को एसपरमिट प्रणाली में एकीकृत किया गया था, नवीकरण के लिए विलंबित आवेदनों के लिए विलंब शुल्क लगाने के प्रावधान को प्रणाली में मानचित्रण नहीं किया गया था। अनुज्ञापत्र के नवीकरण के विलंबित आवेदन के लिए विलंब शुल्क क्षे.प.प्रा. द्वारा भौतिक रूप से उदग्रहण/गणना किया गया और एस.बी.आई. कलेक्ट के माध्यम से अलग से संग्रहित किया गया था। इससे लागू विलंब शुल्क का भुगतान किए बिना एसपरमिट के माध्यम से अनुज्ञापत्र का नवीकरण करने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, अनुज्ञापत्र नवीकरण में देरी के उदाहरण सामने आए जहां विलंब शुल्क बिल्कुल भी एकत्र नहीं किया गया था और प्रणाली ने लागू विलंब शुल्क का भुगतान सुनिश्चित किए बिना अनुज्ञापत्र के नवीकरण की अनुमति दी थी।

2. मो.वा. अधिनियम की धारा 83 के अनुसार, अनुज्ञापत्र धारक अपने अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले वाहन को उसी प्रकृति के दूसरे वाहन से प्रतिस्थापित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, झा.मो.वा. नियमावली का नियम 83 अनुज्ञापत्र धारक के गैर-स्वामित्व वाले वाहन के साथ भी इस तरह के प्रतिस्थापन की अनुमति देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिस्थापन पर, नए वाहन के स्वामित्व की परवाह किए बिना, मूल धारक के नाम पर अनुज्ञापत्र जारी रहता हैं। एसपरमिट के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि, वाहन के प्रतिस्थापन पर, अनुज्ञापत्र धारक के नाम के

बजाय वाहन के मालिक के नाम पर अनुज्ञापत्र स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाता है।

3. संविदा वाहन (आकस्मिक या विशेष) और अनुज्ञापत्र शुल्क के तहत विशेष टैक्सी अनुज्ञापत्र, झा.मो.वा. नियमावली के नियम 74 (x) के तहत उद्ग्रहणीय है, वाहन एप्लिकेशन में मानचित्रण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इस श्रेणी के तहत अनुज्ञापत्र जारी नहीं किए गए और संभावित राजस्व हानि हुई।
4. सभी परिवहन वाहनों के पास सार्वजनिक स्थानों पर संचालित करने के लिए एक वैध अनुज्ञापत्र होना चाहिए; इसलिए, परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले लागू अनुज्ञापत्र के लिए परिवहन वाहन के प्रत्येक वर्ग को एप्लिकेशन में मानचित्रण किया जाना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि परिवहन वाहनों के सभी वर्गों को एसपरमिट के सभी खंडों में मानचित्रण नहीं किया गया था, अर्थात, कैम्पर, मोबाइल वर्कशॉप वैन आदि।
5. एसपरमिट अन्य राज्यों के प्रमादी वाहनों की सूची जनित नहीं कर सकता। यह प्रवर्तन में बाधित करता है और कर के गैर-भुगतान और अनुज्ञापत्र उल्लंघन के कारण राजस्व हानि की ओर जाता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि प.वि ने प्रावधानों के अनुपालन का पता लगाने के लिए एसपरमिट की कोई आवधिक समीक्षा नहीं की या एसपरमिट के कामकाज में मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक समिति/निगरानी इकाई की स्थापना नहीं की। पुनः, अनुज्ञापत्र से संबंधित कार्य वाहन एप्लिकेशन के साथ एकीकृत नहीं थे जिससे वाहन पोर्टल के माध्यम से अधिगमित की जाने वाली एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र की स्थापना बाधित हुई।

प.वि. ने कहा (जून 2025) कि एन.आई.सी. को एसपरमिट की सुरक्षा लेखापरीक्षा करने का निर्देश (मई 2025) दिया गया था।

विभाग का जवाब आश्वास्त करने वाला नहीं है क्योंकि एसपरमिट की सुरक्षा लेखापरीक्षा उन कार्यात्मक कमियों को हल नहीं करेगी जो अनुपालन, पारदर्शिता, प्रवर्तन और राजस्व संग्रह को प्रभावित करती हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रणाली की एक प्रभावी अनुश्रवण तंत्र की आवश्यकता है।

2.3.6 विनियमों का कार्यान्वयन

2.3.6.1 स्वचालित दुरूस्ती प्रबंधन प्रणाली

एम.ओ.आर.टी.एच. ने वाहन निरीक्षण और सी.एफ. जारी करने के लिए स्वचालित परीक्षण केंद्र (ए.टी.एस.) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए एक नीति अधिसूचित की (सितंबर 2021)। नीति में परिकल्पना की गई थी कि आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद दुरूस्ती परीक्षण आरक्षित करने हेतु केंद्र सरकार

एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल स्थापित करेगी। केंद्र सरकार ने "स्वचालित दुरूस्ती प्रबंधन प्रणाली (ए.एफ.एम.एस.)" आरंभ की (मई 2024); एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सभी कार्यात्मक ए.टी.एस. को एकीकृत करता है और वाहन मालिकों को नामित ए.टी.एस. में दुरूस्ती परीक्षण आरक्षित करने या पुनर्निर्धारित करने, परिणाम देखने, प्रमाण पत्र डाउनलोड करने और परीक्षण परिणामों के विरूद्ध अपील करने की अनुमति देता है।

इसके अलावा, केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2023 ने 1 अक्टूबर 2024 से ए.टी.एस. के माध्यम से दुरूस्ती परीक्षण अनिवार्य कर दिया। इस संशोधन के लिए प्रत्येक पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत ए.टी.एस. की स्थापना की आवश्यकता थी।

राज्य में ए.टी.एस. की स्थापना से संबंधित परिवहन आयुक्त, झा.स. के कार्यालय में संधारित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि प.वि., झारखण्ड ने अक्टूबर 2021 में ए.टी.एस. की स्थापना के लिए व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थानों को आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किया था। हालांकि, जुलाई 2023 तक केवल एक ए.टी.एस. (मेसर्स ग्लोबल ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, हजारीबाग), जि.प.प., हजारीबाग के अधिकार क्षेत्र में स्थापना की गई थी। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में ए.टी.एस. की स्थापना न होने के कारण ए.एफ.एम.एस. पोर्टल के साथ ए.टी.एस. का एकीकरण अधूरा रहा।

इस प्रकार, ए.एफ.एम.एस. के नियोजित कार्यान्वयन और वर्तमान प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था, विशेष रूप से राज्य में पंजीकृत परिवहन वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सी.एफ. जारी करने के अनिवार्य प्रावधानों और ए.एफ.एम.एस. के माध्यम से सी.एफ. जारी करने के लिए अक्टूबर 2024 की समय सीमा को देखते हुए। राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों के तहत ए.टी.एस. की अनुपस्थिति में, मो.वा.नि. द्वारा सी.एफ. जारी किये जा रहे थे।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि मई 2025 तक चार ए.टी.एस. को पंजीकरण प्रमाण पत्र और आठ संस्थानों को प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

2.3.6.2 वाहन स्क्रैपिंग सुविधा

एम.ओ.आर.टी.एच. ने मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 को अधिसूचित (सितंबर 2021) किया, ताकि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आर.भी.एस.एफ.) की स्थापना और संचालन को विनियमित किया जा सके और जीवनावसान वाहनों (ई.एल.वी.) के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके। विभाग ने (सितंबर 2022) राज्य में आर.भी.एस.एफ. की स्थापना के लिए प्रस्तावों के लिए प्रस्ताव निवेदन (आर.एफ.पी.) आमंत्रित करते हुए एक आम सूचना प्रकाशित की। इसके अलावा, वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, विभाग ने राज्य में पंजीकृत

आर.भी.एस.एफ. में स्क्रैप किए गए वाहनों के लिए कर और जुर्माने के बकाया पर 50 प्रतिशत की छूट के लिए एक अधिसूचना (अक्टूबर 2024) जारी की।

लेखापरीक्षा ने उपलब्ध अभिलेखों का विश्लेषण किया और पाया कि राज्य में आर.भी.एस.एफ. की स्थापना के लिए आर.एफ.पी. के निमंत्रण के विरूद्ध कोई प्रस्ताव जनवरी 2025 तक प्राप्त नहीं हुआ था। विभाग ने इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां वाहन पुराने (15/20 वर्ष) थे और दुरूस्ती परीक्षण पास नहीं करते थे, ए.टी.एस. द्वारा स्क्रैपिंग के लिए वाहनों की भी पहचान की जानी थी। हालांकि, प्रत्येक पंजीकरण प्राधिकरण के तहत एक ए.टी.एस. के बजाय, विभाग केवल एक ए.टी.एस. (हजारीबाग) स्थापित कर सका, जहां मोटर वाहनों के निरीक्षण और उन्हें स्क्रैप करने हेतु दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे।

इस प्रकार, आर.एफ.पी. के प्रति कम प्रतिक्रिया के कारण आर.वी.एस.एफ. की स्थापना नहीं हो सकी, जिससे वाहन स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग अवसंरचना की स्थापना में देरी हुई। इस प्रकार, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना से तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एम.ओ.आर.टी.एच. के रूपरेखा के तहत झारखण्ड में आर.भी.एस.एफ. की स्थापना अभी भी प्रगति पर है।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि दो आर.भी.एस.एफ. के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो प्रक्रियाधीन थे।

2.3.7 कर, शुल्क एवं उपकर का संग्रह

जिला परिवहन प्राधिकारी झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 3 के तहत वाहनों के लिए "करारोपण पदाधिकारी" के रूप में कार्य करते हैं। वे वाहन पंजीकरण, दुरूस्ती प्रमाणन और उनके द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं से संबंधित करों और शुल्कों के उद्ग्रहण, मूल्यांकन और संग्रह के लिए जिम्मेदार हैं।

झारखण्ड में लगाए गए विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क और उपकर निम्नानुसार हैं:

कर का प्रकार	विवरण
आजीवन/एकमुश्त कर	12 से 15 वर्षों के लिए वैध बिक्री मूल्य का प्रतिशत
त्रैमासिक कर	माल वाहनों के लिए पंजीकृत लदान भार (प.ल.भा.) और सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए बैठान क्षमता के आधार पर
हरित कर	15 वर्ष से अधिक पुराने गैर-परिवहन वाहनों और 12 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर।
व्यापार कर	मोटर वाहनों के विनिर्माता या विक्रेता पर, उनके व्यवसाय के दौरान उनके पास में मौजूद मोटर वाहनों के संबंध में।
अनुज्ञप्ति शुल्क	एल.एल., डी.एल. और चालक स्कूलों के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए एकत्र किया गया।
	कंडक्टर अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए एकत्र किया गया।
पंजीकरण/दुरूस्ती शुल्क	मोटर वाहनों के पंजीकरण/दुरूस्ती के विरूद्ध एकत्र किया गया।

कर का प्रकार	विवरण
अनुज्ञापत्र शुल्क	विभिन्न प्रकार के अनुज्ञापत्र के संबंध में एकत्र किया गया।
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पी.यू.सी.सी.) शुल्क	पी.यू.सी.सी. के लिए एकत्र किए गए शुल्क पर सरकार का हिस्सा।
सड़क सुरक्षा उपकर	विभाग के प्रवर्तन इकाई द्वारा कंपाउंड की गई राशि का 20 प्रतिशत।

2.3.7.1 नई कर संरचना लागू करना

राज्य में मोटर वाहनों पर करों को झा.मो.वा.क. अधिनियम (पूर्ववर्ती बिहार मोटर वाहन कराधान (बि.मो.वा.क.) अधिनियम, 1994) के तहत विनियमित किया जाता है, जिसे अप्रैल 1994 में अधिनियमित किया गया था।

2011 में, प.वि. ने मोटर वाहन कर संरचना की समीक्षा की जो 1994 से प्रभावी थी। बढ़ती बजटीय और व्यय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने के लिए मौजूदा कर संरचना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था। झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 5(3) के तहत वह उपबंध, जिसने सरकार को एक वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक कर की दर बढ़ाने से प्रतिबंधित कर दिया था, झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। तदनुसार, झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिसूचित किया गया था।

(क) मालवाहक वाहनों पर करारोपण

पिछली कर संरचनाओं में निर्धारित पं.ल.भा. की छोटी श्रेणियों पर कर की वृद्धिशील दर की प्रणाली को भार की विस्तृत श्रेणी के लिए स्थिर कर दर से प्रतिस्थापित किया गया, जैसा कि **तालिका-2.20** में विस्तृत है।

तालिका-2.20: राज्य में यथासंशोधित मालवाहक वाहनों के कर की वार्षिक दरें

ट्रेलरों को छोड़कर पंजीकृत लदान भार	बि.मो.वा.क. अधिनियम 1994/ झा.मो.वा.क. अधिनियम 2001 26.04.1994 से लागू		झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2018 31.01.2019 से लागू
	मोटर वाहन कर	अतिरिक्त मोटर वाहन कर	मोटर वाहन कर
500 कि.ग्रा. तक	₹ 298.50	₹ 310	₹ 900
500 कि.ग्रा. से 2,000 कि.ग्रा.	₹ 298.50 एवं ₹ 34 प्रत्येक 250 कि.ग्रा. पर	₹ 310 एवं ₹ 232.50 प्रत्येक 500 कि.ग्रा.	₹ 900 से ₹ 1,500
2,000 कि.ग्रा. से 3,000 कि.ग्रा.	₹ 502.50 एवं ₹ 42 प्रत्येक 250 कि.ग्रा.		₹ 1,500 से ₹ 2,250
3,000 कि.ग्रा. से 4,000 कि.ग्रा.	₹ 502.50 एवं ₹ 42 प्रत्येक 250 कि.ग्रा.		₹ 800 पं.ल.भा. के प्रत्येक टन पर

तालिका-2.20: राज्य में यथासंशोधित मालवाहक वाहनों के कर की वार्षिक दरें

ट्रेलरों को छोड़कर पंजीकृत लदान भार	बि.मो.वा.क. अधिनियम 1994/ झा.मो.वा.क. अधिनियम 2001 26.04.1994 से लागू		झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2018 31.01.2019 से लागू
	मोटर वाहन कर	अतिरिक्त मोटर वाहन कर	मोटर वाहन कर
4,000 कि.ग्रा. से 8,000 कि.ग्रा.	₹ 838.50 एवं ₹ 51.50 प्रत्येक 250 कि.ग्रा.		
8,000 कि.ग्रा. से अधिक	₹ 1662.50 एवं ₹ 136.50 प्रत्येक 250 कि.ग्रा.		

तालिका-2.20 में प्रदर्शित कर संरचनाओं की तुलना से यह स्पष्ट हुआ कि -

i. माल वाहनों के लिए पूर्व संशोधित कर संरचना में, पं.ल.भा. में 250 किलो के भार में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ जाती थी।

ii. नई कर संरचना में 3,000 किलोग्राम के पं.ल.भा. तक 1,500 (500 और 2,000 किलोग्राम के पं.ल.भा. के बीच) और 1,000 किलोग्राम (2,000 और 3,000 किलोग्राम के पं.ल.भा. के बीच) की सीमा के लिए कर की दर स्थिर थी। इसके बाद कर की दर स्थिर है।

iii. नई कर प्रणाली के अंतर्गत कम पं.ल.भा. और अपेक्षाकृत कम कर देयता वाले वाहनों पर कर की दर बढ़ गई, जबकि अधिक पं.ल.भा. और अधिक कर देयता वाले वाहनों पर कर की दर घट गई। 12,000 किलोग्राम से अधिक पं.ल.भा. वाले वाहनों के लिए देय कर की राशि पूर्व कर संरचना की तुलना में कम हो गई, जैसा कि **तालिका-2.21** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.21: पूर्व एवं नए कर की दरों की तुलना

पं.ल.भा. (कि.ग्रा. में)	पिछला कर (₹)	वर्तमान कर (₹)	अंतर (₹)	अंतर का *प्रतिशत*
5,000	3,447	4,000	553	16.04
12,000	9,384	9,600	216	2.3
22,000	19,616	17,600	-2,016	-10.28
32,000	29,724	25,600	-4,124	-13.87
42,000	39,836	33,600	-6,236	-15.65
52,000	49,944	41,600	-8,344	-16.71
62,000	60,056	49,600	-10,456	-17.41
72,000	70,164	57,600	-12,564	-17.91
80,000	80,276	65,600	-14,676	-18.28

तालिका-2.21 से यह देखा जा सकता है कि कर की राशि में एक से 18.28 प्रतिशत तक की कमी थी, भारी मालवाहक वाहनों (एच.जी.भी.) से कर की राशि में औसत कमी 12.40 प्रतिशत थी।

(ख) ट्रेलरों पर करारोपण

ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को छोड़कर ट्रेलरों का उपयोग आमतौर पर माल के परिवहन के लिए किया जाता है और इन्हें मोटर वाहनों द्वारा खींचे जाने के लिए बनाया गया है। पिछले कर संरचनाओं में निर्धारित पं.ल.भा. की छोटी श्रेणियों पर कर की वृद्धिशील दर की प्रणाली को लागत मूल्य के आधार पर एकमुश्त कर के साथ प्रतिस्थापित किया गया था, जैसा कि **तालिका-2.22** में विस्तृत है।

तालिका-2.22: राज्य में विभिन्न संशोधनों के अंतर्गत ट्रेलरों पर आरोपित होने वाले वार्षिक कर की दरें

पंजीकृत लदान भार	बि.मो.वा.क. अधिनियम 1994/ झा.मो.वा.क. अधिनियम 2001 26.04.1994 से लागू		झा.मो.वा.क. अधिनियम 2018 31.01.2019 से लागू
	मोटर वाहन कर	अतिरिक्त मोटर वाहन कर	मोटर वाहन कर
4001 कि.ग्रा. से 8000 कि.ग्रा.	₹ 760.00 एवं 4,000 कि.ग्रा. से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि.ग्रा. पर ₹ 49.50	5,000 कि.ग्रा. तक ₹1,440	ट्रेलर के लागत मूल्य के 7 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त कर 12 वर्षों के लिए।
8001 कि.ग्रा. से 12000 कि.ग्रा.	₹ 1,568.00 एवं 8,000 कि.ग्रा. के ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि.ग्रा. पर ₹120.00.	₹ 1,440.00 एवं 5,000 कि.ग्रा. के ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त 1000 कि.ग्रा. पर ₹160.00	

ऐसे ट्रेलरों की लागत ₹ 10 से 15 लाख और उनके पं.ल.भा. 70,000 से 92,000 कि.ग्रा. तक थी। लेखापरीक्षा ने ऐसे 25 ट्रेलरों के करों का विश्लेषण किया और पाया कि संशोधित कर संरचना के अनुसार संग्रह पूर्व-संशोधित कर संरचना की तुलना में ₹ 33.06 लाख से कम था। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत ट्रेलरों पर कर की कम आरोपण एवं वसूली का एक उदाहरण **केस अध्ययन 2.3** में दर्शाया गया है।

केस अध्ययन 2.3

वाहन पंजीकरण संख्या	JH09XXXXX6
वाहन श्रेणी	ट्रेलर
पंजीकरण की तिथि	31-मार्च-2021
क्रय की तिथि	07-फरवरी-2021
लागत मूल्य	₹ 12,50,000
निबंधित लदान भार	92,000 कि.ग्रा.
भुगतान किया गया कर (लागत मूल्य के आधार पर)	₹ 87,500 (अवधि 07 फरवरी 2021 से 06 फरवरी 2033 तक, 12 वर्ष)
पूर्व संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत कर (पं.ल.भा. के आधार पर)	₹ 57,248 प्रतिवर्ष अथवा 12 वर्षों के लिए ₹ 6,86,976

अतः, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कर का कम आरोपण/संग्रहण = ₹ 6,86,976 - ₹ 87,500 = ₹ 5,99,476

पं.ल.भा. में प्रत्येक 250 किलोग्राम की वृद्धि के लिए उच्च दर लगाने की पिछली वृद्धिशील कर प्रणाली से नई संरचना में बदलाव, जो केवल 3,000 किलोग्राम तक की उच्च दर लागू करता है और उसके बाद स्थिर रहता है, साथ ही ट्रेलरों पर वार्षिक संग्रह के बजाय एकमुश्त लागत-आधारित कर के परिणामस्वरूप राजस्व की कमी, राजस्व को बढ़ावा देने के लिए कर पुनर्गठन के उद्देश्य को कमजोर किया।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, नए कर ढांचे में आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए एक विभाग स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

2.3.7.2 परिवहन वाहनों से कर

झा.मो.वा.क. अधिनियम तथा झा.मो.वा नियमावली में पंजीकृत परिवहन वाहनों के मालिकों को लागू अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यदि भुगतान में देरी 90 दिनों से अधिक हो जाती है, तो कर के साथ-साथ देय करों की राशि का दोगुना अर्थदंड आरोपित किया जाना है। इसके अलावा, अधिनियम में परिवहन वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रावधान है जो 12 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वाहन एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं को सिस्टम से प्रमादियों की सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। जि.प.प. को प्रमादियों को मांग नोटिस जारी करना आवश्यक है। इसके अलावा, वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों के संचालन की समाप्ति के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने वाहन आंकड़ाकोष से परिवहन वाहनों के कराधान आँकड़ा को निकाला और पाया कि राज्य में (31 मार्च 2024 तक) 1,42,817 वाहनों की कर वैधता समाप्त हो गई थी। इसमें से 79,086 (55 प्रतिशत) वाहन नमूना-जाँचित जि.प.का. में थे।

लेखापरीक्षा परीक्षण ने वाहन आंकड़ाकोष में 49,491 परिवहन वाहनों के कर अभिलेखों की जाँच की और वास्तविक समय के आंकड़ा के साथ नमूना-जाँचित जि.प.का. में तिर्यक-सत्यापन किया। यह देखा गया कि 3,108 वाहनों के मालिकों ने एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए करों का भुगतान करना बंद कर दिया था। वास्तविक समय के आंकड़ा और पंजीकरण अभिलेखों के साथ आगे सत्यापन करने पर, यह देखा गया कि इन वाहनों के अपरिचालित होने के संबंध में कोई प्रतिज्ञापन उपलब्ध नहीं था। मांग पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार जि.प.प. ने न तो वाहन एप्लिकेशन से प्रमादियों की सूची तैयार की थी और न ही झा.मो.वा.क. नियमावली के प्रावधानों के तहत अपेक्षित त्रैमासिक आधार पर मांग, संग्रह और शेष पंजिका को अद्यतन किया था। बकाया करों के लिए मांगें भी नहीं उठाई गई थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.89 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 22.34 करोड़ का कर संग्रह नहीं हुआ **(परिशिष्ट-X)**।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, 89,780 परिवहन वाहनों में से 6,925 परिवहन वाहन मालिकों से ₹ 62.93 करोड़ की मोटर वाहन कर और अर्थदंड, 13 नमूना-जाँच किए गए जि.प.का. में एकत्र नहीं किया गया था।

जवाब में, प.वि. ने बताया (जून 2025) कि नमूना-जाँचित जि.प.का. द्वारा निर्गत माँग पत्र के विरुद्ध 182 वाहन मालिकों से ₹ 90.42 लाख वसूल किए गए हैं। विभाग ने आगे कहा (सितंबर 2025) कि ₹ 5.93 करोड़ का राजस्व 868 प्रमादी वाहनों से प्राप्त किया गया है।

2.3.7.3 एकमुश्त कर

झारखण्ड सरकार ने जनवरी 2019 में मोटर वाहनों की कराधान संरचना में बदलाव लाया। व्यक्तिगत वाहनों के अलावा, कुछ परिवहन वाहन, यथा तीन पहिया वाहनों (यात्री), सी.ई.वी., तीन टन तक पं.ल.भा. वाले मालवाहक वाहन और मोटर कैब तक के माल वाहनों को एकमुश्त कर (ओ.टी.टी.) के दायरे में लाया गया था। इसके अलावा, 30 दिनों के भीतर ओ.टी.टी. का भुगतान न करने की स्थिति में, ओ.टी.टी. देय पर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड अध्यारोपित किया जाना था। इसके अलावा, झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 17, इसके अधीन बनाए गए नियम 15 के अंतर्गत, वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों के परिचालन की समाप्ति की स्थिति में एक प्रतिज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक था। किसी भी प्रतिज्ञापन के अभाव में, प्रत्येक मोटर वाहन का उपयोग राज्य के भीतर परिचालित या परिचालन के लिए रखा गया माना जाएगा और कर का भुगतान किया जाएगा।

वाहन आँकड़ाकोष से निकाले गए ओ.टी.टी. के दायरे में लाए गए परिवहन वाहनों के पंजीकरण/कराधान आंकड़ा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि राज्य में 3,81,493 वाहनों की कर वैधता समाप्त हो गई थी (मार्च 2024 तक) और वे इस प्रकार कर प्रमादी थे। इसमें से 2,18,008 (57 प्रतिशत) वाहनों को नमूना-जाँच वाले जि.प.का. में पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त में से, लेखापरीक्षा ने वास्तविक समय आंकड़ा और अन्य प्रासंगिक अभिलेख के साथ छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में 1,22,922 परिवहन वाहनों की कर स्थिति का सत्यापन किया और देखा कि 5,901 वाहन मालिकों ने ओ.टी.टी. का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा, निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में, इन वाहनों के परिचालित नहीं होने के संबंध में कोई भी प्रतिज्ञापन रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं पाया गया था। यह भी देखा गया कि माँग सूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार जि.प.प. ने वाहन एप्लिकेशन से प्रमादियों की सूची तैयार नहीं की थी और बकाया ओ.टी.टी. के लिए संबंधित मांगों को निर्गत नहीं किया था। इस प्रकार, विभाग ₹ 20.52 करोड़ (₹ 9.61 करोड़ अर्थदण्ड सहित) का राजस्व वसूल नहीं कर सका **(परिशिष्ट-XI)**।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, 1,34,020 एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाहनों की नमूना-जाँच में 3,979 वाहन मालिकों से ₹ 10.93 करोड़ की ओटिटी एवं अर्थदण्ड, 13 नमूना-जाँचित जि.प.का. में एकत्र नहीं की गई थी।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025), कि नमूना-जाँचित जि.प.का. द्वारा की गई मांग के विरूद्ध 132 वाहन मालिकों से ₹ 65.95 लाख की वसूली की गई है। विभाग ने आगे कहा (सितंबर 2025) कि 228 प्रमादी वाहन मालिकों से ₹ 0.94 करोड़ का राजस्व वसूल किया गया है।

2.3.7.4 पारस्परिक समझौतों के तहत संचालित वाहन

मो.वा. अधिनियम की धारा 88(5) में प्रावधान है कि एक राज्य में पंजीकृत परिवहन वाहन राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक समझौतों के तहत दूसरे राज्य में संचालित हो सकते हैं। इसके अनुसार, झारखण्ड और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के बीच जनवरी 2003 में; बिहार के साथ अप्रैल 2007 में तथा छत्तीसगढ़ के साथ सितंबर 2008 में पारस्परिक समझौते किए गए ताकि उनके क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा वाहन संचालित हो सकें। अंतरराज्यीय अनुज्ञापत्र प्रदत्त सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए द्वि-बिंदु कराधान प्रणाली अपनाई गई, जिससे ये वाहन अन्य राज्यों में परिचालन के दौरान उनके द्वारा आरोपित सभी करों के लिए उत्तरदायी होंगे।

पारस्परिक समझौतों और एसपरमिट पोर्टल के आंकड़ा के तहत झारखण्ड में संचालित अन्य राज्यों की बसों के प्रतिहस्ताक्षरित[22] रिकॉर्ड की जाँच से पता चला कि परिवहन आयुक्त, झा.स. द्वारा अप्रैल 2019 और मार्च 2024 के बीच 6,807 अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए थे।

एसपरमिट पोर्टल में कर स्थिति के विश्लेषण से पता चला है कि नमूना-जाँचित जि.प.का. में 805 बसों के नमूना में से, 61 बसों के मालिकों ने मोटर वाहन कर के भुगतान में चूक की थी। विभाग ने इन वाहनों द्वारा कर के भुगतान की भी निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89.90 लाख का कर वसूल नहीं किया गया, जिसमें कर के भुगतान में देरी के लिए ₹ 59.93 लाख का अर्थदण्ड भी शामिल है **(परिशिष्ट-XII)**।

इसी तरह, परिवहन आयुक्त कार्यालय, झा.स. में 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, 806 बसों में से 80 बसें, अन्य राज्यों में पंजीकृत और पारस्परिक समझौतों के अंतर्गत संचालित, मोटर वाहन कर के भुगतान में चूक पाई गईं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.72 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 1.08 करोड़ की राजस्व की वसूली नहीं हुई।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि परिवहन आयुक्त ने अनुज्ञापत्र धारकों को करों के बकाया की वसूली के लिए माँग पत्र जारी किए थे। विभाग ने आगे कहा (सितंबर 2025) कि एक वाहन से ₹ 0.01 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

[22] अनुज्ञापत्र का प्रतिहस्ताक्षर एक राज्य के परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया एक समर्थन है, जो मूल रूप से राज्य में वाहनों को चलाने के लिए किसी अन्य राज्य के प्राधिकरण द्वारा जारी अनुज्ञापत्र को अधिकृत करता है।

2.3.7.5 मोटर वाहनों के अस्थायी पंजीकरण जारी करने पर शुल्क

भारत सरकार ने मो.वा. अधिनियम की धारा 43 के तहत टी.आर. निर्गत करने के लिए शुल्क को कें.मो.वा. नियमावली के नियम 81(4क) में पंजीकरण शुल्क का आधा अधिसूचित किया, जो अप्रैल 2021 से प्रभावी है। अप्रैल 2021 से पहले, अस्थायी पंजीकरण के लिए शुल्क को राज्य सरकार द्वारा झा.मो.वा. नियमावली के नियम 44 (v) के तहत विनियमित किया गया था।

वाहन आँकड़ाकोष में छह नमूना-जाँचित जि.प.का. के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि परिवहन वाहनों के संबंध में 37,394 टी.आर. 1 अप्रैल 2021 और 31 मई 2024 के बीच चार जि.प.का.[23] द्वारा जारी किए गए थे और ₹ 1.64 करोड़ के बजाय ₹ 78.98 लाख की शुल्क लगाई गई थी, जैसा कि **तालिका-2.23** में दिखाया गया है।

तालिका-2.23: संशोधित टी.आर. शुल्क की गैर-मानचित्रण के कारण टी.आर. शुल्क का कम उद्ग्रहण

क्रम सं.	जि.प.का.	वाहनों की संख्या	आरोपित टी.आर. शुल्क (₹ में)	आरोपनीय टी.आर. शुल्क (₹ में)	टी.आर. शुल्क का कम उद्ग्रहण (₹ में)
1	हजारीबाग	2,196	4,53,480	9,43,250	4,89,770
2	जमशेदपुर	16,723	37,57,850	85,76,400	48,18,550
3	पलामू	1,792	3,29,050	5,76,450	2,47,400
4	राँची	16,683	33,57,530	63,43,450	29,85,920
कुल		**37,394**	**78,97,910**	**1,64,39,550**	**85,41,640**

लेखापरीक्षा ने टी.आर. के लिए शुल्क के कम उद्ग्रहण के कारण का विश्लेषण किया और देखा कि इसे कें.मो.वा. नियमावली के संशोधित नियम 81(4ए) के तहत उद्ग्रहणीय शुल्क, जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था के बजाय झा.मो.वा. नियमावली के नियम 44 (v) के तहत निर्धारित पूर्व-संशोधित दरों पर लगाया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि प.वि. ने मोटर वाहनों के अस्थायी पंजीकरण के विनियमन के संबंध में कें.मो.वा. नियमावली (अप्रैल 2021) में किए गए संशोधनों पर विचार किए बिना, 11 अगस्त 2021 से प्रभावी झा.मो.वा. (संशोधन) नियमावली, 2021 के माध्यम से टी.आर. शुल्क की दरों को संशोधित किया था, जैसा कि **तालिका-2.24** में दिखाया गया है।

[23] हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

तालिका 2.24: मोटर वाहनों के टी.आर. जारी करने पर उद्ग्रहणीय शुल्क की तुलनात्मक दर

क्र. सं.	वाहन की श्रेणी	झा.मो.वा. नियमावली के नियम 44 (iv) 18.10.2013 से प्रभावी	झा.मो.वा. नियमावली के नियम 44 (iv) 11.08.2021 से प्रभावी	के.मो.वा. नियमावली का नियम 81 (4क) 01.04.2021 से प्रभावी
1	मोटरसाईकल	100	200	150
2	तीन/चार पहिया वाहन	100	200	300
3	हल्के मोटर वाहन	100	200	300
4	माध्यम मालवाहक/सवारी वाहन	120	250	500
5	भारी मालवाहक/सवारी वाहन	120	250	750

स्रोत: के.मो.वा. नियमावली एवं झा.मो.वा. नियमावली

इस प्रकार, कें.मो.वा. नियमावली में संशोधन के बावजूद, विभाग ने वाहन एप्लिकेशन में संशोधित शुल्क संरचना को अपनाने और मानचित्रण करने के बजाय, झा.मो.वा. नियमावली के आधार पर टी.आर. शुल्क लगाना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप 37,394 वाहनों के टी.आर. जारी करने के विरूद्ध ₹ 85.42 लाख का राजस्व नुकसान हुआ।

प.वि. ने कहा (जून 2025) कि एन.आई.सी. को वाहन एप्लिकेशन में नियम 81(4क) के अनुसार वाहनों के अस्थायी पंजीकरण के शुल्क का मानचित्रण करने का निर्देश (मई 2025) दिया गया था।

2.3.7.6 कर की गलत दर का आरोपण

झा.मो.वा.क. अधिनियम और नियमावली पंजीकृत परिवहन वाहनों के लिए अग्रिम कर के भुगतान का प्रावधान करते हैं और अधिनियम की धारा 5 कर की दरों को निर्दिष्ट करती है। इन प्रावधानों को झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत संशोधित किया गया था, जो 31 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। एम्बुलेंस[24] और कैंपर वैन[25] को मो.वा. अधिनियम के तहत परिवहन वाहनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनकी बैठान क्षमता पर कर लगाया गया है।

वाहन पंजीकरण और कराधान के लिए वाहन आँकड़ाकोष के लेखापरीक्षा विश्लेषण और वास्तविक समय के आंकड़ों के साथ तिर्यक-सत्यापन से पता चला कि एम्बुलेंस और कैम्पर वैन पर पूर्व-संशोधित कर की दरें आरोपित की रही थीं। इसके परिणामस्वरूप तीन नमूना-जाँचित जि.प.का. में 11 एम्बुलेंस और 39 कैम्पर वैन से ₹ 37.40 लाख की राशि का कम उद्ग्रहण हुआ, जैसा कि **तालिका-2.25** में दिखाया गया है।

[24] एम्बुलेंस विशेष रूप से डिजाइन, निर्माण या संशोधित और सुसज्जित एक वाहन है जिसका उपयोग बीमार, घायल, घायल या अन्यथा अक्षम व्यक्तियों के आपातकालीन परिवहन के लिए किया जाता है।

[25] कैम्पर वैन का अर्थ है एक मोटर वाहन जिसे मनोरंजन शिविर या यात्रा उपयोग के लिए रहने के लिए आवास प्रदान करने के लिए डिज़ाइन या निर्मित किया गया है, जिसमें चालक की सीट से रहने के आवास तक सीधी पहुँच होती है।

तालिका-2.25: गलत कर दरों के आरोपित करने के कारण करों का कम उद्ग्रहण

क्र.सं.	जि.प.का.	एम्बुलेंस	कैंपर वैन	उद्गृहित कर (₹)	उद्ग्रहणीय कर (₹)	अल्प उद्ग्रहण (₹)
1	गिरिडीह	0	3	25,854	88,286	62,432
2	पलामू	5	36	97,204	28,83,463	27,86,259
3	सिमडेगा	6	0	30,862	9,22,434	8,91,572
कुल		**11**	**39**	**1,53,920**	**38,94,183**	**37,40,263**

संचिका और अभिलेखों की जाँच से पता चला कि एन.आई.सी. की राज्य इकाई ने संशोधित कर संरचना का मानचित्रण करते समय विभाग से स्पष्टीकरण माँगा था (नवंबर 2019)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने बिना कोई औचित्य प्रदान किए या राज्य में कर दरों को लागू करने के लिए आवश्यक विधायी अनुमोदन प्राप्त किए बिना एकतरफा निर्देश दिया था (दिसंबर 2019) कि एन.आई.सी. वाहन एप्लिकेशन में पूर्व-संशोधित कर दरों को बनाए रखे। इस प्रकार, विभागीय अधिकारियों की ओर से उचित परिशीलन की कमी के परिणामस्वरूप वाहन एप्लिकेशन में एम्बुलेंस और कैंपर वैन के लिए पूर्व-संशोधित कर दरों को बनाए रखा गया, जिससे राज्य के राजस्व संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इसी तरह, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा से पता चला कि 12 जि.प.का.[26] में 191 एम्बुलेंस और कैम्पर वैन के लिए पूर्व-संशोधित दरें लागू की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.29 करोड़ के बजाय केवल ₹ 0.12 करोड़ का उद्ग्रहण हुआ, जिससे ₹ 1.17 करोड़ की राशि का कर कम लगाया गया।

प.वि. ने कहा (जून 2025) कि इस मुद्दे सहित एक कर संशोधन विधेयक तैयार किया गया है और उच्च प्राधिकारी के विचार और निर्णय के लिए भेजा गया है। विभाग ने आगे कहा (सितंबर 2025) कि ऐसे आठ वाहनों से ₹ 0.06 करोड़ का विभेदक कर प्राप्त किया गया है।

2.3.7.7 परिवहन वाहनों से अर्थदण्ड

झा.मो.वा.क. नियमावली के नियम 4(1) के प्रावधानों के तहत, वाहन के अधिग्रहण की तारीख कर भुगतान की नियत तारीख होगी। वाहन की सुपुर्दगी लेने से सात दिनों के भीतर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक था। मो.वा. अधिनियम की धारा 48 और 49 में यह निर्धारित किया गया है कि किसी वाहन को किसी अन्य पंजीकरण प्राधिकारी के तहत पंजीकृत करने के लिए मूल पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी एन.ओ.सी. को जारी करने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। झा.मो.वा.क. नियमावली के नियम 4(2) में **तालिका-2.26** में दर्शाए अनुसार त्रैमासिक करों के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड निर्धारित किया गया है।

[26] बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, राँची और साहिबगंज।

तालिका-2.26: मोटर वाहन कर के विलंबित भुगतान पर अर्थदंड की दरें

क्र.सं.	अवधि	अर्थदंड की दरें (कर का प्रतिशत)
1	यदि भुगतान की नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है	शून्य (छूट अवधि)
2	यदि भुगतान 15 दिनों के बाद लेकिन भुगतान की नियत तारीख के 30 दिनों के भीतर किया जाता है	25
3	यदि भुगतान 30 दिनों के बाद लेकिन भुगतान की देय तिथि के 60 दिनों के भीतर किया जाता है	50
4	यदि भुगतान 60 दिनों के बाद लेकिन भुगतान की नियत तारीख के 90 दिनों के भीतर किया जाता है	100
5	यदि देय तिथि के बाद 90 दिनों के बाद भुगतान किया जाता है	200

छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में कराधान पंजिका और वाहन आँकड़ाकोष की जाँच से पता चला कि अप्रैल 2019 और मार्च 2024 के बीच 1,81,854 कर लेनदेन में से 820 में, कराधान अधिकारियों ने अधिग्रहण की तिथि/अस्थायी पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से मोटर वाहन कर उद्ग्रहीत किया। इसके अलावा, इन मामलों में कर का भुगतान एक से 11 तिमाही अवधि तक की देरी के साथ किया गया था। हालांकि, कर अध्यारोपित करते समय, कर के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 27.71 लाख का अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था **(परिशिष्ट-XIII)**। इसके अलावा, जबकि वाहन एप्लिकेशन ने अधिग्रहण की तिथि/अस्थायी पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से कर की राशि की गणना की, यह ऐसे मामलों में कर के विलंबित भुगतान के लिए लगने वाले अर्थदण्ड की गणना करने में विफल रहा। कराधान अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड की यह गैर-गणना भी पता नहीं लगा सका। इस प्रकार, विभाग वाहन एप्लिकेशन में विसंगति का पता लगाने में विफल रहा और विलंबित भुगतान के लिए लगने वाले अर्थदण्ड अध्यारोपित किए बिना कर स्वीकार करना जारी रखा।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा से पता चला कि 13 जि.प.का. में 3,72,316 कर भुगतान लेनदेन में से 3,827 लेनदेन में कर का भुगतान (16 से 1,253 दिन) विलंबित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कर के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 2.70 करोड़ का अर्थदण्ड लगाया गया।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि एन.आई.सी. को वाहन एप्लिकेशन में अर्थदण्ड कम आरोपित करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करने का निर्देश (मई 2025) दिया गया है और लागू प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने आगे कहा (सितंबर 2025) कि ₹ 0.62 करोड़ की राशि के 974 कर लेनदेन में अर्थदण्ड वसूल किया गया है।

2.3.7.8 मोटर वाहन कर के प्रमादियों से माँगपत्र

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (पी.डी.आर.) अधिनियम, 1914 (झा.स. द्वारा अंगीकृत) के तहत, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 21 के साथ पढ़ा गया,

कोई भी धन, जिसे समय-समय पर लागू किसी कानून द्वारा राजस्व के बकाए के रूप में घोषित किया गया है, भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूल किया जा सकता है। झा.मो.वा.क. नियमावली के नियम 23 के अनुसार प्रत्येक कराधान अधिकारी को परिवहन वाहनों के लिए कर पंजिका और मांग पंजिका संधारित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें वाहन के विरूद्ध कर देयता की बकाया राशि दर्ज की जाती है। कर प्रमादियों की पहचान करने के लिए कराधान अधिकारियों द्वारा मांग पंजिकाओं को अर्ध-वार्षिक आधार (1 अक्टूबर और 31 मार्च) पर अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। विभागीय निर्देशों के अनुसार, कराधान अधिकारी को प्रत्येक मोटर वाहन से देय करों की वसूली सुनिश्चित करनी थी और बकाए के संग्रह के लिए मांगपत्र जारी करना था, उसके पश्चात पी.डी.आर. अधिनियम के अंतर्गत नीलाम-पत्र-वाद दर्ज कराना था।

छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में वाहन एप्लिकेशन में संधारित कराधान और पंजीकरण अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि मार्च 2024 तक 2,60,699 कर प्रमादी वाहन थे, जिनमें से 2,45,558 एक वर्ष से अधिक समय से प्रमादी थे। वाहन एप्लिकेशन प्रमादी सूची के जनित करने हेतु खंड की सुविधा प्रदान करता है और मांग सूचना स्वत: जनित करने के लिए एक खंड था। हालांकि, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान तीन जि.प.का. द्वारा प्रमादी वाहनों के मालिकों को केवल 2,953 माँग पत्र जारी किए गए थे, जैसा कि **तालिका-2.27** में दिखाया गया है।

तालिका-2.27: निर्गत माँग पत्र की स्थिति और नीलामपत्रवाद मामले दर्ज

क्र.सं.	जि.प.का.	प्रमादी वाहनों (1 वर्ष से कम)	प्रमादी वाहनों (1 वर्ष से अधिक)	कुल कर प्रमादी वाहनों	निर्गत मांग पत्र	दर्ज नीलामपत्रवाद के मामले
1	गिरिडीह	613	29,765	30,378	0	0
2	हजारीबाग	4,199	42,384	46,583	133	0
3	जमशेदपुर	4,260	57,423	61,683	0	0
4	पलामू	991	23,611	24,602	740	0
5	राँची	4,851	88,699	93,550	0	0
6	सिमडेगा	227	3,676	3,903	2,080	9
कुल		**15,141**	**2,45,558**	**2,60,699**	**2,953**	**9**

स्रोत: वाहन एप्लिकेशन एवं जि.प.का. द्वारा दी गई सूचना

आगे की समीक्षा से पता चला कि वाहन एप्लिकेशन में माँग पत्र के स्वत: जनित खंड में माँग पत्र जारी करने के उद्देश्य से माँग पंजी में संधारित आवश्यक जानकारी के क्षेत्र शामिल थे। यह वाहन एप्लिकेशन में वास्तविक समय के आधार पर कर अधिकारियों के लिए आसानी से उपलब्ध था। हालांकि, स्वत: जनित माँग सूचना में झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 21 में निर्धारित कुल देय राशि, प्रमादी की अवधि और प्रमादी के परिणामों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव था। इसके अलावा, उदग्रहण और संग्रहण के प्रावधानों (नियमों और धाराओं) को गलत तरीके से उद्धृत किया गया था, जिसमें माँग पत्र की वैधता कमजोर होती हैं।

इस प्रकार, सभी उपलब्ध जानकारी/आँकड़ा की कमी के कारण, विभाग वाहन एप्लिकेशन के माध्यम से जारी माँग पत्र का उपयोग नहीं कर सका। जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, जि.प.का. केवल एक प्रतिशत प्रमादियों को ऑफ़लाइन माँग पत्र जारी कर सके। इसके अलावा, विभाग ने पी.डी.आर. अधिनियम, 1914 के तहत आवश्यक इन बकाया की वसूली के लिए निलामपत्रवाद मामले शुरू नहीं किए।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि एन.आई.सी. को प्रावधानों के अनुरूप माँग पत्र के संबंध में वाहन में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है (मई 2025)। आगे कहा गया कि जि.प.का. को कर प्रमादी वाहन मालिकों को माँग पत्र जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2.3.7.9 संग्रहित राजस्व का हस्तांतरण

बिहार वित्तीय नियमावली (झा.स. द्वारा अंगीकृत) के नियम 37 के प्रावधानों के तहत, सरकारी बकाया के रूप में प्राप्त सभी धन को नियमित रूप से और तुरंत मूल्यांकन, वसूल किया जाना चाहिए और सरकारी खाते में विधिवत रूप से जमा किया जाना चाहिए। राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देशों (जनवरी 2001) के अनुसार, बैंकों द्वारा एकत्र की गई राशि को अगले महीने के पहले सप्ताह और मार्च के महीने के लिए 31 मार्च तक सरकारी प्रत्यायोजित बैंकों को स्थानांतरित किया जाना था। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सरकारी खाते में विलंबित प्रेषण पर बैंकों द्वारा एक लाख रुपये से अधिक की शेष राशि पर दंडात्मक ब्याज देय था। जुलाई 2020 में, विभाग ने टी+1 आधार[27] पर एच.डी.एफ.सी. बैंक से जुड़ी पॉइंट-ऑफ-सेल (बिक्री केन्द्र) (पी.ओ.एस.) मशीनों के माध्यम से मो.वा. अधिनियम के तहत जुर्माना संग्रह का प्रबंधन करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

2021-24 की अवधि के लिए एच.डी.एफ.सी. और एस.बी.आई. (सरकारी खाता) के बैंक विवरणों की जाँच से पता चला कि जनवरी 2021 से मार्च 2024 के बीच राज्य के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा पी.ओ.एस. मशीनों के माध्यम से ₹ 47.21 करोड़ की राशि एकत्र की गई थी। यह देखा गया कि एच.डी.एफ.सी. बैंक ने दो से आठ महीने की देरी के साथ ट्रेजरी में ₹ 36.94 करोड़ और सड़क सुरक्षा निधि खाते में ₹ 10.07 करोड़ का विप्रेषण किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने समझौता ज्ञापन के अनुसार राजस्व के समय पर प्रेषण की निगरानी और प्रवर्तन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का विलंबित प्रेषण हुआ जिसके लिए बैंक ₹ 1.23 करोड़ की राशि का दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था **(परिशिष्ट-XIV)**।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि मामले को शाखा प्रबंधक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, राँची को लेखापरीक्षा अवलोकन का अनुपालन करने हेतु निर्देशों के साथ सूचित (मई 2025) किया गया है।

[27] बैंक द्वारा राजस्व प्राप्त होने के अगले दिन।

2.3.7.10 जी.एस.टी. जमा करना

परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के कार्यकारी निर्देश के तहत दुरूस्ती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एकत्र किए गए शुल्क पर निर्धारित दरों पर सेवा कर लगाया गया था। 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. (माल और सेवा कर) के कार्यान्वयन के बाद, सेवा कर के लिए प्रमुख शीर्ष को महालेखा नियंत्रक, भा.स. द्वारा "005-केंद्रीय जी.एस.टी." और "006-राज्य जी.एस.टी." के रूप में निर्धारित किया गया है।

वाहन एप्लिकेशन में जी.एस.टी. संग्रह के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, वाहनों के दुरूस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जी.एस.टी. के शीर्ष में राज्य में ₹ 18.54 करोड़ की राशि एकत्र की गई थी, जिसमें से ₹ 9.95 करोड़ छह नमूना-जाँचित जि.प.का. से संबंधित थे, जैसा कि **तालिका-2.28** में दिखाया गया है।

तालिका 2.28: नमूना-जाँचित कार्यालयों में जी.एस.टी. संग्रह

क्र.सं.	जि.प.का.	अभिलेखों की सं.	लगाया और एकत्र किया गया जी.एस.टी. (₹ में)
1	गिरिडीह	1,47,161	63,91,208
2	हजारीबाग	2,11,377	1,63,65,833
3	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	4,52,287	3,71,33,258
4	पलामू	1,63,132	76,60,170
5	राँची	5,46,122	3,05,82,347
6	सिमडेगा	24,455	13,26,277
कुल		**15,44,534**	**9,94,59,093**

स्रोत: वाहन एप्लिकेशन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटी के साथ-साथ दुरूस्ती शुल्क का संग्रह ऑनलाइन वाहन एप्लिकेशन के माध्यम से किया जा रहा था और राजस्व संग्रह के लिए नामित बैंक खाते में जमा किया जा रहा था। मो.वा.नि. ने वाणिज्यिक कर विभाग से सेवा कर/जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं की थी तथा एकत्रित जी.एस.टी. राशि को समुद्देशित लेखा शीर्ष "005/006-जी.एस.टी." के बदले राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति लेखाशीर्ष ("0041-वाहनों पर कर") में जमा किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि विभाग ने जी.एस.टी. जमा करने हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों को उत्तरदायी (दिसंबर 2006 एवं मई 2007) बनाया था, तथापि जी.एस.टी. एवं अन्य परिवहन संबंधी राजस्व को समुद्देशित लेखा शीर्षों में पृथक्करण एवं प्रेषण हेतु कोई तंत्र लागू नहीं किया।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में प्रदर्शित "परिवहन विभाग के कार्यवाहन पर प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर जोर" पर नि.ले.प. के कंडिका 4.3.22 में और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए "झारखण्ड परिवहन विभाग में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का आकलन एवं संग्रह" पर कंडिका 2.1.12.11 में भी इसी तरह के मुद्दों को इंगित किया गया था। हालांकि, विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि वाणिज्यिक कर विभाग, झारखण्ड सरकार से सहमति प्राप्त करने पर इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

2.3.8 प्रवर्तन

जि.प.का., क्षे.प.प्रा. और मो.वा.नि. मो.वा. अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत तैयार किए गए नियमावली और झारखण्ड सड़क सुरक्षा नीति, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके प्रमुख प्रवर्तन कर्तव्य और जुर्माना/अर्थदण्ड मो.वा. अधिनियम की धारा 177 से 210 में उल्लिखित हैं, जिसमें अधिभारित, डी.एल. के बिना वाहन चलाना, खतरनाक चालन, पंजीकरण के बिना वाहन, अत्यधिक गति आदि जैसे अन्य अपराध शामिल हैं। एम.ओ.आर.टी.एच. ने अगस्त 2019 में मो.वा. अधिनियम के तहत दंड दरों में संशोधन किया, जिसके कुछ धाराओं में बाद में सितंबर 2019 में झारखण्ड सरकार द्वारा संशोधन किया गया।

मो.वा. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा अपराधों के समन्वयन की शक्ति छह जि.प.का. के अंतर्गत छह यातायात पुलिस स्टेशनों[28] को प्रत्यायोजित किया था। इसके अलावा, तीन नए स्थापित यातायात पुलिस स्टेशनों[29] को भी तीन जि.प.का. में इसी तरह के कार्य करने के लिए सशक्त बनाया गया था। सिविल और यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, साथ ही 24 जिलों में यातायात पुलिस के कम से कम सहायक उप-निरीक्षक (ए.एस.आई.) स्तर के अधिकारी भी अधिनियम की धारा 158(6) (दुर्घटनाएं) और 196 (बीमा) के तहत अपराधों को समन्वित करने के लिए अधिकृत थे।

2.3.8.1 चोरी और बरामद मोटर वाहनों की प्रतिवेदन

झा.मो.वा. नियमावली के नियम 57 के साथ पठित मो.वा. अधिनियम की धारा 62 के अनुसार, पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) या इस संबंध में निर्दिष्ट अन्य पुलिस अधिकारी परिवहन विभाग को चोरी किए गए वाहनों और बरामद किए गए चोरी किए गए वाहनों के बारे में जानकारी मासिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र I और II में प्रस्तुत करेंगे। पंजीकरण अधिकारियों को सूचनाएं दर्ज करना था और उसके बाद विभिन्न प्रकार की सेवाओं यथा स्वामित्व का हस्तांतरण, पते में परिवर्तन, कर का भुगतान, दुरूस्ती का प्रमाणन जारी करना, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र आदि को अवरुद्ध/बंद करना था।

छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान चोरी किए गए और बरामद वाहनों की स्थिति **तालिका-2.29** में दर्शाई गई है।

[28] बोकारो, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

[29] गिरीडीह, रामगढ़ और सराईकेला-खरसांवा।

तालिका-2.29: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान छह नमूना-जाँचित जि.प.का. में चोरी और बरामद वाहनों की स्थिति

क्र. सं.	जि.प.का.	वाहन एप्लिकेशन के अनुसार			पुलिस अभिलेखों के अनुसार	
		चोरी हुए वाहनों की सं	अवरुद्ध करने में विलम्ब (दिनों में)	चोरी हुए बरामद वाहनों की सं	चोरी	बरामदी के बाद मालिक को रिहाई
1	गिरिडीह	142	0-1183	2	881	प्रस्तुत नहीं किया गया
2	हजारीबाग	370	0-1577	18	1,714	191
3	जमशेदपुर	969	0-796	0	2,726	प्रस्तुत नहीं किया गया
4	पलामू	92	0-924	2	प्रस्तुत नहीं किया गया	प्रस्तुत नहीं किया गया
5	राँची	1,615	0-2,976	55	प्रस्तुत नहीं किया गया	प्रस्तुत नहीं किया गया
6	सिमडेगा	4	3-104	0	प्रस्तुत नहीं किया गया	प्रस्तुत नहीं किया गया
	कुल	**3,192**		**77**	**5,321**	**191**

स्रोत: वाहन एप्लिकेशन तथा नमूना-जाँचित जिलों के एस.पी. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

जैसा कि **तालिका-2.29** से देखा जा सकता है, अधिकांश चोरी किए गए वाहनों को पुलिस द्वारा वाहन एप्लिकेशन में अवरोध करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित नहीं किया गया था। एस.पी. के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक प्रतिवेदन किसी भी नमूना-जाँचित जि.प.का. में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इन प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचना के प्रणालीगत और आवधिक प्रवाह के बजाय, चोरी किए गए वाहनों का विवरण वाहन एप्लीकेशन में तब दर्ज किया गया जब संबंधित पुलिस स्टेशनों या चोरी किए गए वाहनों के मालिकों ने जि.प.का. को सूचित किया। चोरी किए गए वाहनों के विवरण को पंजीकरण अधिकारियों को सूचित करने में 3 से 2,976 दिनों की महत्वपूर्ण देरी हुई।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रावधानों में प्रदान की गई अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएं।

2.3.8.2 सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम के तहत जुर्माना

मो.वा. अधिनियम की धारा 194 (1) अतिभार के लिए जुर्माने का प्रावधान करती है। इसके अलावा, सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 की धारा 5 (3) में कहा गया है कि मो.वा. अधिनियम के तहत लगाई जाने वाली राशि के बराबर जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। सामान्य वाहकों के पंजीकरण न होने की स्थिति में, सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम 18 (1) के तहत अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

मो.वा. अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन में चलने वाले वाहनों को दंडित करने के लिए नमूना-जांचित पाँच जि.प.का. और दो क्षे.प.प्रा. में उपयोग किए गए धन प्राप्तियों के 57 खंडों की जाँच से पता चला कि अतिभार के लिए 693 मोटर वाहनों को दंडित किया गया था, जिसके बाद सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम की धारा 194 (1) के तहत जुर्माना अध्यारोपित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण सरकार को ₹ 2.69 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ (**परिशिष्ट-XV**)।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि सभी प्रवर्तन अधिकारियों को सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम के तहत जुर्माने के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

2.3.8.3 दुर्घटना प्रतिवेदन जमा करना

झा.मो.वा. नियमावली के नियम 215 के साथ पठित मो.वा. अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि, मो.वा.नि., किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई मांग पर, दुर्घटना में शामिल वाहन का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण पूरा होने पर, जहां तक संभव हो, मौके पर एक निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाएगी। प्रतिवेदन में वाहन की यांत्रिक स्थिति, दुर्घटना का कारण, कर, अनुज्ञापत्र, बीमा, दुरूस्ती आदि की वैधता का विवरण होना था। इसके अलावा, झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के अनुसार, मो.वा.नि. द्वारा दुर्घटना निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा 15 दिन थी।

नमूना-जाँचित जि.प.का. के मो.वा.नि. द्वारा तैयार और जारी की गई 292 दुर्घटना प्रतिवेदनों में से 136 के विश्लेषण से पता चला कि पुलिस ने दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 69 से 1,396 दिनों की देरी के साथ वाहनों के निरीक्षण के लिए मो.वा.नि. से माँग की थी। इसके अलावा, मो.वा.नि. ने मांग प्राप्त करने की तारीख से 69 से 1,385 दिनों की देरी के साथ वाहनों का निरीक्षण किया और दुर्घटना प्रतिवेदन जारी की थी। दुर्घटनाओं में शामिल मोटर वाहनों की मांग और निरीक्षण में देरी ने न केवल झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया, बल्कि जाँच प्रक्रिया में भी देरी की।

जवाब में, प.वि. ने सूचित किया (जून 2025) कि जि.प.प. ने मो.वा.नि. को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर वाहनों की दुर्घटना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

2.3.8.4 अतिभारित वाहनों से अतिरिक्त वजन का निपटान

मो.वा. अधिनियम की धारा 114 यह प्रावधानित करती है कि धारा 194 के अंतर्गत दंडित करने के दौरान अतिभारित वाहनों का वजन एक प्रमाणित और निबंधित वे-ब्रिज पर किया जाए और साथ ही, वाहन से अतिरिक्त भार उस सीमा तक उतरवाया जाता है जब तक कि वाहन का कुल भार निर्धारित पंजीकृत लदान भार के बराबर या उससे कम न हो जाए। इसके अलावा, झा.मो.वा. नियमावली का नियम 189, वाहनों के वजन के लिए सरकार, स्थानीय अधिकारियों या रेलवे प्रशासन द्वारा या उसके अधिकार के तहत बनाए गए वे-ब्रिज की स्थापना को निर्दिष्ट करता है।

वाहनों को दंडित करने के लिए उपयोग किये गए 57 धन प्राप्तियों के खंडों की जाँच से पता चला कि 693 मोटर वाहनों को अतिभार के लिए दंडित किया गया था। हालांकि, आगे की जाँच से पता चला कि अतिरिक्त भार प्राप्तियों पर दर्ज नहीं किया गया था। यह भी ध्यान दिया गया कि उतारे गए अतिरिक्त भार के भंडारण के लिए विभाग

द्वारा कोई गोदाम स्थापित नहीं किया गया था। इसके अलावा, वे-ब्रिज प्रदान नहीं किए गए थे, जिससे अधिनियम के तहत जुर्माना लगाए जाने के बावजूद सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले वाहनों को अतिरिक्त भार के साथ संचालित किया जा रहा था। इससे अधिनियम/नियमावलियों के प्रवर्तन और अनुपालन में महत्वपूर्ण अंतराल का पता चला जिससे सड़क सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम पैदा हो गया।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि वे-ब्रिज और गोदामों की स्थापना के लिए भौतिक और वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

अनुशंसा 4: विभाग वेब्रिज की स्थापना पर विचार कर सकता है ताकि मो.वा. अधिनियम के अनुसार अतिभारित वाहनों को दंडित किया जा सके।

2.3.8.5 वाहन एप्लिकेशन में दंडात्मक कार्रवाई का अद्यतन

मो.वा. अधिनियम के अध्याय XIII में विभिन्न अपराधों, दंडों और संबंधित प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है और वाहन मालिकों या चालकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंड और जुर्माना निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पुनरावृत्त अपराधियों के लिए प्रावधान शामिल हैं, जहां दूसरी या बाद की अपराध पर बढ़ी हुई जुर्माना और/या सख्त दंड लगाए जाते हैं।

मो.वा. अधिनियमों और नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाने और वाहन एप्लीकेशन के साथ तिर्यक-जाँच करने के लिए नमूना-जाँचित जिलों में प्रवर्तन शाखा (क्षे.प.प्रा., जि.प.का. और मो.वा.नि.) द्वारा उपयोग किए गए चालान की जाँच (2019-24 के दौरान) से पता चला कि वाहन एप्लिकेशन में दंडात्मक कार्रवाई लागू करने के अभिलेख अद्यतन नहीं किए गए थे। इस प्रकार, विभाग के पास दूसरे और बाद के अपराधों के लिए उच्च दरों पर जुर्माना लगाने के लिए पुनरावृत्त अपराधों की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। नतीजतन, विभाग पुनरावृत्त अपराधियों के लिए अधिनियमित प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा।

जवाब में, प.वि. ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियमों और नियमावलियों के तहत भौतिक रूप से लगाए गए और दंड के संग्रह के सभी उदाहरण वाहन एप्लिकेशन में दर्ज किए जाएंगे।

2.3.8.6 सड़क सुरक्षा

राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और प्रत्येक जिले में जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन (दिसंबर 2015) किया था। परिषद/समितियां दुर्घटनाओं की आवधिक समीक्षा, सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय समिति और राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। जिला सड़क सुरक्षा समितियों को मासिक बैठकें आयोजित करनी थीं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक वर्ष में

कम से कम दो बार होनी थी ताकि सड़क सुरक्षा उपायों और पहलों और प्रगति में समग्र प्रगति की पर्यवेक्षण एवं देखरेख की जा सके। इसके अलावा, सड़कों पर दुर्घटना-संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) की पहचान की जानी थी, और परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार की सड़क सुरक्षा प्रमुख संस्था के तहत तैनात संस्थाओ द्वारा एम.ओ.आर.टी.एच. दिशानिर्देशों (अक्टूबर 2015) के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए।

दिसंबर 2016 में, झा.स. ने झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया, जिसके तहत जागरूकता अभियान, आघात देखभाल, प्रवर्तन उपकरण, वाहन परीक्षण और सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे के माध्यम से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गई थी, जो सड़क सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। जुर्माना, शमन शुल्क और अनुदान के हिस्से के माध्यम से वित्तपोषित फंड मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक फंड प्रबंधन समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है।

परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ) के कार्यालय में 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित अभिलेखों और संचिकाओं की जाँच से पता चला कि:

- राज्य सड़क सुरक्षा परिषद ने 2021 में 10 बैठकों की आवश्यकता य़था प्रति वर्ष दो के विरूद्ध केवल एक बैठक बुलाई थी।
- आवश्यक 1,440 बैठकों में से केवल 756 जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।
- 498 चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स[30] में से केवल 305 को संशोधित किया गया, जिससे 193 ब्लैक स्पॉट्स को संबोधित नहीं किया गया।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि राज्य में आम चुनावों के कारण राज्य और जिला सड़क सुरक्षा परिषदों की बैठकें नहीं बुलाई जा सकीं। यह आश्वासन दिया गया कि ये बैठकें शीघ्र ही आयोजित की जाएंगी।

2.3.9 परिवहन सेवाएं

नमूना-जाँचित कार्यालयों में एम.ओ.आर.टी.एच. के पोर्टल https://parivahan.gov.in/ के माध्यम से प्रदान की जाने वाली डिजिटल सेवाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि राज्य में एक द्वैध प्रणाली प्रचलित थी। जबकि पंजीकरण और चालक अनुज्ञप्ति के लिए कर और शुल्क के आवेदन और भुगतान से संबंधित प्रारंभिक सेवाएं ऑनलाइन थीं, अन्य सहायक परिवहन सेवाएं

[30] सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा है जिसकी लंबाई लगभग 500 मीटर है जिसमें पिछले 3 वर्षों के दौरान या तो 5 सड़क दुर्घटनाएं या 10 मौतें हुईं।

ऑफलाइन प्रदान की जा रही थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- हालांकि चालक अनुज्ञप्ति की सेवाएं ऑनलाइन थीं, आवेदकों को चालक अनुज्ञप्ति के तहत प्रत्येक सेवा के लिए हार्ड कॉपी जमा करने के लिए संबंधित कार्यालयों का दौरा करना पड़ा।
- वाहन के पंजीकरण के बाद लगभग सभी सेवाएं ऑफ़लाइन संचालित की जा रही थी जैसे, अन्य सेवाओं के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, स्वामित्व का हस्तांतरण, पंजीकरण प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी करना ।
- कर और शुल्क के संग्रह के अलावा, अनुज्ञापत्र और दुरूस्ती के प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाएं ऑफ़लाइन थीं।
- कुछ सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही थीं, उदाहरण के लिए, चालक को सार्वजनिक सेवा वाहन बैज जारी करना, परिचालक अनुज्ञप्ति का नवीकरण, अन्य सेवाओं के अलावा अस्थायी कंडक्टर अनुज्ञप्ति जारी करना आदि।

इस प्रकार, ऑनलाइन पोर्टलों के अस्तित्व के बावजूद ऑफ़लाइन प्रणाली पर विभाग की निरंतर निर्भरता, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सीमित पहुंच और दक्षता दर्शाती है।

प.वि. ने कहा (जून 2025) कि राज्य में सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर एक-एक करके ऑनलाइन की जाएंगी।

2.3.10 आधारभूत सरंचना

मो.वा. अधिनियम की धारा 213 के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की स्थापना की और अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। राजस्व सृजन और लोक सेवा विभाग के रूप में, विभाग को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करता है जिसमें बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण शामिल है, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने और सहायता के बिना जीवन की सभी गतिविधियों में भाग लेने में मदद करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जाँचित जि.प.का./मो.वा.नि. जिला कलेक्टर कार्यालयों के भीतर से काम कर रहे थे। मो.वा.नि. जि.प.का. को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, और जनता को दोनों से सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे वाहन निरीक्षण, शुल्क भुगतान, और पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण। हालांकि, पलामू और राँची में, मो.वा.नि. और जि.प.प. के कार्यालय दूर-दूर स्थित थे, जिससे जनता को इन सेवाओं तक पहुंचने में असुविधा हुई। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाएं जैसे रैंप, रेलिंग और विशेष शौचालय, सुलभ विश्राम कक्ष आदि की कमी थी।

चित्र 2.9: जि.प.का और मो.वा.नि. कार्यालय, गिरिडीह, जो जिला समाहरणालय भवन के भूतल पर स्थित हैं।

चित्र 2.10: जि.प.का. और मो.वा.नि. कार्यालय, हज़ारीबाग, जो अपनी-अपनी इमारतों में, तीन अलग-अलग स्थानों पर कार्यरत हैं।

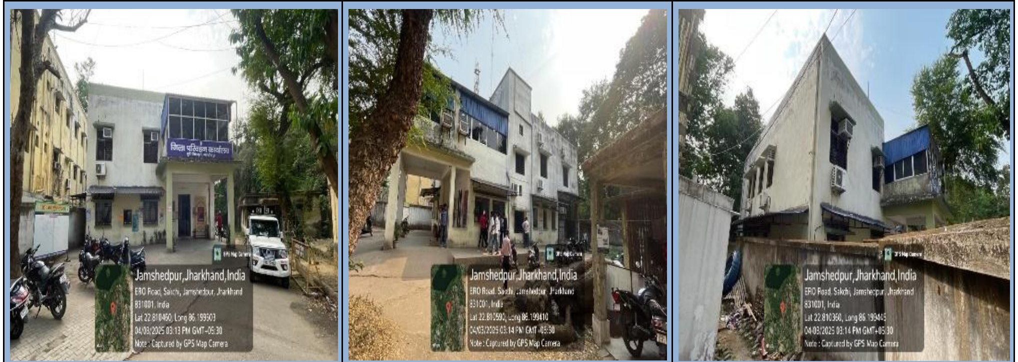

चित्र 2.11: जि.प.का. और मो.वा.नि. कार्यालय, जमशेदपुर, जो जिला समाहरणालय परिसर में नव-निर्मित भवन में अपनी स्वयं की इमारत में कार्यरत हैं।

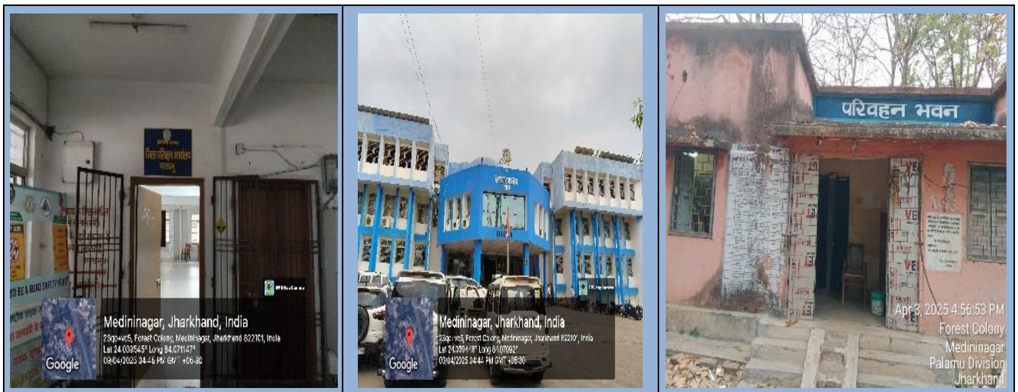

चित्र 2.12: जि.प.का. और मो.वा.नि. कार्यालय, पलामू, जो अलग-अलग स्थानों से संचालित हो रहे हैं।

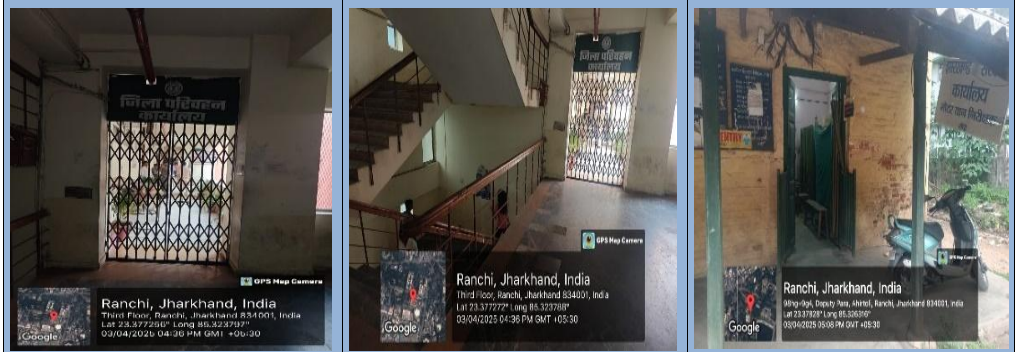

चित्र 2.13: जि.प.का. और मो.वा.नि. कार्यालय, राँची, एक दूसरे से बहुत दूर विभिन्न स्थानों से कार्य कर रहे हैं। जि.प.का. जिला कलेक्ट्रेट भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित है, जबकि मो.वा.नि. कार्यालय एस.पी. (यातायात) के कार्यालय में एक बहुत पुराने, भीड़भाड़ वाले कमरे से काम कर रहा है।

चित्र 2.14: जि.प.का. और मो.वा.नि. कार्यालय, सिमडेगा, जो अपनी स्वयं की इमारत में स्थित हैं।

फोटोग्राफों से संकेत मिलता है कि इन कार्यालयों की कार्यात्मक आवश्यकताओं पर विचार किए बिना, जिला प्रशासन भवनों में आवंटित स्थानों में नमूना-जाँचित जिला परिवहन कार्यालय काम कर रहे थे। लेखापरीक्षा में जि.प.का. और मो.वा.नि. के लिए मानकीकृत बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति भी देखी गई।

जवाब में, प.वि. ने कहा (जून 2025) कि बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एक विस्तृत समीक्षा और अध्ययन किया जाएगा।

2.3.11 निष्कर्ष

विभाग स्मार्ट कार्ड-आधारित सेवाओं के लिए बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रहा और अधिनियम/नियमावलियों के उल्लंघन में एल.एल. मुद्रण करने के लिए मनमाने ढंग से एक निश्चित शुल्क शामिल किया। विभाग वाहन एप्लिकेशन में व्यावसायिक नियमों के मानचित्रण की निगरानी और अंतर या त्रुटियों की पहचान की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र का अभाव था। इसके अतिरिक्त, एक समान और स्वचालित चालक परीक्षण पथ की अनुपस्थिति ने योग्यता मूल्यांकन से समझौता किया, जबकि चालक विद्यालय को निर्धारित नियामक और सुरक्षा मानकों के पालन के बिना संचालित किया गया।

वाहन एप्लिकेशन में टी.आर., आर.सी., सी.एफ., अनुज्ञापत्र आदि की वैधता अवधि की समाप्ति की निगरानी के लिए चेतावनी या अधिसूचना तंत्र का अभाव था। राज्यांतर्गत और अंतर-राज्यीय अनुज्ञापत्रों को विनियमित करने के लिए विकसित एसपरमिट अन्य राज्यों के कर प्रमादी वाहनों की सूची उत्पन्न नहीं कर सका और कुछ अनुज्ञापत्रों से संबंधित सेवाओं को एकीकृत नहीं किया गया। विभाग द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई को पुनरावृत्त अपराधियों की निगरानी करने के लिए वाहन एप्लिकेशन अद्यतन नहीं किया गया था। 6,640 वाहनों के अस्थायी पंजीकरण के बाद स्थायी पंजीकरण नहीं हुआ और 24,639 वाहनों के वी.आर.सी. समाप्त हो गए।

विभाग अनुज्ञापत्र आवेदनों के समय पर प्रसंस्करण को सुनिश्चित नहीं कर सका क्योंकि 999 अनुज्ञापत्र आवेदनों (85 प्रतिशत) को 33 से 1,838 दिनों की देरी के साथ संसाधित किया गया था।

स्वचालित दुरूस्ती प्रबंधन प्रणाली और वर्तमान प्रणाली के नियोजित कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। एम.ओ.आर.टी.एच. द्वारा अधिसूचना जारी करने के तीन साल से अधिक समय बाद भी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित नहीं की जा सकी।

कर संरचना में संशोधन के कारण मालवाहक वाहनों के कर संग्रह में गिरावट आई। वाहनों का पंजीकरण न होने और ₹ 415.77 करोड़ के कर, शुल्क और दंड का गैर/कम उद्ग्रहण के कारण राजस्व का रिसाव हुआ। मेसर्स टाटा मोटर्स द्वारा वाहन एप्लिकेशन के माध्यम से अस्थायी पंजीकरण जारी करने में विफलता के कारण ₹ 327.35 करोड़ की सबसे बड़ी हानि हुई।

विभाग द्वारा उतारे गए अतिरिक्त वजन के भंडारण के लिए गोदाम स्थापित नहीं किए गए थे, जिससे दंडित होने के बाद भी वाहन अतिरिक्त वजन के साथ सार्वजनिक सड़कों पर संचालित हुए। परिवहन कार्यालयों में उचित बुनियादी ढांचा नहीं था, समर्पित निरीक्षण पथ और भंडारण सुविधाओं का अभाव था, जिसने परिचालन दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

2.4 कर प्रशासन

उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रह बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 और उसके तहत बनाए गए नियमावलियों/अधिसूचनाओं द्वारा शासित होता है, जैसा कि झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। सरकार के स्तर पर, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के सचिव राज्य उत्पाद कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। उत्पाद आयुक्त (ई.सी.) विभाग का प्रमुख है और मुख्य रूप से सरकार की राज्य उत्पाद शुल्क नीतियों और कार्यक्रमों के प्रशासन और निष्पादन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। ई.सी. की सहायता मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, उपायुक्त उत्पाद और सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा की जाती है। इसके अलावा, झारखण्ड राज्य को तीन उत्पाद प्रमण्डलों[31] में विभाजित किया गया है, प्रत्येक उपायुक्त उत्पाद के नियंत्रणाधीन है। प्रमण्डलों को पुनः 24 उत्पाद जिलों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद (ए.सी.ई./एस.ई.) के प्रभार के अधीन है।

2.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग की 54 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 13[32] (24 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना-जाँच की। लेखापरीक्षा ने, 2022-23 के दौरान बंदोबस्त इन सभी 661 खुदरा उत्पाद दुकानों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की। यह देखा गया कि विभाग ने 2022-23 के दौरान ₹ 2,010.14 करोड़ का राजस्व एकत्र किया था, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹1,905.96 करोड़ (92.66 प्रतिशत) एकत्र किया था। 1,717 मामलों में ₹ 276.13 करोड़ की अनियमितताएं देखी गईं, जैसा कि **तालिका-2.30** में विस्तृत है।

---

[31] उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग; दक्षिणी छोटानागपुर-सह-पलामू-सह-कोल्हान प्रमण्डल, राँची और संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका।

[32] सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची; सहायक आयुक्त उत्पाद, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची; अधीक्षक उत्पाद, चाईबासा, देवघर, दुमका, गिरीडीह, पलामू, साहिबगंज और सराईकेला।

तालिका-2.30: लेखापरीक्षा के दौरान देखी गयी अनियमितताएं

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	खुदरा दुकानदारों के मासिक एम.जी.आर. लक्ष्य की गैर-प्राप्ति के कारण राजस्व का नुकसान	837	207.90
2	उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व का नुकसान	26	20.84
3	थोक विक्रेताओं के द्वारा न्यूनतम स्कंध संधारित नहीं करने पर अर्थदण्ड के गैर-वसूली	03	15.10
4	बार एवं रेस्टोरेंट के एम.जी.आर. के संग्रहण में कमी	148	3.98
5	अन्य मामले	703	28.30
कुल		**1,717**	**276.12**

विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार कर लिया है और ₹ 2.08 करोड़ की वसूली की सूचना दी है। अनुवर्ती कंडिकाओं में ₹ 11.39 करोड़ की राशि के 44 मामलों की अनियमितताओं पर चर्चा की गई है।

2.6 थोक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनिवार्य न्यूनतम स्कंध के गैर-संधारण के लिए अर्थदण्ड का कम उद्ग्रहण

थोक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शराब के अनिवार्य न्यूनतम स्कंध के गैर-संधारण के कारण ₹ 8.35 करोड़ के उत्पाद शुल्क के नुकसान के समतुल्य अर्थदण्ड का विभाग द्वारा कम उदग्रहण किया गया।

झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमावलियों के तहत, झारखण्ड सरकार ने राज्य में शराब की थोक बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए एक अधिसूचना[33] जारी की (मार्च 2022)। झारखण्ड शराब भंडारण और थोकबिक्री नियमावली, 2022 के नियम 9 में प्रावधान है कि थोक अनुज्ञप्तिधारी शराब की निर्बाध आपूर्ति के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित विभिन्न ब्रांडों/श्रेणियों के शराब के अनिवार्य न्यूनतम स्कंध को बनाए रखेंगे। झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कार्पोरेशन लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल.) के गोदाम में शराब के अनिवार्य न्यूनतम स्कंध को बनाए रखने में विफलता के मामले में, थोक अनुज्ञप्तिधारी शराब के शुल्क/स्लैब के अनुसार उत्पाद शुल्क राजस्व के समतुल्य अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

[33] राजपत्र अधिसूचना संख्या 142 दिनांक 31.03.2022

आयुक्त उत्पाद (सी.ई.) के 2022-23 की अवधि के अभिलेखों[34] की जाँच के साथ-साथ जे.एस.बी.सी.एल. द्वारा दी गई जानकारी से पता चला कि, मई 2022 से मार्च 2023 के दौरान, शराब के दो थोक अनुज्ञप्तिधारियों[35] ने विभाग द्वारा निर्धारित शराब के अनिवार्य न्यूनतम स्कंध को बनाए नहीं रखा था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने स्कंध के कम संधारण पर लगाए जाने वाले ₹ 11.95 करोड़ के बजाय केवल ₹ 3.60 करोड़ का अर्थदण्ड उदग्रहित किया था, जिसके परिणामस्वरूप **तालिका-2.31** में वर्णित ₹ 8.35 करोड़ का कम अर्थदण्ड लगाया गया था।

तालिका-2.31

शराब का प्रकार	अनिवार्य न्यूनतम स्कंध	वास्तविक संधारित स्कंध	स्कंध में कमी	उदग्रहणीय अर्थदण्ड (₹ करोड़)	अर्थदण्ड उदग्रहित (₹ करोड़)	कम उदग्रहण (₹ करोड़)
बीयर	2.18 करोड़ बी.एल.[36]	1.02 करोड़ बी.एल.	1.16 करोड़ बी.एल.	6.69	3.60	8.35
सी.एल.	0.73 करोड़ एल.पी.एल.[37]	0.18 करोड़ एल.पी.एल.	0.55 करोड़ एल.पी.एल.	4.48		
आई.एम.एफ.एल.	0.23 करोड़ एल.पी.एल.	0.21 करोड़ एल.पी.एल.	0.02 करोड़ एल.पी.एल.	0.78		
कुल				**11.95**	**3.60**	**8.35**

अप्रैल 2024 में इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (जून 2024) कि अनुज्ञप्तिधारियों से ₹ 2.08 करोड़ की राशि वसूल की गई है और शेष राशि की वसूली लंबित थी। पुनः जवाब अप्राप्त है (सितंबर 2025)।

2.7 उत्पाद शुल्क राजस्व के विलंबित भुगतान के लिए विलंब शुल्क का गैर-उदग्रहण

उत्पाद प्राधिकारियों की ओर से उचित तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप 42 बार और रेस्तराँ अनुज्ञप्तिधारियों, जिन्होंने 1 से 304 दिनों के बीच के विलंब के साथ कम उठाई गई शराब के समतुल्य एम.जी.आर. और राजस्व जमा किया था, पर ₹ 3.04 करोड़ के विलंब शुल्क का गैर-उदग्रहण हुआ।

झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022 (मार्च 2022 में कार्यान्वित) के प्रावधानों के तहत, एक होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब का प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम.जी.क्यू.) उठाव करने के लिए बाध्य है और महीने के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (एम.जी.आर.) भी सुनिश्चित करना है, ऐसा न करने पर अनुज्ञप्तिधारी को महीने की अंतिम तारीख

[34] बंदोबस्त पंजी, राजस्व संचिका, अनुज्ञप्ति लेजर और बंदोबस्ती संचिका

[35] मेसर्स दिशिता वेंचर्स प्रा.लि. एवं मेसर्स ओम साई विवरेज प्रा.लि.

[36] बल्क लीटर।

[37] लंदन प्रूफ लीटर।

को कोषागार में कम उठाई गई शराब के बराबर राजस्व या एम.जी.आर. की अल्पप्राप्ति के समतुल्य भुगतान करना आवश्यक था। वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक एम.जी.क्यू. और एम.जी.आर. को 15 प्रतिशत बढ़ाकर, वर्ष 2022-23 के लिए एम.जी.क्यू. और एम.जी.आर. तय किया गया था। वार्षिक राजस्व/मात्रा को जुलाई और अगस्त माह के लिए छह प्रतिशत, सितंबर माह के लिए सात प्रतिशत और शेष महिनों के लिए नौ प्रतिशत के रूप में विभक्त किया गया था। पुनः नियमावली में महीने के लिए तय एम.जी.आर./एम.जी.क्यू. के गैर/कम जमा के लिए पाँच प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क उदग्रहण करने का प्रावधान है।

2022-23 की अवधि के लिए बार और रेस्तराँ के संबंध में ए.सी.ई./एस.ई. के अभिलेखों[38] की जाँच (अगस्त 2023 और मार्च 2024 के बीच) से पता चला कि छह जिलों[39] में, 42 बार और रेस्तराँ के अनुज्ञप्तिधारियों ने अपना एम.जी.आर./एम.जी.क्यू. प्राप्त नहीं किया। इन अनुज्ञप्तिधारियों ने एम.जी.आर. और कम उठाए गए एम.जी.क्यू. के समतुल्य राजस्व की राशि ₹ 32.96 लाख को 1 से 304 दिनों के बीच के विलंब से जमा किया था, जैसा कि **तालिका-2.32** में विस्तृत है।

तालिका-2.32

विवरण	अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या	उत्पाद जिले	लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति	कमी	विलंब से जमा (दिन)
एम.जी.आर.	21	3 जिला[40]	₹ 50.37 लाख (नियत) की तुलना में ₹ 24.24 लाख (प्राप्ति)	₹ 26.13 लाख	1-304 दिन
एम.जी.क्यू. (आई.एम.एफ.एल./ एफ.एम.एफ.एल.)	21	3 अन्य जिला[41]	1,698.08 एल.पी.एल. (नियत) की तुलना में 1,195.29 एल.पी.एल. (उठाव)	502.79 एल.पी.एल.	57-304 दिन
एम.जी.क्यू. (बीयर)		3 अन्य जिला	3,392.78 बीएल (नियत) की तुलना में 2,291.80 बीएल (उठाव)	1,100.98 बी.एल.	57-304 दिन

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विलंबित जमा के लिए पाँच प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क उदग्रहण नहीं किया गया था। इस प्रकार, उत्पाद प्राधिकारियों की ओर से उचित तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप, एम.जी.आर. की विलंबित जमा

[38] सेटलमेंट पंजी/संचिका, राजस्व संचिकाएं, अनुज्ञप्ति लेजर, अर्थदण्ड प्रतिवेदन।

[39] देवघर, धनबाद, गिरीडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

[40] धनबाद, गिरीडीह और जमशेदपुर।

[41] देवघर, हजारीबाग और राँची।

और कम उठाई गई एम.जी.क्यू. के समतुल्य राजस्व हेतु ₹ 3.04 करोड़ का विलंब शुल्क उदग्रहण नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2023 और मार्च 2024 के बीच), ए.सी.ई./एस.ई. ने बताया (अगस्त 2023 और मार्च 2024 के बीच) कि सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुनः जवाब अप्राप्त है (सितंबर 2025)।

मामला अप्रैल 2024 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; जिसका जवाब अप्राप्त है (सितंबर 2025)।

राँची | **(इन्दु अग्रवाल)**
दिनांक: 25 फरवरी 2026 | **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 12 मार्च 2026 | **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(कंडिका संख्या 2.3.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ-33)

गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रो का नवीकरण

क्र. सं.	जिला	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	विक्रय मूल्य के साथ वाहनों की संख्या	विक्रय मूल्य रहित वाहनों की संख्या	मामलों की संख्या	पंजीकृत		पंजीकरण वैधता		आर.सी. नवीनीकरण शुल्क (₹)	निरीक्षण शुल्क (₹)	अतिरिक्त शुल्क (₹)	मो.वा. कर (₹)	ब्याज (₹)	हरित कर (₹)	स्मार्ट कार्ड शुल्क (₹)	कुल (₹)
						से	तक	से	तक								
1	गिरीडीह	584	151	433	151	2004	2009	22-04-2019	28-03-2024	7,55,000	1,20,800	23,07,000	28,45,523	16,71,254	2,84,559	30,200	80,14,336
2	हजारीबाग	4,164	774	3,390	79	2004	2009	01-04-2019	19-01-2024	3,95,000	63,200	13,64,000	15,95,984	10,02,699	1,59,598	15,800	45,96,281
3	जमशेदपुर	1,040	234	806	234	2004	2009	01-04-2019	22-03-2024	11,60,000	1,85,600	43,35,500	61,43,128	44,18,039	6,14,333	46,400	1,69,03,000
4	पलामू	872	524	348	524	2004	2009	01-04-2019	31-03-2024	26,20,000	4,19,200	94,56,000	98,07,993	66,91,867	9,80,842	1,04,800	3,00,80,702
5	राँची	17,755	3,987	13,768	269	2004	2009	06-04-2019	30-03-2024	13,45,000	2,15,200	40,77,500	70,66,402	40,29,233	7,06,667	53,800	1,74,93,802
6	सिमडेगा	224	126	98	63	2005	2009	26-01-2020	16-03-2024	3,15,000	50,400	10,04,000	13,46,363	8,43,933	1,34,638	12,600	37,06,934
	कुल	**24,639**	**5,796**	**18,843**	**1,320**					**65,90,000**	**10,54,400**	**2,25,44,000**	**2,88,05,393**	**1,86,57,025**	**28,80,637**	**2,63,600**	**8,07,95,055**

परिशिष्ट-II

(कंडिका संख्या 2.3.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ-33)

परिवहन वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्रो का नवीकरण

क्र. सं.	जिला	जारी किए गए सीएफ	15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की संख्या	मामलों की संख्या	पंजीकरण		दुरूस्ती की वैधता		आर.सी. नवीनीकरण शुल्क (₹)
					से	तक	से	तक	
1	गिरीडीह	2,126	86	86	1990	2009	01-04-2023	17-03-2025	4,61,000
2	हजारीबाग	11,561	350	308	1990	2009	31-03-2023	29-03-2025	19,49,000
3	जमशेदपुर	19,987	1,570	426	2000	2009	29-04-2023	29-03-2025	23,43,000
4	पलामू	4,389	303	92	2000	2008	31-03-2023	29-03-2025	5,16,000
5	राँची	9,009	355	179	1990	2008	04-05-2023	14-03-2025	10,74,000
6	सिमडेगा	1,334	26	17	2004	2009	10-01-2024	12-03-2025	1,01,000
	कुल	**48,406**	**2,690**	**1,108**					**64,44,000**

परिशिष्ट-III

(कंडिका संख्या 2.3.3.4 में संदर्भित; पृष्ठ-36)

स्थानीय पंजीकरण चिन्ह

क्र. सं.	जि.प.का.	पंजीकृत वाहन	मामलों की संख्या	असाईनमेंट शुल्क (₹)	धारा 177 के अंतर्गत शास्ति (₹)	स्मार्ट कार्ड शुल्क (₹)	कुल (₹)
1	गिरीडीह	2,084	136	1,33,300	68,000	27,200	2,28,500
2	हजारीबाग	1,722	221	2,12,900	1,10,500	44,200	3,67,600
3	जमशेदपुर	1,443	452	4,13,800	2,26,000	90,400	7,30,200
4	पलामू	3,625	58	39,700	29,000	11,600	80,300
5	राँची	3,997	184	1,49,900	92,000	36,800	2,78,700
6	सिमडेगा	68	21	21,500	10,500	4,200	36,200
कुल		**12,939**	**1,072**	**9,71,100**	**5,36,000**	**2,14,400**	**17,21,500**

परिशिष्ट-IV

(कंडिका संख्या 2.3.3.5 में संदर्भित; पृष्ठ-37)

परिवहन वाहनों के पंजीकृत लदान भार में संशोधन

क्र. सं.	जिला	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	अवलोकन के अंतर्गत वाहन	पंजीकरण		विनिर्माण वर्ष	पिछले पंजीकृत लदान भार की सीमा			संशोधन के बाद पंजीकृत लदान भार की सीमा	
				से	तक	से	तक	से	तक	से	तक
1	गिरीडीह	530	10	2018	2021	2018	2021	15,710	47,500	19,000	53,500
2	हजारीबाग	2,409	192	2019	2023	2019	2023	15,710	48,000	19,000	55,000
3	जमशेदपुर	1,894	17	2019	2020	2019	2019	7,300	42,000	8,250	48,000
4	पलामू	615	116	2019	2024	2019	2024	15,710	42,000	18,000	46,000
कुल		**5,448**	**335**								

परिशिष्ट-V

(कंडिका संख्या 2.3.3.6 में संदर्भित; पृष्ठ-38)

वाहनों का गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	जि.प.का	गलत वर्गीकृत वाहनों की संख्या	उदग्रहणीय कर (₹ में)	उदग्रहीत कर (₹ में)	कम उदग्रहण (₹ में)
1	गिरीडीह	9	12,54,548	5,00,200	7,54,348
2	जमशेदपुर	74	2,21,80,570	52,63,560	1,69,17,010
3	पलामू	13	15,51,204	6,35,600	9,15,604
4	सिमडेगा	16	23,76,746	8,54,370	15,22,376
कुल		112	2,73,63,068	72,53,730	2,01,09,338

परिशिष्ट-VI

(कंडिका संख्या 2.3.3.8 में संदर्भित; पृष्ठ-41)

विनिर्माता/विक्रेता द्वारा वाहनों का प्रेषण

टनभार	वाहनों की संख्या	शुल्क (₹)	कर (₹)	कुल (₹)
12 टन	2	1,500	10,400	11,900
15 टन	86	64,500	5,50,400	6,14,900
16 टन	46	34,500	3,12,800	3,47,300
19 टन	87	65,250	6,96,000	7,61,250
24 टन	47	35,250	4,70,000	5,05,250
25 टन	36	27,000	3,74,400	4,01,400
28 टन	60	45,000	6,96,000	7,41,000
35 टन	4	3,000	57,600	60,600
40 टन	1	750	16,400	17,150
55 टन	10	7,500	2,24,000	2,31,500
कुल	**379**	**2,84,250**	**34,08,000**	**36,92,250**

परिशिष्ट-VII

(कंडिका संख्या 2.3.4.1 में संदर्भित; पृष्ठ-42)

मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा जारी दुरूस्ती प्रमाण पत्र

क्र.सं.	जिला	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
1	गिरीडीह	2,172	984	2,261	1,688	1,111	8,216
2	हजारीबाग	15,177	7,088	12,112	8,939	10,772	54,088
3	जमशेदपुर	22,088	10,870	16,676	11,349	13,378	74,361
4	पलामू	2,526	1,447	2,258	1,900	2,219	10,350
5	राँची	2,342	3,348	5,710	5,015	10,536	26,951
6	सिमडेगा	962	395	720	674	665	3,416
कुल		**45,267**	**24,132**	**39,737**	**29,565**	**38,681**	**1,77,382**
चयनित जिलों में ए.टी.एस. द्वारा जारी दुरूस्ती प्रमाणपत्रों की संख्या							
क्र.सं.	**अधिकृत/स्वचालित परीक्षण स्टेशन**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**Total**
1	TUV SUD, राँची	8,245	0	0	0	0	8,245
2	मेसर्स ऑटो फिटनेस सेंटर, राँची	7,323	4,913	7,574	4,462	5,833	30,105
3	यूनिवर्सल ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, जमशेदपुर	0	1	164	1,436	2,491	4,092
4	ऑटो टेक वेहिकल फिटनेस, राँची	0	0	3,325	2,916	3,122	9,363
5	ग्लोबल ऑटोमेटेड फिटनेस, हजारीबाग	0	0	0	0	495	495
कुल		**15,568**	**4,914**	**11,063**	**8,814**	**11,941**	**52,300**
कुल योग							**2,29,682**

परिशिष्ट-VIII

(कंडिका संख्या 2.3.4.2 में संदर्भित; पृष्ठ-45)

परिवहन वाहनों के दुरूस्ती प्रमाण पत्र का नवीकरण

क्र. सं.	जिला	परिवहन वाहन	12 वर्षों से ज्यादा पुराने परिवहन वाहनों की संख्या	12 वर्षों से ज्यादा पुराने परिवहन वाहनों की संख्या (अनफिट)	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	अवलोकन के अंतर्गत वाहनों की संख्या	पंजीकृत		दुरूस्ती प्रमाणपत्र की वैधता		कर भुगतान अवधि		हरित कर के लिए डिफ़ॉल्ट अवधि		अवधि हेतु मो. वा. कर (₹)	हरित कर (₹)
							से	तक	से	तक	से	तक	से	तक		
1	गिरीडीह	51,552	24,816	24,582	15,555	148	2001	2012	04-06-2019	21-12-2023	26-09-2020	09-12-2031	05-06-2019	22-12-2023	68,93,428	6,89,342
2	हजारीबाग	93,563	34,026	31,940	31,940	433	2000	2012	15-01-2019	15-02-2024	06-02-2020	14-04-2025	25-04-2019	28-03-2024	1,65,78,841	16,57,888
3	जमशेदपुर	1,27,304	65,316	60,915	60,913	382	2000	2012	01-04-2019	23-12-2023	13-05-2020	31-01-2028	02-04-2019	24-12-2023	1,37,84,318	13,78,432
4	पलामू	44,704	14,060	13,679	13,679	119	2000	2012	19-04-2019	19-03-2024	17-12-2019	21-07-2026	20-04-2019	20-03-2024	54,38,904	5,43,889
5	राँची	1,81,320	78,456	76,032	2,350	355	1987	2012	23-01-2019	30-03-2024	12-03-2020	13-05-2025	05-01-2019	31-03-2024	1,59,51,976	15,95,196
6	सिमडेगा	8,679	1,413	1,081	1,081	32	2000	2011	10-04-2019	12-01-2024	14-05-2021	06-10-2025	17-08-2019	13-01-2024	14,86,320	1,48,632
कुल		**5,07,122**	**2,18,087**	**2,08,229**	**1,25,518**	**1,469**									**6,01,33,787**	**60,13,379**

परिशिष्ट-IX

(कंडिका संख्या 2.3.5.4 में संदर्भित, पृष्ठ-51)

मार्गीय यात्री वाहन एवं शैक्षिक संस्थान बस अनुज्ञापत्रों का नवीकरण

क्र. सं.	मंजिल वाहन	स्कूल बस	कुल	शुल्क (₹)	विलंब शुल्क (₹)	कुल (₹)
1	20	46	66	5,46,900	6,60,000	12,06,900
2	22	14	36	2,66,700	3,60,000	6,26,700
3	50	106	156	12,84,900	15,60,000	28,44,900
कुल:	**92**	**166**	**258**	**20,98,500**	**25,80,000**	**46,78,500**

परिशिष्ट-X

(कंडिका संख्या 2.3.7.2 में संदर्भित; पृष्ठ-58)

परिवहन वाहनों से कर

(क) मालवाहन

क्र. सं.	जिला	पंजीकृत वाहनों की संख्या	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	अवलोकन के अंतर्गत वाहनों की संख्या	पंजीकृत		कर चूक अवधि		बकाया कर (₹)	अर्थदण्ड (₹)	कुल (₹)
					से	तक	से	तक			
1	गिरीडीह	32,359	4,161	200	2000	2023	04-04-2019	05-12-2023	59,40,200	1,18,80,400	1,78,20,600
2	हजारीबाग	35,643	13,558	1,044	2004	2023	04-09-2022	01-11-2023	2,91,11,000	5,82,22,000	8,73,33,000
3	जमशेदपुर	5,032	11,452	729	2001	2023	05-04-2019	21-12-2023	1,79,34,400	3,58,68,800	5,38,03,200
4	पलामू	34,397	1,895	231	2001	2023	19-06-2020	12-12-2023	41,80,000	83,60,000	1,25,40,000
5	राँची	10,005	12,426	627	2001	2023	18-12-2020	16-09-2023	84,46,800	1,68,93,600	2,53,40,400
6	सिमडेगा	887	422	67	2000	2023	13-09-2019	29-11-2023	22,60,400	45,20,800	67,81,200
कुल (क)		**1,18,323**	**43,914**	**2,898**					**6,78,72,800**	**13,57,45,600**	**20,36,18,400**

(ख) यात्री वाहन

क्र. सं.	जिला	पंजीकृत वाहनों की संख्या	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	अवलोकन के अंतर्गत वाहनों की संख्या	पंजीकृत		कर चूक अवधि		बकाया कर (₹)	अर्थदण्ड (₹)	कुल (₹)
					से	तक	से	तक			
1	गिरीडीह	925	538	21	2000	2023	25-04-2019	08-11-2023	6,02,964	12,05,928	18,08,892
2	हजारीबाग	2,429	886	34	2004	2023	23-09-2022	13-10-2023	9,89,944	19,79,888	29,69,832
3	जमशेदपुर	3,037	1,183	25	2004	2023	13-08-2021	25-12-2023	7,54,248	15,08,496	22,62,744
4	पलामू	1,296	491	27	2005	2023	15-05-2020	08-12-2023	9,59,014	19,18,028	28,77,042
5	राँची	6,827	2,418	92	2003	2023	10-05-2019	31-08-2023	26,18,903	52,37,806	78,56,709
6	सिमडेगा	148	61	11	2005	2023	23-03-2021	01-10-2023	6,74,343	13,48,686	20,23,029
कुल (ख)		**14,662**	**5,577**	**210**					**65,99,416**	**1,31,98,832**	**1,97,98,248**
कुल योग (क+ख)		**1,32,985**	**49,491**	**3,108**					**7,44,72,216**	**14,89,44,432**	**22,34,16,648**

परिशिष्ट-XI

(कंडिका संख्या 2.3.7.3 में संदर्भित; पृष्ठ-59)

एकमुश्त कर

(क) तिपहिया यात्री वाहन

क्र. सं.	जिला	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	अवलोकन के अंतर्गत वाहनों की संख्या	पंजीकृत		कर चूक अवधि की सीमा		कर (₹)	शास्ति (₹)	कुल (₹)
				से	तक	से	तक			
1	गिरीडीह	4,749	26	2014	2019	30-01-2019	07-01-2024	1,65,359	1,32,389	2,97,748
2	हजारीबाग	4,703	186	2009	2019	31-03-2019	21-03-2024	12,02,096	14,48,614	26,50,710
3	जमशेदपुर	15,636	182	2009	2019	01-04-2019	25-03-2024	6,94,706	8,31,334	15,26,040
4	पलामू	7,597	44	2006	2020	03-04-2019	14-10-2023	2,86,946	3,31,277	6,18,223
5	राँची	21,449	1,127	2009	2019	01-04-2019	02-03-2024	68,89,341	81,45,453	1,50,34,794
6	सिमडेगा	322	50	2010	2018	11-04-2021	29-01-2024	1,29,085	77,738	2,06,823
कुल		**54,456**	**1,615**					**93,67,533**	**1,09,66,805**	**2,03,34,338**

(ख) माल वाहन 3,000 किलोग्राम से कम

क्र. सं.	जिला	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	अवलोकन के अंतर्गत वाहनों की संख्या	से (आर.सी.)	तक (आर.सी.)	से (कर)	तक (कर)	10 वर्षों के लिए कर (₹)	(10+5) वर्षों हेतु कर (₹)	10 वर्ष के करों पर शास्ति (₹)	(10+5) वर्षों के करों पर शास्ति (₹)	कुल (₹)
1	गिरीडीह	2,398	108	2010	2019	07-03-2021	29-03-2024	46,452	17,68,509	20,026	6,13,865	24,48,852
2	हजारीबाग	5,597	186	2009	2019	31-03-2019	30-03-2024	1,88,207	28,60,897	2,14,682	8,61,388	41,25,174
3	जमशेदपुर	13,997	887	2010	2019	01-04-2019	31-03-2024	14,95,876	97,30,483	17,76,416	50,67,030	1,80,69,805
4	पलामू	2,172	197	2009	2019	02-04-2019	30-03-2024	1,74,444	33,04,724	1,49,172	18,74,477	55,02,817
5	राँची	18,474	1,132	2009	2020	03-04-2019	30-03-2024	10,16,365	1,39,33,433	10,13,209	77,81,705	2,37,44,712
6	सिमडेगा	1,074	24	2010	2017	12-04-2019	31-01-2024	15,020	7,14,311	12,300	3,65,543	11,07,173
कुल		**43,712**	**2,534**					**29,36,363**	**3,23,12,357**	**31,85,805**	**1,65,64,008**	**5,49,98,533**
								3,52,48,720		**1,97,49,813**		

(ग) मोटर कैब वाहन

क्र. सं.	जिला	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	अवलोकन के अंतर्गत वाहनों की संख्या	से (आर.सी.)	तक (आर.सी.)	से (कर)	तक (कर)	12 वर्षों के लिए कर (₹)	(12+5) वर्षों के लिए कर (₹)	12 वर्ष के करों पर शास्ति (₹)	(12+5) वर्षों के करों पर शास्ति (₹)	कुल (₹)
1	गिरीडीह	1,713	27	2008	2019	11-04-2019	23-03-2024	91,193	3,48,433	1,18,989	2,46,401	8,05,016
2	हजारीबाग	4,391	240	2008	2020	01-04-2019	29-03-2024	35,98,549	16,82,528	39,86,746	9,84,294	1,02,52,117
3	जमशेदपुर	6,660	541	2008	2022	01-04-2019	30-03-2024	76,18,728	38,10,766	81,72,957	14,60,279	2,10,62,730
4	पलामू	2,052	78	2008	2023	09-02-2019	26-03-2024	19,92,244	2,68,847	21,86,627	1,77,359	46,25,077
5	राँची	8,999	665	2008	2023	01-04-2019	30-03-2024	1,53,20,226	27,55,341	1,46,72,625	12,38,594	3,39,86,787
6	सिमडेगा	330	17	2008	2016	10-03-2019	07-03-2024	1,64,623	1,22,624	2,10,088	69,374	5,66,709
	कुल	**24,145**	**1,568**					**2,87,85,564**	**89,88,539**	**2,93,48,032**	**41,76,301**	**7,12,98,436**
								3,77,74,103		**3,35,24,333**		

(घ) निर्माण उपकरण वाहन

क्र. सं.	जिला	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	अवलोकन के अंतर्गत वाहनों की संख्या	पंजीकृत		कर चूक अवधि की सीमा		12 वर्षों के लिए कर (₹)	(12+5) वर्षों के लिए कर (₹)	12 वर्षों के करों पर शास्ति (₹)	(12+5) वर्षों के करों पर शास्ति (₹)	कुल (₹)
				से	तक	से	तक					
1	गिरीडीह	44	3	2017	2020	12-03-2020	18-02-2024	3,16,956	0	2,10,610	0	5,27,566
2	हजारीबाग	166	80	2017	2019	02-02-2019	16-03-2019	1,24,75,786	0	1,61,16,425	0	2,85,92,211
3	जमशेदपुर	86	27	2008	2019	17-12-2014	29-03-2024	15,78,505	6,20,603	10,55,081	2,92,706	35,46,895
4	पलामू	11	3	2017	2020	12-03-2020	18-02-2024	3,16,956	0	2,10,610	0	5,27,566
5	राँची	267	63	2009	2024	01-02-2019	11-03-2024	1,05,30,715	1,57,789	1,32,38,464	82,458	2,40,09,426
6	सिमडेगा	35	8	2011	2021	16-03-2019	01-12-2023	5,77,017	2,11,400	5,51,733	67,760	14,07,910
	कुल	**609**	**184**					**2,57,95,936**	**9,89,792**	**3,13,82,923**	**4,42,924**	**5,86,11,575**
								2,67,85,728		**3,18,25,847**		

एकमुश्त कर की वसूली न होने का सार

वाहनों की श्रेणियाँ	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	अवलोकन के अंतर्गत वाहनों की संख्या	बकाया कर (₹)	बकाया शास्ति (₹)	कुल (₹)
(क) तिपहिया यात्री	54,456	1,615	93,67,533	1,09,66,805	2,03,34,338
(ख) माल वाहन<3000 किलो.	43,712	2,534	3,52,48,720	1,97,49,813	5,49,98,533
(ग) मोटर कैब	24,145	1,568	3,77,74,103	3,35,24,333	7,12,98,436
(घ) निर्माण उपकरण वाहन	609	184	2,67,85,728	3,18,25,847	5,86,11,575
कुल	**1,22,922**	**5,901**	**10,91,76,084**	**9,60,66,798**	**20,52,42,882**

परिशिष्ट-XII

(कंडिका संख्या 2.3.7.4 में संदर्भित; पृष्ठ-60)

पारस्परिक समझौतों के तहत संचालित वाहन

क्र. सं.	राज्य	वाहनों की संख्या	अनुज्ञापत्र वैधता		भुगतान किये गये करों की सीमा		कर चूक अवधि		बकाया कर (₹)	बकाया अर्थदण्ड (₹)	कुल (₹)
			से	तक	से	तक	से	तक			
1	बिहार	33	21-10-2021	01-03-2028	25-04-2023	28-03-2024	26-04-2023	29-03-2024	15,79,071	31,58,142	47,37,213
2	छत्तीसगढ़	5	01-10-2021	03-05-2028	03-08-2023	11-01-2024	04-08-2023	12-01-2024	1,74,025	3,48,050	5,22,075
3	ओडिशा	5	09-02-2021	19-06-2028	14-10-2023	31-03-2024	15-10-2023	01-04-2024	1,71,358	3,42,716	5,14,074
4	पश्चिम बंगाल	18	11-08-2020	10-11-2027	29-04-2023	15-02-2024	30-04-2023	16-02-2024	10,72,191	21,44,382	32,16,573
कुल		**61**							**29,96,645**	**59,93,290**	**89,89,935**

परिशिष्ट-XIII

(कंडिका संख्या 2.3.7.7 में संदर्भित; पृष्ठ-64)

परिवहन वाहनों से अर्थदण्ड

क्र. सं.	जिला	नमूना जाँचित लेन-देन	अवलोकन अंतर्गत लेन-देन	प्राप्ति तिथि		विलंब तिमाही में	उद्ग्रहीत कर (₹)	उदग्रहित अर्थदण्ड (₹)	उदग्रहणीय कर (₹)	उदग्रहणीय अर्थदण्ड (₹)	गैर/कम अर्थदण्ड (₹)
				से	तक						
1	गिरीडीह	25,580	135	18-04-2019	19-01-2024	1 to 5	8,03,352	23,738	8,03,352	5,85,573	5,61,835
2	हजारीबाग	71,450	262	05-04-2023	30-03-2024	1 to 8	21,96,515	0	21,96,515	9,39,921	9,39,921
3	जमशेदपुर	2,016	86	22-11-2023	30-03-2024	1 to 8	6,18,689	0	6,18,689	2,62,873	2,62,873
4	पलामू	37,072	149	24-02-2022	31-03-2024	1 to 11	8,56,200	64,700	8,56,200	4,72,850	4,08,150
5	राँची	38,972	86	05-04-2023	31-03-2024	1 to 4	3,14,464	0	3,14,464	1,42,761	1,42,761
6	सिमडेगा	6,764	102	11-10-2021	29-12-2023	1 to 5	6,74,600	21,100	6,74,600	4,76,250	4,55,150
कुल		**1,81,854**	**820**				**54,63,820**	**1,09,538**	**54,63,820**	**28,80,228**	**27,70,690**

परिशिष्ट-XIV

(कंडिका संख्या 2.3.7.9 में संदर्भित; पृष्ठ-66)

संग्रहित राजस्व का हस्तांतरण

(राशि ₹ में)

माह	प्रारंभिक शेष	जमा	कोषागार में प्रेषित की गयी	सड़क सुरक्षा निधि खाते में भेजा गया	अर्थदण्ड	चार्ज बैक	वापसी	अंतिम शेष	बैंक दर एवं दंडात्मक ब्याज	दंडात्मक ब्याज
जनवरी-21	16.01	93,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,277.01	7.25	0.00
फरवरी-21	93,277.01	3,84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,77,777.01	7.25	2,282.00
मार्च-21	4,77,777.01	9,42,700.00	2,84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,36,477.01	7.25	6,262.00
अप्रैल-21	11,36,477.01	10,88,550.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	22,19,027.01	7.25	12,802.00
मई-21	22,19,027.01	4,58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,77,677.01	7.25	15,573.00
जून-21	26,77,677.01	8,92,750.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	35,69,927.01	7.25	20,964.00
जुलाई-21	35,69,927.01	12,66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,36,527.01	7.25	28,617.00
अगस्त-21	48,36,527.01	14,59,300.00	0.00	0.00	3,100.00	1,000.00	0.00	62,91,727.01	7.25	37,408.00
सितम्बर-21	62,91,727.01	16,36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,28,577.01	7.25	47,298.00
अक्टूबर-21	79,28,577.01	16,64,104.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	95,92,531.01	7.25	57,351.00
नवम्बर-21	95,92,531.01	20,08,700.00	0.00	18,72,886.20	0.00	500.00	0.00	97,27,844.81	7.25	58,168.00
दिसम्बर-21	97,27,844.81	40,80,453.00	46,48,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	91,59,939.41	7.25	54,737.00
जनवरी-22	91,59,939.41	58,65,953.00	1,07,78,713.13	26,94,678.28	0.00	6,500.00	0.00	15,46,001.00	7.25	8,736.00
फरवरी-22	15,46,001.00	88,22,961.00	57,60,000.00	14,40,000.00	0.00	26,150.00	0.00	31,42,812.00	7.25	18,384.00
मार्च-22	31,42,812.00	79,42,563.00	84,62,818.40	21,15,704.60	0.00	4,45,153.00	0.00	61,699.00	7.25	0.00
अप्रैल-22	61,699.00	63,65,854.00	33,60,000.00	10,40,000.00	15,900.00	1,12,850.00	0.00	18,98,803.00	7.25	10,868.00
मई-22	18,98,803.00	62,71,911.00	40,80,000.00	10,20,000.00	4,700.00	11,500.00	0.00	30,54,514.00	7.65	18,835.00
जून-22	30,54,514.00	63,72,152.00	52,00,000.00	13,00,000.00	0.00	8,000.00	0.00	29,18,666.00	8.15	19,143.00
जुलाई-22	29,18,666.00	2,59,03,849.00	36,00,000.00	9,00,000.00	0.00	25,150.00	0.00	2,42,97,365.00	8.15	1,64,340.00
अगस्त-22	2,42,97,365.00	1,45,94,157.00	1,52,00,000.00	38,00,000.00	0.00	9,150.00	0.00	1,98,82,372.00	8.65	1,42,598.00
सितम्बर-22	1,98,82,372.00	1,41,62,070.00	1,20,00,000.00	72,00,000.00		19,000.00	0.00	1,48,25,442.00	8.65	1,06,146.00
अक्टूबर-22	1,48,25,442.00	1,28,31,685.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	2,76,41,827.00	9.15	2,10,006.00
नवम्बर-22	2,76,41,827.00	1,14,39,738.00	1,20,00,000.00	30,00,000.00	0.00	1,150.00	0.00	2,40,80,415.00	9.15	1,82,851.00
दिसम्बर-22	2,40,80,415.00	1,95,27,943.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	4,35,87,858.00	9.50	3,44,279.00
जनवरी-23	4,35,87,858.00	1,65,60,003.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,01,35,861.00	9.50	4,75,284.00
फरवरी-23	6,01,35,861.00	2,01,99,178.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	8,03,05,289.00	9.75	6,51,668.00

माह	प्रारंभिक शेष	जमा	कोषागार में प्रेषित की गयी	सड़क सुरक्षा निधि खाते में भेजा गया	अर्थदण्ड	चार्ज बैक	वापसी	अंतिम शेष	बैंक दर एवं दंडात्मक ब्याज	दंडात्मक ब्याज
मार्च 23	8,03,05,289.00	2,22,07,391.00	8,19,27,944.00	2,04,81,986.00	0.00	8,650.00	0.00	94,100.00	9.75	0.00
अप्रैल-23	94,100.00	1,85,72,829.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,86,63,929.00	9.75	1,50,832.00
मई-23	1,86,63,929.00	2,17,68,848.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	4,04,24,127.00	9.75	3,27,634.00
जून-23	4,04,24,127.00	2,18,59,646.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	6,22,68,273.00	9.75	5,05,117.00
जुलाई-23	6,22,68,273.00	2,50,81,941.00	2,24,00,000.00	76,00,000.00	0.00	81,600.00	0.00	5,72,68,614.00	9.75	4,64,495.00
अगस्त-23	5,72,68,614.00	2,19,50,474.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	7,91,86,338.00	9.75	6,42,576.00
सितम्बर-23	7,91,86,338.00	2,17,92,034.56	0.00	0.00	0.00	62,801.00	0.00	10,09,15,571.56	9.75	8,19,127.00
अक्टूबर-23	10,09,15,571.56	2,01,45,578.05	0.00	0.00	0.00	41,101.00	0.00	12,10,20,048.61	9.75	9,82,475.00
नवम्बर-23	12,10,20,048.61	1,96,56,617.07	0.00	0.00	0.00	6,950.00	1,000.00	14,06,68,715.68	9.75	11,42,121.00
दिसम्बर-23	14,06,68,715.68	2,65,95,603.00	0.00	0.00	0.00	38,803.00	0.00	16,72,25,515.68	9.75	13,57,895.00
जनवरी-24	16,72,25,515.68	2,21,56,297.50	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	18,93,74,713.18	9.75	15,37,857.00
फरवरी-24	18,93,74,713.18	1,87,87,648.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	20,81,48,361.18	9.75	16,90,393.00
मार्च-24	20,81,48,361.18	1,86,64,886.00	17,96,77,750.54	4,61,97,794.64	0.00	27,000.00	1,000.00	9,09,702.00	9.75	6,579.00
कुल		**47,20,76,228.18**	**36,93,79,584.47**	**10,06,63,049.72**	**23,700.00**	**10,98,208.00**	**2,000.00**			**1,23,21,701.00**

परिशिष्ट-XV

(कंडिका संख्या 2.3.8.2 में संदर्भित; पृष्ठ-69)

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम के तहत जुर्माना

क्र. सं.	जिला	कुल धन प्राप्तियां (मात्रा में)	मो.वा. अधिनियम की धारा 194 के तहत दंडित वाहनों की	धारा 194(1) के तहत अधिरोपित अर्थदण्ड (₹)	सी.बी.आर.टी. अधिनियम की धारा 5(3) के तहत अर्थदण्ड न लगाना (₹)	सी.बी.आर.टी. अधिनियम की धारा 18(1) के तहत अर्थदण्ड न लगाना (₹)	अर्थदण्ड और शास्ति का कुल गैर-अधिरोपण (₹)
1	जि.प.का. गिरीडीह	8	164	47,79,000	47,79,000	8,20,000	55,99,000
2	क्षे.प.प्रा., हजारीबाग	1	14	4,64,000	4,64,000	70,000	5,34,000
3	जि.प.का., हजारीबाग	7	40	12,19,000	12,19,000	2,00,000	14,19,000
4	जि.प.का., जमशेदपुर	6	30	6,04,000	6,04,000	1,05,000	7,09,000
5	जि.प.का., पलामू	9	313	1,35,06,000	1,35,06,000	23,95,000	1,59,01,000
6	क्षे.प.प्रा., राँची	10	36	9,78,000	9,78,000	1,80,000	11,58,000
7	जि.प.का., सिमडेगा	16	96	12,66,000	12,66,000	2,90,000	15,56,000
कुल		**57**	**693**	**2,28,16,000**	**2,28,16,000**	**40,60,000**	**2,68,76,000**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi